खण्ड ४ — अंक ५९
७ मई, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
3-4-97
Fumigated
On 24/1/87
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ ... २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९३, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ ... २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका ... २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ ... २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ ... २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ ... २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका ... २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ... २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ ... २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ... २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

सोमवार, ७ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लुमडिंग स्टेशन पर पुलिस द्वारा गोलाबारी

†*१९६७. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पूर्वोत्तर रेलवे के लुमडिंग स्टेशन पर पुलिस को गोलीबारी करनें पर विवश करने वाली घटना के पूरे-पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ख) उस गोलीबारी में हताहत और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और उसके बाद अब वहां क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५३]**

†**श्री झूलन सिंह :** अब वहाँ क्या स्थिति है ? क्या सभी कुछ सामान्य स्थिति में आ गया है, या अब भी कुछ असामान्यता पाई जाती है ?

†**श्री अलगेशन :** मेरा विचार है कि अब सभी सेवायें पुन: चालू हो गई हैं । जो भी हो, जहाँ तक रेलवे सेवाओं का सम्बन्ध है, वे सामान्य स्थिति में हैं ।

†**डा० रामा राव :** विवरण में कहा गया है कि भीड़ हिंसक हो गई थी । लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि भीड़ ने कोई चोटें भी पहुँचाई थीं । क्या भीड़ बहुत अधिक शोर मचाने लग गई थी, और क्या उनके शोर-शराबे के कारण ही १२ व्यक्तियों को गोली का शिकार बनाना और उनमें से दो को मार डालना आवश्यक था ?

†**श्री अलगेशन :** सभी उपलब्ध सूचना लोक-सभा पटल पर रख दी गई हैं । यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है । मुझे ज्ञात हुआ है कि एक जाँच की गई थी और उस जाँच से यह पता चला था कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत थी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो देश में इस तरह की घटनायें हो जाती हैं, कहीं गोली चल जाती है और आदमी मारे जाते हैं, तो क्या कभी माननीय मंत्री ने इस बात का कष्ट किया है कि स्वयं वहां जा कर रेलवे स्टाफ (कर्मचारियों) से या जनता से पूछें कि क्या बात है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** वे कुछ शीघ्रता से हिन्दी बोले हैं, और मैं उसे अच्छी तरह समझ नहीं सका हूँ ।

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे मामलों में माननीय मंत्री उस स्थान पर जा कर उन सम्बन्धित स्थानों का दौरा करके वहाँ की स्थानीय जनता और साथ ही रेलवे कर्मचारियों से भी वहाँ की वास्तविक स्थिति के बारे में जानने का कष्ट करते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** हम यह भी कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं । लेकिन, इस मामले विशेष में मैं नहीं गया था ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या उसकी कोई न्यायिक जाँच की गई है ?

†**श्री अलगेशन :** दण्डाधिकारी ने पहले उसकी जाँच की थी, बाद में एक न्यायिक जाँच भी की गई थी ।

श्रमिकों के हित

†***१९६९. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री २२ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन श्रमिकों की संख्या का वैज्ञानिकन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, जिनके हितों का परीक्षण श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा श्रम विधियों का प्रवर्तन करके किया जा रहा है; और

(ख) इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) शायद माननीय सदस्य का आशय मुख्य श्रम आयुक्त के संघटन के पुनर्गठन के प्रश्न से है । सरकार अभी उस पर विचार कर रही है ।

(ख) औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था के अधिकारियों की कुल संख्या ८६ है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** श्रमिकों की संख्या को इन ८६ अधिकारियों में किस प्रकार और किस सिद्धान्त पर वितरित किया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** इस संघटन के अन्तर्गत २० लाख से कुछ अधिक श्रमिक आते हैं और कार्य का वितरण सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकताओं, वहाँ की आबादी और कार्य की तीव्रता तथा उसके आकार प्रकार को देखकर ही किया जाता है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि अभी भी वह प्रश्न विचाराधीन ही है । क्या कोई ऐसा सिद्धान्त निश्चित किया गया है जिसके अनुसार वैज्ञानिकन किया जाने को है, और यदि हां, तो वे सामान्य सिद्धान्त क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** इस संघटन विशेष को कुछ और अधिक दायित्व सौंपा गया है और उसका कार्य भी काफी बढ़ गया है । कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या कोई ऐसा सामान्य सिद्धान्त निश्चित किया गया है जिसके अनुसार यह वैज्ञानिकन किया जायेगा । मैं माननीय मंत्रि से अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे और लोक-सभा को इस के विषय में बतायें ।

†**श्री आबिद अली :** मैं बता चुका हूँ कि वह कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या मुख्य श्रम आयुक्य प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और यदि हां, तो क्या उसे प्रकाशित भी किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** जी हां । श्रम मंत्रालय के कार्य सम्बन्धी जिस प्रतिवेदन को प्रकाशित करते और संसद् सदस्यों के पास भेजते हैं, उसमें मुख्य श्रम आयुक्त के संघटन द्वारा किये गये कार्य का सारांश दिया जाता है, और जहाँ तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, उसे प्रति माह मुख्य श्रम आयुक्त से एक प्रतिवेदन मिलता है ।

रेलवे कर्मचारी

†*१९७१. **श्री राघवैया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में यातायात में हुई वृद्धि के अनुपात से ही कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ही कर्मचारियों की अनुमति दी जाती है । और यह आवश्यक रूप से कार्य की वृद्धि के साथ ही नहीं बढ़ जाती है, और न वह ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है ।

(ख) रेलों के साथ-साथ चलने वाले रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों के मामले में, उनके किसी भी वर्ग में ४० प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि हुई है । यातायात से सम्बन्धित अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह वृद्धि एक प्रतिशत से १३ प्रतिशत तक हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राघवैया :** दक्षिण रेलवे में यातायात में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए, क्या सरकार ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की थी ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने इसी का उत्तर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर यह दिया गया था कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि आवश्यक रूप से कार्य में हुई वृद्धि के साथ-साथ ही नहीं की जाती है । और न ही वह उस अनुपात में होती है ।

पंजाब से गेहूं का निर्यात

†*१९७२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से पंजाब सरकार ने कोई ऐसा अनुरोध किया है कि पंजाब से होने वाले गेहूं के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी , हाँ ।

(ख) उस अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया गया था, लेकिन सरकार की अबाध बाज़ार सम्बन्धी नीति के प्रसंग में यह निर्णय किया गया था कि इतनी कठोर कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं था ।

सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†*१९७५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री ९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के तीन अधिकारियों को १३ लाख रुपयों के ग़बन के लिये दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अब प्राप्त हो गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे बोर्ड इस सम्बन्ध में और क्या अग्रेतर कार्यवाही करने की प्रस्थापना करता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इस बात को देखते हुए कि ये मामले गत पाँच वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं, क्या संघ लोक सेवा आयोग को स्मरण दिला दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : इन मामलों को संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किया गया है, और हम उसके परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मेरा विचार यह है कि वह अपने कर्त्तव्य को भली भांति जानता है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : इन मामलों को १४ जनवरी को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था । क्या माननीय मंत्री ने उसे यह स्मरण दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि वह इसे शीघ्रता से निबटा दें क्योंकि यह ग़बन लगभग पाँच वर्ष पूर्व किया गया था ।

†**श्री अलगेशन** : यह तो सही है कि ये मामले काफी अधिक समय से चल रहे हैं, और समय बीतने के साथ-साथ इम मामलों से सम्बन्धित रिकार्ड आदि भी परिमाण में बढ़ता ही गया है; और संघ लोक सेवा आयोग से जिस प्रलेख का अध्ययन करने और उस पर मत देने के लिये कहा गया है वह आकार-प्रकार में काफी बड़ा है । इसलिये आयोग से इस मामले में शीघ्रता से काम लेने के लिये कहने का हमारा विचार नहीं है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या यह सही है कि पहले इस ग़बन की राशि के बारे में २० लाख रुपयों का अनुमान लगाया गया था, और बाद में यह घट कर १३ लाख रुपये रह गई है, इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमने काफी अधिक जाँच पड़ताल करने के बाद ही यह अनुमान लगाया है । १३ लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : इन अधिकारियों को उनके निलम्बन की तिथि से अभी तक जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री अलगेशन** : जब भी अधिकारियों का निलम्बन किया जाता है तो उनको नियमानुसार कुछ भत्ते दिये जाते हैं । इन मामलों में इन अधिकारियों को अदा की गई वास्तविक राशि बताने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहियें ।

उत्तर प्रदेश में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला

†*१९७८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के लिये वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) प्रयोगशाला के मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

†**कृषि मंत्री (श्री पी० एस० देशमुख)** : (क) भारत सरकार भूमि उर्वरता तथा खाद-प्रयोग सम्बन्धी प्रविधिक सहयोग मिशन परियोजना के अन्तर्गत पूरे देश में २४ भूमि परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित कर रही है; इनमें से एक कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन २४ केन्द्रों की स्थापना में लगभग २८ लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश के परियोजित केन्द्र के लिये विशिष्ट रूप से कोई भी राशि मंजूर नहीं की गई है।

(ग) किसानों के 'खेतों' से भूमि के नमूनों का संग्रहण, प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करना और फिर फसलों की उपज में वृद्धि के लिये खाद विषयक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक सिफारिशें करना ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : किस स्थान विशेष में ऐसी पहली प्रयोगशाला अपना कार्य आरम्भ करेगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : कानपुर ।

श्री भक्त दर्शन : इस लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) पर जो खर्चा होगा उसका सारा भार केन्द्रीय सरकार उटाने जा रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें कुछ हिस्सा बंटायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : पहले तीन साल तक पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) करेगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकारें) इसको चलायेंगी। इसमें यू० एस० ए० (अमरीकी) गवर्नमेंट ने हमें १ लाख ८५ हज़ार डालर दिये हैं।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या इस कार्य के लिये केवल यही एक प्रयोगशाला है, या अन्य स्थानों में भी ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं, और यदि हाँ, तो वे कौन से स्थान हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हम विभिन्न राज्यों में ऐसी दो दर्जन प्रयोगशालायें स्थापित करना चाहते हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हम विभिन्न राज्यों में नई प्रयोगशालायें स्थापित करने का विचार कर रहे हैं, यदि वह लाभदायक सिद्ध हों तो ।

†**श्री राघवैया** : क्या भूमि से लोनापन हटाना भी इस प्रयोगशाला का एक कृत्य नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसको भी सम्मिलित करने का विचार करती है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यह प्रयोगशाला तो भूमि परीक्षण के लिये है, और हो सकता है कि लोनापन हटाने का कार्य उसके क्षेत्र से बाहर हो। लेकिन, गवेषणा के दौरान में इसकी छानबीन की जा सकती है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : उत्तर प्रदेश की तराई की भूमि को बहुत उर्वर माना जाता है। फिर भी वहाँ गन्ने से चीनी की मात्रा बहुत ही कम प्राप्त होती है। क्या सरकार इस मामले की ओर भी कुछ ध्यान देगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : सरकार इसी समस्या की ओर नहीं, अन्य समस्याओं की ओर भी ध्यान देगी। लेकिन यह समस्या विशेष इस प्रश्न विशेष से उत्पन्न नहीं होती है।

कृषि शिक्षक

†*१९७९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष डेनमार्क भेजे गये कृषि शिक्षकों के दल ने वापस लौटने पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्होंने खेतों के प्रबन्ध, दुग्धशालाओं, सहकारी समितियों आदि में कौन-सी उन्नत प्रणालियां चालू की हैं या अपने कार्य क्षेत्र में चालू करना चाहते हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) विदेशों में भेजे गये पन्द्रह शिक्षक यहाँ लौटने पर अपने अनुभव का उपयोग ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओं को खेतों के प्रबन्ध, दुग्धशालाओं, सहकारी समितियों आदि की उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षिन देने में कर रहे हैं ।

†**श्री मादिया गौडा** : यदि कृषकों को डेनमार्क भेजना उपयोगी सिद्ध हुआ तो क्या सरकार अन्य दलों को भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जिस कालेज में यह लोग गये थे उसने यह सुझाव दिया है कि हम पाँच वर्ष तक इसी प्रकार लोगों को भेजते रहें, परन्तु सरकार अभी इस पर सहमत नहीं हुई है ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या डेनमार्क में सहकारिता का अध्ययन करने के लिये एक अलग दल भेजा जायेगा ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : विषयों में से एक सहकारिता भी है ।

श्री भक्त दर्शन : जो पन्द्रह व्यक्ति डेनमार्क भेजे गये थे वह भारत के कौन-कौन से भागों से भेजे गये थे, और वहाँ से आने के बाद कहाँ कार्य कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : आन्ध्र, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन और भोपाल से एक-एक व्यक्ति गया था और वहाँ से आने के बाद वह एक्स्टेंशन ट्रेनिंग सेन्टर्स (विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों) में काम कर रहे हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सच है कि सरकार कृषि सहकारिता का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल रूस भेजने की प्रस्थापना कर रही है, और यदि हाँ, तो प्रतिनिधिमण्डल के कब तक भारत से जाने की आशा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : इस सम्बन्ध में प्रस्थापना पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

रेलवे में दावों सम्बन्धी विवाद

†*१९८१. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान की उत्तर और उत्तर पश्चिम रेलवेज़ के बीच पाकिस्तान द्वारा १० रुपये की माँग किये जाने पर जो विवाद हुआ था उसके फलस्वरूप दोनों देशों को ६०,००० रुपये की हानि पहुँची;

(ख) क्या इस विवाद के कारण माल से भरे हुए ५०० डिब्बे अटारी (भारत) जल्लो (पाकिस्तान) में ७२ घंटे तक रुके रहे थे;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विवाद का निबटारा कर दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो विवाद के निबटारे में विलम्ब होने का कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). पाकिस्तान द्वारा भारत को दिये जाने वाले एक माल डिब्बे की बनावट में कुछ खराबी होने के कारण उत्तर रेलवे (भारत) द्वारा १० रुपये के विकलन की माँग किये जाने पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ था । परस्पर आदान प्रदान स्थान

†मूल अंग्रेजी में

पर नियुक्त पाकिस्तानी कर्मचारियों ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, और उन्हीं ने उत्तर रेलवे द्वारा अदला बदली में दिये गये ३१९ माल डिब्बे को तुच्छ आधारों पर स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । इसके फलस्वरूप यह माल डिब्बों भारतीय सीमा के इस ओर रुक गये, और इसके भाड़े के रूप में लगभग १३९० रुपये की हानि हुई । उत्तर-पश्चिम रेलवे (पाकिस्तान) को जो हानि हुई वह ज्ञात नहीं है ।

(ग) हाँ, श्रीमान् ।

(घ) जब अदला बदली स्थान पर दोनों पक्षों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विवाद का निबटारा न किया जा सका तो उत्तर रेलवे प्राधिकारियों ने लाहौर स्थित उत्तर पश्चिम (पाकिस्तान) रेलवे प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया और जो विवाद ३१--३--५६ को उत्पन्न हुआ था उसका निबटारा ३--४--५६ को हुआ जबकि साधारण अदला बदली कार्य पुनः आरम्भ किया गया ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या इस विवाद के शीघ्र ही निबटाये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री अलगेशन** : इसका निबटारा हो चुका है ।

भोपाल भूमि कृष्यकरण तथा विकास (कांस का उन्मूलन) अधिनियम, १९५४

†**१९८२. श्री कामत :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भोपाल भूमि कृष्यकरण तथा विकास (कांस का उन्मलन) अध्यादेश, १९४९ और उसके अनुवर्त्ती अधिनियम, १९५४ के मान्यीकरण के सम्बन्ध में भोपाल के न्यायिक आयुक्त (जूडीशियल कमिश्नर) के हाल के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार भोपाल के कई क्षेत्रों में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा ट्रैक्टर चलाने के लिये भोपाल के कृषकों से कृष्यकरण के स्थानीय कर की वसूली पर अभी भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). भारत सरकार न्यायिक आयुक्त के निर्णय की जाँच कर रही है और इस बीच भारत सरकार ने कृषकों से ट्रैक्टर चलाने के स्थानीय कर की वसूली रोक ली है ।

†**श्री कामत** : क्या अध्यादेश और अध्यादेश का मान्यीकरण करने वाले अनुवर्ती अधिनियम को मात्र अमान्य ठहराया गया है अथवा उन्हें आरम्भतः शून्य माना गया है और यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरे पास इसके कारण हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुना दूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उनकी बहुत बड़ी संख्या है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : उनकी संख्या तीन है--लगभग आधा दर्जन वाक्य होंगे :

(क) कि उस अधिनियम का यह प्रयोजन था कि उस भूमि पर ट्रैक्टर चलाये जा सकें जहाँ कांस उगी हुई हो और ऐसा लग रहा है कि विधान-सभा ने इस अधिनियम के क्षेत्र में वह भूमि नहीं रखी है जिसमें कांस नहीं उगती ।

(ख) कि ऐसी भूमि में जहाँ कांस नहीं उगती, ट्रैक्टर चलाने की विधि और पद्धति को सरकार तथा उसके पदाधिकारियों के ही विवेक पर छोड़ने में विधान-सभा ने विधान बनाने की शक्ति का परित्याग किया है जिसकी विधि की दृष्टि से अनुमति नहीं थी,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कि कृष्यकरण पदाधिकारी को उन भूमि खण्डों को, जहाँ बहुत अधिक कांस नहीं उगती थी, कांस से आच्छादित घोषित करने का अधिकार था और इसीलिये उक्त अधिनियम के संगत उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद १४ में दिये गये समता के सिद्धान्तों के विरुद्ध थे, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है ।

†**श्री कामत** : इस बात पर विचार करते हुए कि न्यायिक आयुक्त द्वारा अमान्य और शून्य ठहराये गये अध्यादेश और अनुवर्ती अधिनियम के समान उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत पड़ोस के मध्य भारत और मध्य प्रदेश राज्यों में भूमि का कृष्यकरण हुआ है और इस बात को भी ध्यान में रख कर कि सरकार ने इस सम्बन्ध में निश्चय होने तक कृष्यकरण के स्थानीय कर की वसूली को रोक रखा है, क्या सरकार मध्य प्रदेश और मध्य भारत में भी इसी प्रकार के भूमि-कृष्यकरण कर की वसूली तब तक के लिये रोकना चाहती है जब तक इस सामान्य प्रश्न पर अन्तिम निश्चय हो ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : यह कहना कि अन्य अधिनियम भी इसी के समान हैं, एक बहुत बड़ी धारणा है । इसके लिये काफी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता है । हम उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय का प्रतिवाद करेंगे । इसलिये यह अभिप्राय नहीं कि हम उन अन्य राज्यों में भी, जहाँ यह निर्णय लागू होता हो, इस निर्णय के परिणामों पर चलें ।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री जी यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत में जिन अधिनियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने कृष्यकरण का यह काम किया, क्या वे भोपाल अधिनियम से भिन्न हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं कोई भी धारणा नहीं बनाना चाहता; इसमें जाँच-पड़ताल की आवश्यकता है । कुछ भी हो, हम इस निर्णय को उन स्थानों पर लागू नहीं करना चाहते जहाँ वह लागू नहीं हो सकता ।

†**श्री राघवैया** : प्रति एकड़ ट्रैक्टर चलाने पर क्या शुल्क लिया जाता है, और क्या किसान उतना शुल्क दे भी सकते हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : श्रीमान क्या मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्तुत प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सारंगधर दास** : यह मानते हुए कि यह निर्णय मध्य प्रदेश और मध्य भारत पर लागू नहीं किया जा सकता, इसमें बाद को शिकायत भी हो सकती है । कहने का यह तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश या मध्य भारत में शायद कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार का मुकदमा चलाये । क्या सरकार इसी दृष्टिकोण से, इस बात की जाँच कर रही है कि ये अधिनियम भी भोपाल अधिनियम के ही जैसे हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : सर्वप्रथम, मैं उस निर्णय की शुद्धता को स्वीकार नहीं करता, जिसका प्रतिवाद हम सर्वोच्च न्यायालय में करने जा रहे हैं । दूसरे यह कि प्रत्येक अधिनियम का निर्वचन अलग-अलग होता है और एक अधिनियम का निर्वचन किसी दूसरे अधिनियम पर लागू नहीं हो सकता ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या तराई-भाबड में भी ये कर लगाये जा रहे हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरा ऐसा विचार नहीं, वह तो अलग-अलग स्थितियों में कृष्यकरण की बात थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चित्तौड़गढ़

*१९८४. **श्री० भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री २५ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौड़गढ़ को एक सुन्दर पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रश्न के बारे में अब तक कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या कार्यक्रम है और उसमें अनुमानतः कितना खर्च होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निश्चय करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) चित्तौड़गढ़ और दूसरे महत्वपूर्ण पर्यटक-केन्द्रों में पर्यटकों की मनोरंजन-सुविधाओं के विकास की तज़वीज़ों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है, जिस योजना के विस्तृत विवरणों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : कब तक यह आशा की जा सकती है कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम निश्चित हो जायेगा और कब तक ख़ास तौर से चित्तौड़गढ़ के बारे में अन्तिम निर्णय हो सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : आगामी पांच वर्ष की अवधि में पर्यटन के विकास की समस्त योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और इसके सम्बन्ध में योजना आयोग की भी सम्मति प्राप्त हो गई है । अब इस समय वित्त मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : चित्तौड़गढ़ का विगत इतिहास इस प्रकार का रहा है कि वह सारे देश के पर्यटकों के लिये एक तीर्थ स्थान सा बन गया है । क्या सरकार इस प्रकार के पर्यटकों को चित्तौड़गढ़ की यात्रा करने के लिये सुविधायें देने की प्रस्थापना करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका अभिप्राय है कि उसे पवित्र समझा जाता है ।

†**श्री अलगेशन** : इसे हमारी विकास योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो थोड़ा बहुत अस्थायी कार्यक्रम मंत्रालय में तैयार किया जा रहा है क्या उसमें इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप की भी एक प्रस्तर मूर्त्ति खड़ी की जाये ताकि जो लोग वहाँ जायें वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से माननीय सदस्य का अभिप्राय राणा प्रताप की एक प्रस्तर मूर्ति स्थापित करने से है । इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, सम्भव है किसी अन्य में हो ।

रेलों में तीसरा दर्जा

*१९८६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे दर्जे को ख़त्म करने की सरकारी नीति के बारे में उनके द्वारा की गई घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये क्या कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की आशा है; और

(ग) इस योजना में अनुमानतः कितना अतिरिक्त व्यय होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : आपकी अनुमति से मैं उत्तर अंग्रेजी में देना चाहूँगा । (क) और (ख). पुनरीक्षित प्रबन्ध को जारी करने के सम्बन्ध में पहली कार्यवाही के रूप में

†मूल अंग्रेजी में

यह किया गया है कि ब्रांच लाइन विभागों में १–७–१९५६ से दूसरा दर्जा हटा दिया जायेगा । इसके अग्रेतर अभी कोई क्रमिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है, अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि समस्त योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ग) इसका अनुमान नहीं लगाया गया है, परन्तु इस परिवर्तन में वास्तविक खर्च के बहुत कम होने की आशा है ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो थर्ड क्लास को समाप्त कर देने की बात है यह सिर्फ नाम में ही समाप्त होगी यह सेकिंड क्लास को जो उस समय सहूलियतें प्राप्त हैं वे थर्ड क्लास को भी प्राप्त होंगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह सारा प्रोग्राम कब तक इम्पलेंमेंट (कार्यान्वित) हो सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : आय व्ययक पर चर्चा के दौरान में इसकी पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है। अकस्मात परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है । जैसा कि मैंने उत्तर में बताया, हम केवल कुछ ब्रांच लाइनों पर ही दूसरा दर्जा हटाना चाहते हैं––सभी ब्रांच लाइनों पर ही ऐसा नहीं किया जायेगा । इसे क्रमिक रूप से कई वर्षों में किया जाना है । जब हम ने पहले के प्रथम दर्जे को हटाया था तब भी हमें कोई ढाई वर्ष लग गये थे । लोक-सभा में यह भी कहा गया है कि हम वर्तमान दूसरे दर्जे की सुख सुविधाओं की व्यवस्था यथासमय तीसरे दर्जे में भी करेंगे ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** : यह उलझन मेरी समझ में नहीं आती है । दूसरे दर्जे को या तीसरे दर्जे को हटा देने से कौन सा दर्जा रह जाता है ? क्या सरकार का विचार यह कि केवल एक ही दर्जा रहेगा और वह प्रथम दर्जा होगा ? माननीय मंत्री ने इस प्रश्न विशेष का जो उत्तर दिया वह मेरी समझ में नहीं आया । मैं उन से इसकी व्याख्या करने को कहूँगा ।

†**श्री अलगेशन** : अनेक बार इसकी व्याख्या की जा चुकी है । केवल दो दर्जे रखने का विचार है जो बाद में पहला और दूसरा दर्जा कहलायेंगे । शीतोष्ण-नियंत्रित दर्जा भी रहेगा ।

†**श्री बंसल** : उत्तर यह था कि दूसरे दर्जे को हटाकर तीसरे दर्जे को हटाया जायेगा, इसी से कई लोग उलझन का अनुभव कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डाभी ।

†**श्री डाभी** : अन्त में जब तीसरे दर्जे को हटा दिया जायेगा तो क्या भाड़ों में कोई वृद्धि होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या तीसरे दर्जे के हटाये जाने के परिणाम स्वरूप भाड़ों में कोई वृद्धि होगी ।

†**श्री अलगेशन** : नहीं, श्रीमान्, ऐसी कोई बात नहीं होगी ।

†**श्री कासलीवाल** : इस समय कुछ गाड़ियों में कुछ अधिभार देने पर तीसरे दर्जे में भी सोने का स्थान रक्षित कराया जा सकता है । क्या नये दूसरे दर्जे में वही बातें लागू की जायेंगी जो इस समय उपलब्ध हैं अर्थात् क्या स्थान रक्षित कराया जा सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जी हाँ । इस समय केवल कुछ ही गाड़ियों में तीसरे दर्जे में सोने के लिये स्थान रक्षित किया जाता है । इसे और भी बढ़ाया जायेगा ।

†**डा० रामाराव** : इस तथ्य को देखते हुए कि तीसरे दर्जे की हालत अब भी बहुत बुरी है और उसमें इतनी भीड़ होती है कि तीसरे दर्जे के डिब्बे में घुसना लडाई लड़ने के बराबर होता है (**एक माननीय**

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य : लड़ाई से भी अधिक) क्या सरकार तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बों की व्यवस्था करने की बजाये उच्चतर दर्जा बनाना वांछनीय नहीं समझती है ?

†**श्री अलगेशन** : हम और दर्जे नहीं बनाने जा रहे हैं। जहाँ कहीं से भी दूसरा दर्जा हटाया जायेगा वहां भीड़ को कम करने के लिये तीसरे दर्जे में स्थान बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा।

परिवार नियोजन

†*१९८७. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की प्रस्थापना जन संख्या और परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य का प्रभार लेने के लिये एक उच्च शक्ति स्वायत्तशासी बोर्ड गठित करने की है;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड कब गठित किया जायेगा; और

(ग) उक्त बोर्ड के सदस्य कौन होंगे ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हाँ।

(ख) और (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है और उसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

†**श्री गिडवानी** : प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : शीघ्र ही।

†**श्री गिडवानी** : इसमें कितने महीने लग जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शीघ्र ही।

†**श्री गिडवानी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि परिवार नियोजन को लोक-प्रिय बनाने और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को ऐसी सुविधाएं देने ताकि वह उसका पूरा लाभ उठा सकें और उन को, जिनकी हैसियत इन वस्तुओं को खरीदने की नहीं है, सादी, सस्ती, स्वीकार्य और प्रभावशाली औषधियाँ उपलब्ध करने के लिये भी क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : परिवार नियोजन कार्य को चलाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने चार करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में १८०० और नगरीय क्षेत्रों में ३०० परिवार नियोजन केन्द्र खोले जाने की प्रस्थापना है। योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद अन्य बातों पर विस्तारपूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री गिडवानी** : क्या मेडिकल कालिजों, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण स्कूलों और नर्सिग स्कूलों में और ऐसा ही अन्य संस्थाओं में पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप में परिवार नियोजन की प्रणालियों का प्रशिक्षण देने की प्रस्थापना है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इसके अतिरिक्त हम एक परिवार नियोजन गवेषणा केन्द्र और प्रशिक्षण संस्था प्रारम्भ करने का विचार कर रहे हैं जो उन सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देगी जिनको यह कार्य करना है।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** : माननीय मंत्री ने कहा कि वह देश भर में नये रूजालय खोलने जा रही हैं। समूचे भारत में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र मौजूद हैं। क्या यह सम्भव है कि यह केन्द्र उन लोगों को भी परामर्श देंगे जो वहाँ परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं माननीय महिला सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूँ कि इन्हीं स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत ही यह रूजालय कार्य करेंगे ।

†**डा० रामा राव** : केन्द्र और राज्य के चिकित्सा विभागों के विशाल संगठन को इस हेतु काम में लाने के बजाय इन स्वायत्तशासी निकायों को सरकार द्वारा आंशिक शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि यदि कोई स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाता है तो कुछ शक्तियाँ उसे केन्द्र से दी जानी होंगी ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : शब्द "स्वायत्तशासी" का अर्थ यह न लिया जाये कि भारत सरकार या राज्य सरकार भी अपनी शक्तियों को त्याग देंगी किन्तु शीघ्रता से निर्णय करने, और द्रुत गति से कार्य करने, तथा लाल-फीते से यथासंभव बचने के लिये यह सोचा गया था कि यदि कोई एक ऐसा मंत्रणा बोर्ड हो, जिसे कुछ शक्तियाँ दी जा सकती हों, तो उससे कार्य द्रुत गति से होगा ।

†**श्री बी० डी० पाँडे** : क्या मैं जान सकता हूँ कि हिन्दुस्तान में कुछ ब्रह्मचारी आश्रम खोलने का भी विचार किया जा रहा है जहाँ वे लोग जा कर रह सकें जो यह प्रतिज्ञा करें कि हम विवाह नहीं करेंगे ? यह प्रथा हिन्दुस्तान में बहुत पहले से चली आ रही है और उस वक्त क्लिनिक्स (रूजालयों) इत्यादि को कोई नहीं जानता था ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आश्रम खोलने के लिये कोई मुमानियत तो नहीं है और जो भी चाहे वह आश्रम खोल सकता है । मैं स्वयं आपसे सहमत हूँ कि संयम सबसे बेहतर चीज़ है ।

†**श्री बी० डी० पाँडे** : क्या मैं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री लिंगम का नाम पुकारा है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या मैं जान सकता हूँ कि रूजालय खोलने और सन्तान निरोध के तरीकों का प्रचार करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा त्रावनकोर-कोचीन जैसे क्षेत्रों में मछली, चावल और ओज़ोन के प्रभावों का नरीक्षण करने के लिये जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन से उक्त क्षेत्रों में बहुप्रजता को बढ़ाने में सहायता मिलती हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं सका हूँ ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कोई मतभेद है और इन प्रणालियों को देश भर में लागू करने से पूर्व क्या सरकार इस बात की जानकारी प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चय करेगी कि यह प्रणालियाँ हानिकारक नहीं हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : सरकार द्वारा किसी भी ऐसी प्रणाली का समर्थन नहीं किया जायेगा जो पूर्णतः सुरक्षित, सरल और हमारी परम्पराओं के अनुकूल नहीं है ।

†**श्री गिडवानी** : विभिन्न स्थानों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवार नियोजन के प्रकारों के सम्बन्ध में अब तक किये गये जाँच कार्य का क्या परिणाम निकला है ? क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण महिलाओं में भी कई केन्द्र हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हाँ । ग्रामीण जनता में और नगरीय जनों में भी काफी जागृति हुई है । किन्तु, किसी ऐसे कार्यक्रम में परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से तुरन्त ही दिखाया नहीं जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न के मूल्य

†*१९८८. **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में, बहुत दिनों से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). दक्षिण भारत के राज्यों समेत, सभी राज्यों में खाद्यान्नों के कुछ मूल्य बढ़े हैं ।

(ग) मूल्य की बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण ये हैं :

(१) खरीफ के जुआर बाजरे के उत्पादन में कमी तथा बाद में अन्य खाद्यान्नों का अधिक प्रयोग;

(२) व्यापार का सट्टा तथा अधिक पैमाने पर उत्पादन करने वालों द्वारा भंडार को एकत्रित करना ।

(घ) भारत सरकार ने खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्य को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्य किये हैं :

(१) खाद्यान्नों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।

(२) केन्द्रीय रक्षित भांडारों से अत्यधिक मात्रा में चावल को देना ।

(३) आन्तरिक बाज़ार में खाद्यान्नों के सरकार द्वारा खरीदने को बन्द करना ।

(४) महत्वपूर्ण केन्द्रों में केन्द्रीय भांडार से गेहूँ को देना ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में अकाल की दशा होती जा रही है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : दक्षिण भारत के मूल्य भारत के अन्य भागों के मूल्यों के समान हैं । दक्षिण भारत में खाद्यान्नों तथा विशेषतया चावल जोकि वहाँ की जनता द्वारा अधिकतर खाया जाता है, के मूल्य इतने नहीं बढ़े हैं । मूल्य लगभग १५ से २० प्रतिशत तक बढ़े हैं । हमारे तथा राज्यों के प्रयत्नों से मूल्य कम हो रहे हैं । यदि माननीय सदस्य कल के 'हिन्दू' तथा 'एक्सप्रेस' को देखें तो उन्हें जानकारी होगी कि उनमें समाचार दिया है कि चावल के मूल्य कम होने लगे हैं ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या भारत सरकार ने दक्षिण में एक खाद्यान्न भांडार बनाया है जिससे आपत्ति-काल में उसका उपयोग उठाया जाये ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हमारे अधिकांश खाद्यान्न भांडार बंगाल तथा दक्षिण में हैं ।

†**श्री बंसल** : लगभग एक सप्ताह पूर्व, इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुये मंत्री महोदय ने बताया था कि मूल्य बढ़ गये थे तथा अब कम हो रहे हैं । आज वह बता रहे थे कि मूल्य बढ़ रहे हैं ।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : जी नहीं ।

†**श्री बंसल** : जी हाँ, उन्होंने अभी कहा । तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि यदि भाव कल के 'हिन्दू' को देखें तो ज्ञात हो जायेगा कि मूल्य कम हो रहे हैं । यदि वह आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' को देखें तो उनको ज्ञात होगा कि मूल्य बढ़ रहे हैं । क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि क्या खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सचमुच उनकी कोई निश्चित नीति है क्योंकि इसी पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता आधारित है । क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह सभा को विश्वास में लें तथा बतायें कि मूल्यों के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : उपमंत्री के उत्तर का, माननीय सदस्य जैसा चाहें अर्थ लगा सकते हैं । परन्तु जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है, हम बड़े सावधान हैं । हम पूर्णतः जागरूक हैं तथा पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं । मूल्य कम हो रहे हैं ।

†**श्री सारंगधर दास** : जिन स्थानों पर गेहूँ तथा चावल का उत्पादन होता है उन स्थानों से फसल काटने के समय अनाज का निर्यात क्या चावल के अधिक मूल्यों का एक कारण है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : निर्बाध अर्थ व्यवस्था में, एक राज्य से दूसरे राज्य को चावल ले जाना गेहूँ अथवा चावल का निर्यात नहीं कहा जा सकता है । पंजाब की जनता, केवल पंजाब के लिये गेहूँ नहीं उगाती है बल्कि दिल्ली के पंजाबियों के लिये भी उगाती है । दिल्ली को पंजाब से गेहूँ लेना पड़ता है । यह सच है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से मूल्यों में परिवर्तन होता है तथा फसल के समय इसकी आवश्यकता रहती है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि खाद्यान्नों के मूल्य मैसूर राज्य में शत-प्रतिशत बढ़ गये हैं तथा यह गत सप्ताह तक था तथा क्या, सरकार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कुछ कमी हुई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह एक अतिशयोक्ति है । मैं बता चुका हूँ कि मोटे चावल के मूल्य, १५ प्रतिशत अथवा २० प्रतिशत से अधिक कभी नहीं बढ़े । मालदार व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कुछ अच्छे किस्म के चावलों के मूल्य लगभग ५० अथवा ६० प्रतिशत बढ़े हैं ।

†**श्री सारंगधर दास** : उड़ीसा में दो वर्षों से सूखा पड़ने तथा गत वर्ष बाढ़ के कारण, यह सभी को ज्ञात है कि अधिकांशतः फसलें नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि फसल के मौसम पर इस राज्य से दूसरे राज्य को अधिक खाद्यान्न ले जाया गया जिसके कारण अब कमी हो गई है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं परसों ही उड़ीसा में था । सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ । हमने उड़ीसा को ६०,००० टन चावल का आवण्टन किया है । हम प्रत्येक सप्ताह पाँच विशेष गाड़ियाँ चला रहे हैं । हमने १,२०० सस्ते अनाज की दूकानें खोल दी हैं तथा हमारा विचार, जहाँ भी मूल्य अधिक हों वहीं दूकान खोलने का है । विशेष गाड़ियों से चावल आने पर, मूल्य कम हो रहे हैं । हमने उड़ीसा की गरीब जनता को १६ रुपये प्रति मन राज सहायता प्राप्त मूल्य पर चावल देने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही की है ।

†**श्री फिरोज गान्धी** : कैश क्रैडिट व्यवस्था के अधीन बैंकों द्वारा एकत्रित खाद्यान्न भांडारों को ज़ब्त करने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है ? भांडारों को ज़ब्त करने में तथा जहाँ कमी हो उस स्थान पर इन भांडारों का उपयोग करने में क्या अड़चन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यही प्रश्न उन्होंने कुछ दिन पूर्व किया था ।

†**श्री फिरोज गान्धी** : यह महत्त्वपूर्ण है । यह प्रतिदिन का प्रश्न है । माननीय मंत्री को कम से कम इसका उत्तर देना चाहिये ।

†**श्री ए० पी० जैन** : स्थिति पूर्णतः काबू में है । हमारे पास परिस्थिति पर काबू पाने के लिये पर्याप्त भांडार है । एक ही समय में सभी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे की भाड़े की दरें

†१९९१. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक, चीनी, सीमेंट, दाल, लोहा तथा इस्पात और प्रतिदिन के लिये आवश्यक अन्य वस्तुओं की भाड़ा दरें कलकत्ता से गोहाटी तक, इतनी ही दूरी के अन्य स्थानों से अधिक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो भाड़े की दरों में भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). कलकत्ता तथा गोहाटी के बीच यातायात के भाड़े की दरें वही हैं जो शेष देश में लागू हैं तथा इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं है ।

परन्तु कलकत्ता से गोहाटी के यातायात सकरीगली तथा मनिहारी के बीच और अमिनगाँव तथा पाण्डू के बीच की दो नौका घाटों द्वारा होता है तथा इसीलिये कुछ खर्चा जैसे नाव, घाट तथा लादने, उतारने का खर्चा, भाड़े के सामान्य दरों के अलावा देना पड़ता है ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या प्रतिदिन के लिये आवश्यक वस्तुओं को सस्ते मार्ग से भेजना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** : सभी मार्गों का उपयोग किया जा रहा है । सभी रेल मार्ग तथा रेल व नदी मार्ग का अलग कोटा आवण्टित हैं । केवल दो दिन पूर्व आसाम के सभी माननीय सदस्यों का सम्मेलन हुआ था तथा इस पर पूर्ण रूप से चर्चा हुई थी, उस समय माननीय सदस्य भी उपस्थित थे । कुछ निर्णय किये गये थे । इन पर भी ध्यान रखा जायेगा कि इन भाड़ा दरों में अधिक अन्तर न रहे ।

दिल्ली का आयोजन

†*१९९२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में दिल्ली के विकास के लिये मास्टर प्लान बनाने के लिये नगर आयोजकों के एक दल को प्रतिनियुक्त किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह समिति यह कार्य कब तक पूरा कर लेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रारम्भिक मास्टर प्लान जून १९५६ के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस मास्टर प्लान के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं तथा क्या मैं जान सकता हूँ कि मास्टर प्लान से प्रथमत : औद्योगिक क्षेत्र बनाने हैं अथवा मेहतरों तथा जूते बनाने वालों को दिल्ली राज्य से बाहर निकालना है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं प्रश्न समझी नहीं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस मास्टर प्लान के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं ? मेरा विचार है मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, दिल्ली में मकान बड़े बेढ़ंगे तरीके से बने हैं तथा इस समस्या को सुलझाना सचमुच बड़ा कठिन हो गया है । इसलिये मंत्रिमंडल ने यह सोचा कि एक मास्टर प्लान बनना चाहिये । मूल मास्टर प्लान बेढ़ंगे निर्माण के कारण बेकार हो गया है तथा इसलिये हमें अन्य कार्यवाही करनी पड़ी और हमने समस्या पर विचार करने के लिये एक दल नियुक्त किया । उन्होंने कुछ कार्यों को पूर्ण कर दिया है । प्रथमत: अन्तरिम योजना के लिये आवश्यक अध्ययन,

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे, वर्तमान स्थिति को सुलझाने के लिये पुरानी योजना का नवीकरण; तीसरे मूल गवेषणा तथा अन्त में एक विश्लेषण जो समाप्त होने जा रहा है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या इस मास्टर प्लान का एक भाग गन्दी बस्तियों की सफाई भी है तथा क्या इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले छः लाख व्यक्तियों को दूसरे निवास स्थान दिये जायेंगे ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : बिल्कुल, यह दल गन्दी बस्तियों की सफाई की भी सिफारिश करेगा । गन्दी बस्तियों की सफाई हो रही है । इस सम्बन्ध में भी हम कार्य कर रहे हैं तथा मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकती हूँ कि उन क्षेत्रों में हम विस्थापित व्यक्तियों को निवास स्थान देने का प्रयत्न करेंगे अथवा यदि वह भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में रह रहे हैं तो हम उनको तब तक वहाँ से नहीं हटायेंगे जब तक उन्हें दूसरे स्थान तथा ऐसे स्थान, जहाँ वह अपने जीवनयापन के लिये कमा सकें, नहीं देंगे ।

†**श्री सी० डी० पाँडे** : क्या यह सच है कि मास्टर प्लान की प्रतीक्षा किये बिना ही सरकार ने लाल क़िले के सामने क्वार्टर बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं, जहाँ की भूमि बड़ी कीमती है तथा जहाँ बड़े भवन बनने चाहियें और स्थान का उपयोग हो सके ? इस समय वहाँ केवल गोदाम बनाये जा रहे हैं ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : बहुत से काम किये गये जो नहीं होने चाहिये थे ।

†**श्री सी० डी० पाँडे** : परन्तु यह आज हो रहा है ।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : परन्तु हम और निर्माण बन्द कर रहे हैं ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री ने अपने प्रतिभाशाली सहयोगी प्रधान मंत्री की इस क्रान्तिक... योजना अथवा विचार पर ध्यान दिया है कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों को जला देना चाहिये ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस प्रकार के पूर्ण नष्ट भ्रष्ट से इच्छित उद्देश्य पूर्ण होने में सहायता नहीं मिलेगी ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या इस मास्टर प्लान का यह अर्थ तो नहीं है कि गरीब जनता को हटा कर, दूर भेज दिया जाये ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी नहीं । हम इन व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों में निवास स्थान देने का प्रयत्न करेंगे जहाँ ये अपना व्यवसाय कर सकें ।

†**श्री कासलीवाल** : हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई तथा मास्टर प्लान में २०० करोड़ रुपया व्यय होगा । क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार इस धन को किस प्रकार एकत्रित करने का विचार कर रही है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य यह आंकड़े कहाँ से लाये ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह सभी समाचारपत्रों में हैं ।

†**राजकुमारी अमृतकौर** : परन्तु जो वित्तीय संसाधन हमें उपलब्ध हैं उन्हीं में से जो हम कर सकते हैं, करेंगे ।

नारियल गवेषणा केन्द्र

†*१९९३. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में कुछ और नारियल गवेषणा केन्द्र खोलने की अपनी योजना भेज दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) क्या भारत सरकार मैसूर राज्य के मलनाद भाग में कोई नारियल गवेषणा केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी हाँ, तंजौर ज़िले में एक गवेषणा केन्द्र के सम्बन्ध में ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : मद्रास राज्य द्वारा प्रस्तावित केन्द्र पर कितना व्यय होगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मूलत: इस केन्द्र के लिये १५ एकड़ भूमि की प्रस्तावना थी । अब उस ने इसे बढ़ा कर ३० एकड़ कर दिया है जिसकी लागत २,१९,८०२ रुपये होगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे केन्द्रों के लिये हमने कुछ राशी उपबन्धित की है ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने केन्द्र खोले जाने की प्रस्तावना है ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

भूली में रेलवे फ़ैक्टरी

†*१९९५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वचालित सिगनलिंग उपकरणों के निर्माण और मरम्मत के लिये धनबाद के पास भूली में एक फैक्टरी स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी का बनना कब प्रारम्भ होगा; और

(ग) क्या उक्त उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये एक स्कूल भी स्थापित करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्री टी० बी विट्ठल राव** : क्या रेलवेज़ के अन्तर्गत कोई ऐसी वर्कशॉप है जहाँ कि सिगनलिंग उपकरण बनाया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हाँ, कई वर्कशॉप हैं । पूर्व रेलवे पर ही हावड़ा में एक वर्कशॉप है और इसमें विस्तार करने का विचार है । अन्य रेलवेज़ में भी वर्कशॉप स्थापित करने अथवा विद्यमान वर्कशॉपों में विस्तार करने की योजना है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या सिगनलिंग उपकरण के निर्माण में प्रशिक्षण के लिये कोई स्कूल खोलने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि सम्बन्धी वर्कशॉप

†*१९९७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये प्रश्न संख्या १०९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी वर्कशॉप स्थापित की गई हैं अथवा करने का कोई इरादा है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कृषि सम्बन्धी वर्कशॉप संगठित करने के लिये आवश्यक कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध है; और

(ग) क्या इन वर्कशॉपों में गांवों के युवकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है ?

†**कृषि मंत्री (श्री पी० एस० देशमुख)** : (क) कृषि सूचना वर्कशॉप अब तक छः राज्यों में संगठित की जा चुकी हैं, नामतः हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, भोपाल, त्रावनकोर-कोचीन और पश्चिमी बंगाल। अन्य राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, आसाम, उड़ीसा, आन्ध्र, मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, विन्ध्य प्रदेश, पंजाब और पेप्सू में चालू वर्ष में वर्कशॉप स्थापित करने का विचार है ।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री मादिया गौडा** : इन वर्कशॉपों में किस प्रकार का कार्य किया जाएगा और क्या सरकार ने वहाँ किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमारे पास इन वर्कशॉपों में काम करने की स्कीम है। इसका मुख्य ध्येय यह है कि किसानों को तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं को अधिकतम सम्भव कृषि सम्बन्धी सूचना ग्राह्य रूप में उपलब्ध कराई जा सके।

†**श्री मादिया गौडा** : यदि गांवों के युवकों को इन कृषि वर्कशॉपों में प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किन को प्रशिक्षित किया जाएगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमारे पास कुछ लोग हैं जो राज्यों के अधिकारियों को तथा उन लोगों को जो कृषि सम्बन्धी सूचना के विषय कुछ जानते हैं प्रशिक्षित करते हैं।

†**श्री मादिया गौडा** : इन वर्कशॉपों में प्रशिक्षण पाने के बाद ये अधिकारी क्या काम करेंगे ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : ये वर्कशॉपें केवल प्रशिक्षण के लिये नहीं हैं। यह कृषि सूचना सम्बन्धी साहित्य भी सर्जित किया जाता है। यह साहित्य कृषकों में वितरित किया जाएगा ।

रेलवे गार्डों के लिये वर्दियाँ

†*१९९८. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वह आश्वासन याद है जो उन्होंने रेलवे आय-व्ययक (बजट) पर विवाद के समय दिया था कि मध्य रेलवे के कण्डक्टर गार्डों को भी और रेलवे गार्डों की तरह वर्दियां मिलेंगी, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह आश्वासन पूरा किया जा चुका है अथवा पूरा किया जा रहा हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। मध्य रेलवे के लिये पहले ही आर्डर जारी किये जा चुके हैं।

फसलों का संरक्षण

†*२०००. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टेकनीकल सहायता बोर्ड द्वारा भारत को दो रूसी विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करायी गई है जो कि वायु द्वारा फसलों पर कीटाणुनाशक दवाओं को छिड़कने की तकनीक के विशारद हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में स्वीकृति दे दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया से वैगन

†*१९६८. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत सरकार को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत २००० रेलवे वैगन प्रदान करने के लिये पश्चिमी आस्ट्रेलिया की टॉमलिनसन्स लिमिटेड को आर्डर दिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हाँ ।

श्री भक्त दर्शन : यह डब्बे किन शर्तों पर आस्ट्रेलिया से मँगाए जा रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : ये कोलम्बो योजना के अन्तर्गत मिल रहे हैं । आस्ट्रेलिया सरकार ने २,००० एम० जी० वैगन प्रदाय करने का जिम्मा लिया है और माल पहुंचाने की तारीखें निश्चित हो गई हैं । किन्तु वैगनों का आना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । शीघ्र ही उनके आने की आशा है ।

श्री भक्त दर्शन : इस फर्म से इससे पहले भी क्या डिब्बे मंगाये गये थे और यदि हाँ, तो चूंकि वे अच्छे साबित हुए हैं इसलिये और मंगाए जा रहे हैं या चूंकि ये बिना कीमत मिल रहे हैं इस वास्ते मंगाए जा रहे हैं ।

†**श्री अलगेशन** : यह आर्डर आस्ट्रेलिया सरकार ने इस फर्म को दिया है । हमारी सीधे उस फर्म से कोई बात नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या नार्थ ईस्टर्न (पूर्वोत्तर) रेलवे को भी और डिब्बे देने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूँ कि आस्ट्रेलिया से जो वैगन हमें मिलने जा रहे हैं उनके मुकाबले में देश में बने वैगनों का मूल्य क्या है क्योंकि इंजिनों के मामले में, जो इंजिन हमें अमेरिका से टेकनीकल सहयोग सहायता के अन्तर्गत मिल रहे हैं उनका मूल्य प्रति इंजिन १० लाख रुपये है जब कि देशी इंजिनों का ५·५ लाख रुपये ?

†**श्री अलगेशन** : यह दूसरी चीज़ है । यह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता । प्रस्तुत प्रश्न कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से आने वाले वैगनों के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य बिलकुल दूसरी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि आस्ट्रेलिया के डिब्बों की कीमत हमारे डिब्बों के मुकाबले में कितनी है । दूसरी चीज़ तो मैंने उदाहरणस्वरूप दी थी ।

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में हमारे देश के मूल्यों में तथा इन सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में कोई तुलना नहीं है क्योंकि वे स्वयं इन चीज़ों के प्रदाय का जिम्मा लेती हैं । इस मामले में, एक वैगन का मूल्य १२१३·५ पौंड (आस्ट्रेलियाई) हो सकता है और एक पौंड १० रुपये के बराबर है । यह मूल्य भारत के वैगन से थोड़ा अधिक हो सकता है ।

†**श्री राघवैया** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्बन्धित सरकार इन वगनों को देगी । क्या मैं जान सकता हूँ कि उस सरकार द्वारा जो वैगन दिये जायेंगे क्या उनका मूल्य हमें देना पड़ेगा ? यदि मूल्य हमें देना पड़ेगा तो स्वभावतः ही वैगनों का मूल्य जानने की आवश्यकता है । इसलिये क्या माननीय मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

हमें बता सकेंगे कि रुपये, आने और पाई में हमारे यहाँ निर्मित तथा वहाँ की सरकार द्वारा दिये जाने वाले डिब्बों का मूल्य क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : भारत सरकार इसका मूल्य नहीं चुकाती । किन्तु रेलवे मंत्रालय वित्त मंत्रालय को एक विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान करने को सहमत हो गया है । ये मूल्य उन मूल्यों के बराबर नहीं भी हो सकते जिन पर कि हम इन चीज़ों को विदेशों से मंगाते हैं ।

†**श्री बंसल** : क्या हमारे देश की वेगन-निर्माण की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने बने बनाए वेगनों के स्थान पर इस्पात आयात करने के औचित्य पर विचार किया है जिससे कि इस में रोज़गारी भी बढ़ सके ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य जैसे जानकार व्यक्ति के मस्तिष्क में भी इन दो चीज़ों के बारे में भ्रम है । ये चीज़ें हमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिल रही हैं । प्रस्तुत मामले में वैगन हमें कोलम्बो योजना के अन्तर्गत मिल रहे हैं । देशी निर्माण पर इसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । वैगनों के निर्माण की देश में जो भी क्षमता है न केवल उसका पूरा उपयोग किया गया है अपितु उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । अब यह सौ प्रतिशत बढ़ गई है । कुछ वर्ष पूर्व केवल ७,००० वैगनों का उत्पादन था, अब १३,००० से १४,००० वैगन उत्पादित किये जाते हैं ।

वियना चिकित्सा अकादमी

†*१९७०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि वियना चैकित्सक अकादमी ने चिकित्सा तथा शल्योपचार के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिल करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस पाठ्यक्रम के लिये चुनाव किस प्रकार किया जायगा ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रस्ताव भारतीय उम्मदवारों से किया गया है इसलिये सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूचना प्रदर्शित करते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५४]**

†**डा० रामा राव** : क्या ये उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों तक ही सीमित हैं अथवा स्नातकों को भी भेजा जाता है, और यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में कितनों को भेजा गया ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये लाइसेंस प्राप्तों को लिया जाता है और डिग्री पाठ्यक्रम के लिये एम० बी० बी० एस० को ।

† **डा० रामा राव** : कितने लिये गये हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : सन् १९५० से विद्यार्थी वर्ष में दो बार जाते रहे हैं । भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :

अक्तूबर,	१९५०	३
	१९५१	३
अप्रैल,	१९५२	७

†मूल अंग्रेजी में

अक्तूबर, १९५२	४
अप्रैल, १९५३	२
अक्तूबर, १९५३	३
अप्रैल, १९५४	३
अक्तूबर, १९५४	—
अप्रैल, १९५५	२
अक्तूबर, १९५५	दो उम्मेदवार चुने गये किन्तु वे अकादमी म गए नहीं।
अप्रैल, १९५६	तीन उम्मेदवार चुने गये किन्तु वे अकादमी में जायेंगे।

†**श्री तिमय्या** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या १९८३ का उत्तर दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न श्री सत्यवादी के नाम में है। क्या माननीय सदस्य श्री सत्यवादी ने श्री तिमय्या को अधिकृत किया है? मैं देखता हूँ कि केवल श्री श्रीनारायण दास ने श्री राधा रमण को अधिकृत किया है, किन्तु श्री राधा रमण भी मौजूद हैं।

†**श्री तिम्मया** : जी नहीं, लेकिन कृपया आप यह अनुमति दे दें।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या मुझे प्रश्न संख्या १९९९ पूछने की अनुमति है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उस पर आ रहा हूँ।

†**श्री सी० डी० पाँडे** : प्रश्न संख्या १९८९ का उत्तर दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अभी इन प्रश्नों पर आता हूँ। पहले मैं उन प्रश्नों को समाप्त करता हूँ जिनके प्रश्नकर्त्ता शुरू में अनुपस्थित थे। मैं देखता हूँ कि वे माननीय सदस्य अब भी अनुपस्थित हैं। श्री टी० बी० विट्ठल राव कौन से प्रश्न का उत्तर चाहते हैं?

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : प्रश्न संख्या १९९९।

मजूरी आयोग

†*१९९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी आयोग की नियुक्ति के बारे में कोई विनिश्चय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वह आयोग सम्भवत: कब तक स्थापित किया जायगा, और

(ग) इसके संभाव्य निर्देश पद क्या हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). मजूरी आयोग की स्थापना का प्रश्न अभी परीक्षण के अधीन है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : कुछ समय पहले हमें श्रम तालिका बैठक में बताया गया था कि सरकार मजूरी आंकड़े इकट्ठा करने का विचार कर रही है। इस काम में कहाँ तक प्रगति हुई है?

†**श्री आबिद अली** : काम अभी शुरू नहीं हुआ है। यह सोचा गया था कि महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये कुछ मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जा सकते हैं। किन्तु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी और इसलिये हम विद्यमान मजूरी दशाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। वह काम अभी नहीं प्रारम्भ हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये व्यवस्था की गई है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या एक मजूरी आयोग नहीं होगा, किन्तु उद्योगों के अनुसार अनेक मजूरी बोर्ड होंगे ?

†**श्री आबिद अली** : महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड होंगे जो मजूरी आयोग के प्रारम्भिक होंगे ।

†**श्री कामत** : जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अच्छी तरह चालू की गई है, क्या राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के निर्धारण का विषय सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हमें पहल सामग्री इकट्ठा करनी है । तब विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जायेंगे । उसके बाद मजूरी आयोग की नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित होगा । वास्तव में वर्तमान मजूरी ढाँचे का वैज्ञानिकन करने का आशय है । मजूरी पद्धति समाजवादी ढाँचे के उद्देश्य से संगत होनी चाहिये ।

†**श्री कामत** : राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के विषय में आप क्या कहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये बोर्ड स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की प्रतिक्षा करें ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मंत्री ने बताया था कि मजूरी बोर्ड महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये स्थापित किये जायेंगे । वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं जहाँ मजूरी बोर्ड स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : वे उद्योग अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री राघवैया** : क्या मैं जान सकता हूँ कि जाँच की जायगी. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न उठा रहा हूँ ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या १९८३ का उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अस्तु ।

मेहतरों सम्बन्धी समिति

†*१९८३. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेहतरों के रहन-सहन की दशाओं की जाँच करने के लिये क्या सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है या नियुक्त करने का विचार करती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : नहीं ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रश्न संख्या १९८९ का उत्तर दिया जाये ? वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हाँ ।

टेल्को रेलवे इंजन

†*१९८९. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेल्को रेलवे इंजन का मूल्य उसी प्रकार के रेलवे इंजन के तटागत मूल्य की तुलना में कितना है और चित्तरंजन रेलवे इंजन का मूल्य उसी प्रकार के रेलवे इंजन के तटागत मूल्य की तुलना में कितना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चित्तरंजन के रेलवे इंजनों के मूल्य की तुलना में टेल्को रेलवे इंजनों के मूल्य में कोई क्रमिक घटती दिखाई पड़ती है;

(ग) यदि टेल्को रेलवे इंजनों का मूल्य उसी प्रकार के रेलवे इंजनों के तटागत मूल्य से अधिक है, तो जबसे करार हुआ है तब से सरकार ने टेल्को को कितना अतिरिक्त धन दिया है; और

(घ) यदि टेल्को ने कोई प्रगति नहीं दिखाई है तो क्या उसे सरकारी क्षेत्र के अधीन लेने की कोई प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) सरकार ने ६६ इंजनों के लिये "विकास अवधि" के दौरान में भारत में रेलवे इंजन निर्माण के विकास पर खर्च के रूप में लगभग ११३ लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी है ।

(घ) नहीं ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : इस बात को देखते हुए कि इस विशिष्ट मामले में निजी उपक्रय द्वारा निर्माण में अधिक लागत लगती है, क्या सरकार चितरंजन रेलवे-इंजन निर्माण कार्य को बढ़ाने की संभावना पर विचार करेगी ताकि वह सस्ते मूल्य पर अधिक इंजन निर्माण कर सके ?

†**श्री अलगेशन** : टेल्को निर्मित रेलवे इंजनों के मूल्य का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया है वे उस विषय पर विचार कर रहे हैं । इस दिशा में कोई कार्यवाही करने के पूर्व हमें उस जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो कब ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंन कहा कि हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : रेलवे इंजन मूल्यों का प्रश्न ९ महीने पूर्व प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस विषय का विवेचन करने के लिये उन्हें एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करनी थीं जो आसानी से उपलब्ध नहीं था । अब मेरे विचार से ब्रिटेन के एक विशेषज्ञ उपलब्ध हैं । ज्यों ही वे पदभार सम्भालेंगे, वे इस जाँच के सम्बन्ध में कुछ विचार कर सकेंगे ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार स्वतः रेलवे इंजन बना रही है, प्रशुल्क आयोग को यह प्रश्न सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सामग्री है और तुलना बहुत सरल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने उत्तर दे दिया है ।

†**श्री अलगेशन** : चितरंजन कारखाने में हम बड़ी लाईन के रेलवे इंजन बना रहे हैं । टेल्को छोटी लाईन के रेलवे इंजन बना रहा है । अतः यह अधिक अच्छा है कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण इस प्रश्न का निर्णय करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पश्चिमी घाट पर नाविकों की हड़ताल

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. श्री एम० डी० जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एस० एन० कम्पनी, लिमिटेड के तटीय जहाज़ों पर उपाहारगृह के कर्मचारियों ने, विभिन्न पत्तनों पर लाइटर्स के नाविकों और बी० एस० एन० कम्पनी, लिमिटेड के जहाज़ों के नाविकों ने इसलिये हड़ताल की है कि उनकी मांगें मंजूर नहीं की गई हैं;

(ख) कुल कितने कर्मचारियों ने हड़ताल की है;

(ग) क्या बम्बई और पश्चिमी घाट पर तटीय पत्तनों के बीच स्टीमर सर्विस एक हफ्ते से अधिक समय से बन्द है;

(घ) क्या स्टीमर सर्विस बन्द हो जाने से विभिन्न पत्तनों में हज़ारों यात्री रुक गये हैं और उन्हें अपना सामान्य कार्य करने और अपने काम पर हाजिर होने से रोका गया है;

(ङ) क्या स्टीमर सर्विस बन्द हो जाने से कोंकण के आय के व्यापार को बहुत भारी हानि हुई है और लाखों रुपये का नुक्सान हुआ है; और

(च) सरकार ने (१) स्टीमर सर्विस चालू करने और (२) हड़ताली कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) ८८२ ।

(ग) जी हाँ । २४ अप्रैल, १९५६ से स्टीमर सर्विस बन्द कर देनी पड़ी ।

(घ) यह ज्ञात हुआ है कि बी० एस० एन० कम्पनी की स्टीमरों से साधारणतया ३,००० यात्री रोज सफर करते हैं और यह सर्विस बन्द करने के फलस्वरूप इन यात्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है । फिर भी यह ज्ञात हुआ है कि स्थिति सुधारने के लिये बम्बई राज्य परिवहन ने कुछ अतिरिक्त बसें चालू की हैं ।

(ङ) यह ठीक है कि कोंकण के आम के व्यापार को धक्का पहुँचा है । फिर भी स्टीमर सर्विस के बन्द हो जाने से आम के व्यापार को कितनी हानि उठानी पड़ी है इसका अंदाजा लगाना सम्भव नहीं हुआ है ।

(च) जहाजी मजदूर संघ, बम्बई, और सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के बीच चर्चा चल रही है और नौवहन के महासंचालक मैत्रीपूर्ण निबटारा करने के उद्देश्य से दोनों दलों के सम्पर्क में हैं ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या इस विवाद के सम्बन्ध में नाविक कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा मध्यस्थता की मांग की है ?

†**श्री अलगेशन** : कम्पनी और संघ के नेताओं के बीच कुछ बातचीत चल रही है । जैसा कि मैंने बताया है, परिवहन के महासंचालक के प्रभाव का उपयोग किया जायगा जब कि उनसे इस विषय में मदद माँगी जायगी । बातचीत चल रही है और वह उस दशा में है । मैं नहीं कह सकता कि वे इस सम्बन्ध में मध्यस्थता करेंगे या नहीं ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या ४०० हड़ताली कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं और स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : हाँ । यहाँ मुझे यह जानकारी मिली है कि ४८० लोग गिरफ्तार किये गये हैं । मैं नहीं जानता कि किन दशाओं में वे गिरफ्तार किये गये थे । कदाचित् वह इस तथ्य के कारण हो सकता है उनके हटाये जाने के बाद भी वे ठहरे रहे । सम्भव है कि उसे अनधि प्रवेश समझा गया हो, मैं नहीं कह सकता ।

†**श्री काजरोल्कर**: क्या हजारों गोदी-कर्मचारियों द्वारा उनकी सहनुभूति में हड़ताल की धमकियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ? यदि हाँ, तो उन हड़तालों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन** : मै उसका उत्तर दे चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे पूछते हैं कि और आगे हड़तालों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री अलगेशन** : हम आशा करते हैं कि इसका निपटारा होगा । मैं किसी के द्वारा और आगे हड़ताल की कल्पना नहीं क्रता ।

†**श्री अशोक मेहता** : क्या सरकार का ध्यान अन्य छः नौवहन कम्पनियों को दी गई सूचनाओं की ओर और सभी नौवहन लाईनों पर हड़ताल की सम्भावना और निकट भविष्य में सम्पूर्ण तटीय नौवहन बन्द कर दिये जाने की ओर आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : ये सभी कोंकण तट और सौराष्ट्र तथा कच्छ तट पर भी चलने वाली सवारी सेवाएं हैं । मैं नहीं जानता कि अन्य कम्पनियों को भी हड़ताल की सूचनाएं दी गई हैं ।

†**श्री अशोक मेहता** : क्या निकट भविष्य में हड़ताल बढ़ाये जाने की संभावना के सम्बन्ध में सरकार जाँच करेगी ? यदि ऐसी कोई सम्भावना हो तो क्या सरकार इस हड़ताल का मैत्रीपूर्ण निबटारा कराने के लिये कोई सक्रिय कार्यवाही करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : निश्चय ही हम इस सम्बन्ध में जाँच करेंगे । जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय में मैत्रीपूर्ण निबटारा कराने के लिये महासंचालक का प्रभाव उपलब्ध होगा ।

†**श्री साधन गुप्त** : किन माँगों पर यह स्थिति इतनी बढ़ गई है ?

†**श्री अलगेशन** : कई मद हैं जैसे मजूरी में बढ़ती, उपदान, बोनस आदि दिया जाना । किन्तु मुझे बताया गया है कि कर्मचारियों की मुख्य माँग बोनस का दिया जाना है ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं जान सकता हूँ कि हड़ताल शुरू करने से पूर्व क्या वैधिक समझौता तथा पंचनिर्णयन की कोशिश की गई थी ? दूसरे शब्दों में क्या हड़ताल वैध है अथवा अवैध ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूँ । स्पष्टतया इस मामले पर संघ तथा सम्बन्धित नौवहन समवाय के बीच पत्रव्यवहार होता रहा है, मेरी सूचना यह है कि गत अक्तूबर में, संघ ने नौवहन समवाय को अपनी माँगें बता दी थीं । तो यह हड़ताल आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई है, ऐसी बात नहीं है ।

†**श्री एम० डी० जोशी** : क्या सरकार को मालूम है कि यात्रियों तथा कर्मचारियों के प्रति कम्पनी के कठोर रवैये के विरुद्ध भारी असंतोष फैल रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य ज़ोरदार तरीके से सदन में यह विचार प्रकट करते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें

†*१९७३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ तथा गाजियाबाद में रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के लिये कोई भी जनाना डाक्टर नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार उन स्थानों पर रेल कर्मचारियों के परिवारों के लिये जनाना डाक्टरों की व्यवस्था करने का विचार करती है; तथा

(घ) यदि हाँ, तो यह कब किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) गाजियाबाद की रेलवे बस्ती में प्रसूति के मामलों को निभाने के लिये एक नर्स-दाई पहले ही नियुक्त की जा चुकी है । मेरठ में रेलवे कर्मचारियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं कि वहां एक जनाना डाक्टर रखी जाये ।

(ग) तथा (घ). मेरठ तथा गाजियाबाद में रेल कर्मचारियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं कि वहां जनाना डाक्टर रखी जायें; परन्तु चालू वर्ष के दौरान में मेरठ में तथा बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में गाजियाबाद में एक शिशु कल्याण तथा प्रसूति केन्द्र खोला जायगा ।

रेलवेज़ में आंग्ल-भारतीयों की भर्ती

†*१९७४. **श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे सेवा आयोग, मद्रास द्वारा १९५५ में विज्ञापित पदों में से कितने पद आंग्ल-भारतीय जाति के लिये रक्षित रखे गए थे;

(ख) इन पदों के लिये कितने आंग्ल-भारतीयों ने प्रार्थना पत्र भेजे;

(ग) इन पदों के सम्बन्ध में कितने आंग्ल-भारतीयों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया; और

(घ) इन पदों के लिये कितने आंग्ल-भारतीय चुने गए ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९१

(ख) ६७५

(ग) ३०५

(घ) १९१

ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल

†*१९७६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने के दो प्रस्ताव हैं, एक तो अमीनगाँव के पास और दूसरा पाँडू से बोंगाईगाँव तक नई रेलवे लाइन के लिये जोगीघोपा के पास । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उत्तरावधि में जब कभी इस के लिये निधि प्राप्त हो सकेगी तब इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता पत्तन

†*१९७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता बन्दरगाह, उसके पत्तनों और स्टीमरों में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की संख्या कितनी है ? ‡

कलकत्ता डाकयार्ड

†*१९९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता डाकयार्ड, बन्दरगाह, पत्तनों और जहाजरानी में काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५६]**

"अंधा शीशी" की झाड़ियां

†*१९८०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ६ अप्रैल १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अंधा शीशी" की झाड़ियाँ नष्ट करने के लिये २–४–डी ईथिल ईस्टर छिड़कने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ और उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या सरकार राजस्थान और मध्य भारत के किसानों को अगली वर्षा समाप्त होने से पहले यह इन झाड़ियों को नष्ट करने वाला पदार्थ प्रदान करेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) किसानों के खेतों में किसी बड़े पैमाने पर यह औषधि नहीं छिड़की गई । अभी तक प्रयोग के रूप में उसे छिड़का गया है ।

(ख) बम्बई, भोपाल और नई दिल्ली की भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में यह काम किया गया है । पता चला है कि २–४–डी ईथिल ईस्टर इस झाड़ी को सफलता से नष्ट कर सकती है ।

(ग) नहीं । सरकार इस नाशक तत्त्व को नहीं बाँटती है किन्तु उसके उपयोग की किसानों से सिफारिश करती है जो इसे बाजार से खरीद सकते हैं ।

उर्वरक

†*१९८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ९ सितम्बर १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य घटाने के बारे में अंतिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष किसानों को उर्वरक किस दर पर मिल सकेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ श्रीमान्। १९५५ में अमोनिया सल्फेट के थोक दामों को घटाना सम्भव नहीं था । १९५६ के बारे में यद्यपि दामों का अंतिम निश्चय नहीं किया गया था तथापि आयात किये गये सामान के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए उसके दाम घटाना सम्भव नहीं जान पड़ता ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

‡इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न (तारांकित प्रश्न संख्या १९९६) के साथ दिया जायगा ।

ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र

†*१९९०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत का प्रथम ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र बैरागढ़ में खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र कहाँ खोला जाय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे में आंग्ल-भारतीयों के लिये स्थान-रक्षण

†*१९९४. **श्री फ्रेंक एन्थनी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में रेलवे में आंग्ल-भारतीय जाति के लिये रक्षित स्थानों की संख्या कितनी है; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक रेलवे में आंग्ल-भारतीयों द्वारा पूरे किये गये स्थानों की वास्तविक संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). १९५५ के केलेण्डर वर्ष की सूचना प्राप्त है और सभा पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५८]**

मनिहारी घाट पर नाव सेवा

†*२००१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनिहारी घाट पर बजड़ों के स्थान पर माल ढोने वाली नाव रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

झरिया कोयला-क्षेत्रों में पानी की कमी

†*२००२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २४ अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित पी० टी० आई० के इस समाचार की ओर गया है कि झरिया कोयला-क्षेत्रों में पानी छः आने से आठ आने गैलन मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बिहार सरकार से ठीक-ठीक सूचना माँगी गई है; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हाँ ।

(ख) और (ग). बिहार सरकार ने हमें सूचित किया है कि झरिया पानी बोर्ड द्वारा अपने जल सम्भरण में तोपचाँची झील से सहायता लेने के कारण, संतोषप्रद सम्भरण किया गया है, इन कोयला क्षेत्रों म इसी बोर्ड द्वारा जल का प्रबन्ध किया जाता है । जिन क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा प्रबन्ध नहीं है वहाँ कुओं और अन्य जलाशयों का पानी काफी नीचा हो गया है । पिछले दो वर्षों से वहाँ बहुत कम पानी बरसा है, इन क्षेत्रों में पानी भरने वालों ने दाम बढ़ा दिये हैं । बिहार सरकार की यह धारणा है कि धनबाद नगरपालिका और सम्बन्धित व्यक्ति स्थिति को सुधारने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम रेल सम्पर्क में विच्छेद

†*२००३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में उत्तरी बंगाल और आसाम के बीच रेल सम्पर्क में विच्छेदों के कारण मरम्मत का व्यय, यातायात सम्बन्धी हानि और समय नष्ट होने के कारण कितनी हानि हुई;

(ख) ऐसे विच्छेदों को रोकने के लिये क्या कोई योजनायें विचाराधीन हैं;

(ग) क्या कोई योजनायें क्रियान्विति के लिये स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) क्या आसाम सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में अलीपुर दोर और सिलीगुड़ी के बीच अतिरिक्त लाइन बनाने के लिये निवेदन किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय १९५५ के विच्छेदों से है। स्थायी और अस्थायी मरम्मतों का व्यय ५२ लाख रुपया है और ६५ दिन तक यातायात बन्द रहा। इस की हानि का ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(ख) सम्पर्क मार्ग को मजबूत बनाने के और उसके उपाय ढूंढने के लिये एक समिति बनाई गई है ।

(ग) जो योजनायें आवश्यक हैं वे पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

(घ) हाँ ।

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन

†१७९८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर डाकघरों में टेलीफोन मौजूद हैं क्या वहाँ रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उत्तर रेलवे (बीकानेर खण्ड) के बीकानेर, सरदारशहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, और चूरू स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगायें जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) डाक और तार विभाग की सदैव यह नीति रही है कि यदि किन्हीं स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हों तो उचित माँग होने पर वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की जाती है।

(ख) बीकानेर रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन मौजूद हैं। इस समय सुजानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ और चूरू, स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई विचार नहीं है।

सीसे के कारखाने में मजदूर

१७९९. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) कटरासगढ़ (बिहार) में सीसे के कारखाने में मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि वहाँ पर उनके रहने और दवादारू की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और

(ग) यदि हाँ, तो इन सुविधाओं को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सूचना प्राप्त की जा रही है जो कुछ समय पश्चात् सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

†मूल अंग्रेजी में

यात्री सुविधायें

†१८००. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी खण्ड में कौन सी यात्री-सुविधायें देने का विचार था; और

(ख) मार्च १९५६ के अन्त तक कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित यात्री-सुविधायें देने का विचार था :

(१) सामलोटी में यात्रियों के लिये प्रतीक्षा स्थान का उपबन्ध करना ।

(२) नगरोटा में पटरी के बराबर वाले प्लेटफार्म पर सीमेंट कंकरीट डालना ।

(३) कांगड़ा, नूरपुर रोड, मंगवाल, कोपर लेहार, अन्नूर तलारा और जानवाला शहर स्टेशनों के पुराने प्लेटफार्मों की मरम्मत कराना ।

(४) भरमार और सामलोटी के पटरी के बराबर के प्लेटफार्मों को सीमेंट का बनाना ।

(५) कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, बैजनाथ पपरोला और जोगिन्द्रनगर स्टेशनों पर बिजली लगाना ।

(६) परोर और अन्नूर के प्रतीक्षालयों को बढ़ाना ।

(७) भरमार, गुलेर और कोपार लेहार स्टेशनों पर मिट्टी का साया बनवाना ।

(८) नगरोटा में तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों पर गेबिल एण्ड की व्यवस्था करना ।

(ख) मार्च १९५६ तक ये सब काम हो चुके हैं । केवल अन्नूर के प्रतीक्षालय का विस्तार कार्य बच रहा है जो उस स्टेशन के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव के कारण रोक लिया गया है ।

पंजाब में डाक सुविधायें

†१८०१. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब में किन स्थानों पर डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव था और उन की संख्या कितनी है; और

(ख) मार्च १९५६ के अन्त तक वे कहाँ-कहाँ खोले गये हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिना टिकट के यात्रा

†१८०२. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंहभूम ज़िले में दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिना टिकट की यात्रा को रोकने के लिये नये वर्ष के दिन कौन-कौन सी कार्यवाही की गई थी;

(ख) उस दिन बिना टिकट के यात्रा करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ख) ३२२ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनसे अतिरिक्त किराये तथा जुर्माने के रूप में क्रमशः २८३–१५–० तथा १२१–८–० लिये गये थे।

खाद्यान्न का आयात

†**१८०३. श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक निक्षेप बनाने के लिये खाद्यान्न का आयात करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) जी, हाँ।

(ख) उस योजना की रूपरेखा अभी विचाराधीन है।

महेन्द्रगढ़ में तारघर

†**१८०४. श्री राम कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू के महेन्द्रगढ़ ज़िले में कितने तारघर हैं;

(ख) ये तार घर कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार अगले वर्ष तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महेन्द्रगढ़ ज़िले में तारघरों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ३१–३–५६ को ६.

(ख) नारनौल, बावल, दालमिया दादरी, महेन्द्रगढ़, कनिमा, तथा नारनौल नगर।

(ग) तथा (घ). इस समय तो, कोई भी स्वीकृत प्रस्थापना नहीं है (सभी ज़िला तथा तहसील मुख्यालयों में पहले ही तार सम्बन्धी सुविधायें हैं) परन्तु यदि कोई नई प्रस्थापना है तो उस पर विचार किया जा सकता है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर तारघर खोले जा सकते हैं।

अहमदाबाद-दिल्ली मेल

†**१८०५. श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, फरवरी तथा मार्च १९५६ में अहमदाबाद-दिल्ली मेल २०१ डाऊन तथा २०२ अप गाड़ियाँ कितने दिन अहमदाबाद तथा दिल्ली स्टेशनों पर देर से पहुँची हैं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :**

(क)

मास	२०१ अप गाड़ी अहमदाबाद जितने दिन लेट पहुँची	२०२ डाऊन गाड़ी दिल्ली जितने दिन लेट पहुँची
जनवरी	३	८
फरवरी	२२	८
मार्च	३०	२२

(ख) गाड़ी के लेट पहुँचन का मुख्य कारण यह था कि साबरमती तथा कल्लोल के बीच अप्रैल के मध्य तक दोहरी लाइन बिछाने का काम बहुत ज़ोर से चलता रहा। उसके उपरान्त स्थिति सुधर गई है। १-४-५६ से २०-४-५६ तक २०१ अप गाड़ी अहमदाबाद ७ दिन लेट पहुँची और २०२ डाऊन गाड़ी ५ दिन लेट पहुँची।

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में खटमल

†१८०६. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और बम्बई के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ी से लगाये जाने वाले नये डिब्बे इस प्रकार से बनाये गये हैं कि बहुत से खटमल उनमें घुस आते हैं और रात को यात्रियों को आराम से सोने नहीं देते; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनकी रोक थाम के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

अहमदाबाद-दिल्ली गाड़ियाँ

†१८०७. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों से सम्बद्ध बहुत से सवारी डिब्बे, जिनमें प्रथम श्रेणी के भी डिब्बे सम्मिलित हैं, पुराने हो चुके हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके स्थान पर नये डिब्बे लगाने का कोई विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं, इन गाड़ियों में इस्तेमाल किये जाने वाले १२९ सवारी डिब्बों में से केवल ७ ही पुराने हैं ।

(ख) पुराने डिब्बों को बदलने के लिये ज्यों ही नये डिब्बे उपलब्ध होंगे, प्राथमिकता के आधार पर वैसा कर दिया जायेगा ।

रेलवे यातायात

१८०८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५५ से विभिन्न रेलवे महाखंडों में, उन स्थानों को छोड़ कर जहाँ लोहे के कारखाने बन रहे हैं, माल और यात्रियों का यातायात बढ़ गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो माल और यात्रियों के बढ़े हुए यातायात को ढोने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यातायात के लिये जो व्यवस्था की गई है उसका ब्योरा संक्षेप में इस प्रकार है :

(१) नये क्रासिंग स्टेशन खोल कर, लूप लाइनों को बढ़ाकर और यार्ड में अधिक सुविधा देकर लाइन की क्षमता बढ़ायी गई और इस तरह अधिक गाड़ियाँ चलाई गई ।

(२) क्षतिग्रस्त डिब्बों की मामूली मरम्मतें 'सिक' लाइन में न करके यार्ड में की गई ताकि खराब डिब्बों की संख्या घटायी जा सके ।

(३) माल-गाड़ियों की सर्विस में सुधार करने के लिये उत्पादन केन्द्र के अलावा खास-खास मार्शलिंग यार्डों से भी ब्लाक स्पेशल चलायी गयीं ।

(४) माल गोदाम के काम के घण्टों को बढ़ाया गया ताकि व्यापारी 'फ्री टाइम' के अन्दर अपने माल छुड़ाकर डिब्बे खाली कर दें ।

(५) स्टेशन पर माल पहुंचने के बाद अलग-अलग स्टेशनों के डिब्बों में उसकी लदान और फुटकर माल की लदान पर पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि पूरे डिब्बे वाले माल के लिये डिब्बे मिल सकें ।

†मूल अंग्रेजी में

(६) माल डिब्बों के इस्तेमाल में सुधार करने के लिये रीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर्स में एक वैगन चेंजिंग संगठन बनाया गया है ।

(७) माल-यातायात के लिये अधिक डिब्बे मिल सकें, इसके लिये मार्शलिंग यार्ड, आखिरी और यानांतरण स्टेशनों पर माल-डिब्बे का ठहराव कम करके और माल गाड़ियों की चाल बढ़ाकर प्रति माल-डिब्बा दिन, डिब्बा-मील बढ़ाकर डिब्बों के इस्तेमाल सुधार किया गया ।

यात्री-यातायात

(१) अधिक गाड़ियाँ चलाई गईं या चालू गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया ।

(२) जहाँ तक हो सका गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये गये ।

(३) पर्यटकों और विवाह पार्टियों के लिये स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गयीं ।

रेलवे का सामान

†**१८०९. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में भारतीय रेलों द्वारा विदेशों में कुल कितनी कीमत का सामान खरीदा गया है; और

(ख) उस वर्ष भारत में कितनी कीमत का सामान खरीदा गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) ११·२८ करोड़ रुपये ।

(ख) ९६·४०* करोड़ रुपये ।

* इसमें १२·७५ करोड़ रुपया भी सम्मिलित है, जितनी राशि का सामान भारत में विद्यमान अभिकर्ताओं द्वारा विदेशों से मंगाया गया था ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग

†**१८१०. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने १९५४–५५ में कितने मामले पकड़े हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** १९५४ में १२३ मामले और १९५५ में ९४ ।

चितरंजन का इंजन निर्माण कारखाना

†**१८११. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन के इंजन निर्माण कारखाने में श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६०]**

एरणाकुलम टेलीफोन एक्सचेन्ज

†**१८१२. श्री वेलायुधन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के एरणाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन की आवश्यकता के भार को कम करने के लिये सरकार ने कोई उपाय किया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** इस वर्ष के कार्यक्रम में एक्सचेंज की २०० लाइनों को बढ़ाने अर्थात् उसे ६०० से ८०० लाइनें कर देने का कार्य सम्मिलित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

†१८१३. **श्री वेलायुधन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाकियों को १९५० से लेकर नियमित रूप से गणवेष दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो मद्रास (दक्षिण) क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) १९४९–५०	९४	हजार रुपया
१९५०–५१	३१४	" "
१९५१–५२	१२५	" "
१९५२–५३	२७१	" "
१९५३–५४	२९२	" "
१९५४–५५	३५७	" "

उपरोक्त संख्याओं में मद्रास सर्किल के डाकियों तथा वहाँ के डाकखानों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के गणवेष पर व्यय की गई राशि भी सम्मिलित है ।

पश्चिमी रेलवे प्रादेशिक कार्यालय, अजमेर

†१८१४. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे प्रशासन ने प्रादेशिक कार्यालय, अजमेर के लिये मुख्य क्लर्क के लिये प्रथम बार तो एक चुनाव किया था, परन्तु बाद में चुनाव का परिणाम घोषित करने से पूर्व ही उसे रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसे किन परिस्थितियों में रद्द किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक दूसरा चुनाव भी किया गया था और जिस व्यक्ति को प्रथम परीक्षा में सर्व प्रथम चुना गया था, उसके नाम को दूसरी सूची में से उड़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी, हाँ । चुनाव बोर्ड की सिफ़ारिशें योग्य प्राधिकारियों द्वारा मंजूर नहीं की गई थीं क्योंकि ऐसा मालूम हुआ कि कुछ योग्य कर्मचारी तो दुर्भाग्यवश उस परीक्षा से बाहिर रह गये थे और कुछ अपात्र कर्मचारी उस चुनाव बोर्ड के सामने उपस्थित हो गये थे ।

(ग) और (घ). दोबारा चुनाव किया गया था । एक कनिष्ट व्यक्ति जो पहली बार सूची में सर्वोपरि स्थान पर रखा गया था, अब उसे दूसरी सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है ।

कटिहार और बरजोई रेलवे लाइन

†१८१५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कटिहार और बरजोई के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकले;

(ग) कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(घ) वह कब पूर्ण होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). कटिहार और बरजोई के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण अभी-अभी पूरा हुआ है और सर्वेक्षण प्रतिवेदन उत्तर-पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). इसके निर्माण का विचार सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने और उसकी रेलवे बोर्ड द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् किया जायगा। इसलिये अभी यह नहीं बताया जा सकता कि कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब पूरा होगा।

टेलीफोन एक्सचेंज (पूर्निया)

†**१८१६. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्निया (बिहार) के टेलीफोन एक्सचेन्ज की कार्य क्षमता और बढ़ाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) ५० से १०० लाइन तक।

पर्यटन

†**१८१७.** { **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** :
मादिया गौडा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में भारत में और बाहर पर्यटन के विकास के लिये समाचारपत्रों द्वारा प्रचार में कितना व्यय किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

भारत में	६,७९८ रुपये
विदेशों में	९३,००० रुपये

तारों का सेंसर किया जाना

†**१८१८. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ नवम्बर, १९५४ से अप्रैल, १९५५ के अन्त तक इम्फाल के तार कार्यालय में विभिन्न राजनैतिक दलों और प्रेस संवाददाताओं द्वारा भेजे गये तार, प्रेस संवादों को सम्मिलित करते हुये, या तो सेंसर कर दिये गये थे या दबा दिये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो दबाये गये तारों में से प्रधान मंत्री और केन्द्रीय केबिनेट के मंत्रियों को भेजे गये तारों की संख्या और दबाये गये प्रेस-तारों की संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या सेंसर किये गये अथवा दबाये गये तारों के मामले में वसूल की गई रकम प्रेषकों को वापस कर दी गई थी।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १५-११-५४ से लेकर ३०-४-५५ तक की अवधि में इम्फाल के तार कार्यालय में दो तार, एक निजी और एक प्रेस सम्बन्धी, जिनमें जनसुरक्षा के लिये हानिकारण बातें थी, मनिपुर (सरकार) के मुख्यायुक्त के आदेश के अन्तर्गत, जो पोस्टमास्टर, इम्फाल, को भारतीय तार अधिनियम (इंडियन टेलीग्राफ़ एक्ट) (१८८५ का तेरहवां) की धारा ५ की उप-धारा १ (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में दिया गया था, रोक लिये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक निजी तार 'स्टेट्स मिनिस्टर' को और एक प्रेस तार एक न्यूज़ एजेन्सी को भेजा गया था ।

(ग) जहाँ तक प्रेस तार का सम्बन्ध है प्रत्यर्पण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसका भुगतान नहीं किया गया था और वह प्रेषित भी नहीं किया गया था । निजी तार के सम्बन्ध में प्रेषक को उसके भेजे न जाने की सूचना दे दी गई थी और यह समझा जाता है कि उसको रकम वापस मिल गई थी ।

औद्योगिक विवाद

†**१८१९. डा० नटवर पांडे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में उद्योगवार कितने औद्योगिक विवाद दर्ज किए गए और तय किये गये ; और

(ख) (१) समझौता अधिकारियों (कंसीलियेशन आफिसर्स), (२) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (रीजनल लेबर कमिश्नर) और (३) मुख्य श्रम आयुक्त (चीफ़ लेबर कमिश्नर) के स्तर पर तय किये गये विवादों की संख्या क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). दो विवरण, जिन में आवश्यक जानकारी दी गई है, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६१]**

चलते फिरते डाकघर

†**१८२०. श्री बाल कृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री चलते फिरते डाकघरों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो इस समय मद्रास राज्य में चल रहे हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक ।

रेलवे समय सारणियाँ

†**१८२१. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५६ से लागू होने वाली विभिन्न रेलों की समय सारणियों में परिवर्तन करने के कुल कितने सुझाव संसत्सदस्यों से रेल-वार प्राप्त हुए; और

(ख) ऐसे प्रस्तावों की संख्या क्या है जिनका उपर्युक्त समय सारणियों में, रेलवे-वार, वास्तव में समावेश किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क)

पश्चिम	११
उत्तर	१२
पूर्व	५
दक्षिण	११
मध्य	१४
पूर्वोत्तर	५१
दक्षिण-पूर्व	४
योग	१०८

†मूल अंग्रेजी में

(ख)	पश्चिम	—
	उत्तर	१
	पूर्व	—
	दक्षिण	१
	मध्य	१
	पूर्वोत्तर	७
	दक्षिण पूर्व	—
	योग	१०

भूली में खनिकों के क्वार्टर

†१८२२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड भूली में कोयला खान मजदूर कल्याण निधि संगठन द्वारा खनिकों के लिये बनाये गये क्वार्टरों को खरीदने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितन क्वार्टरों के लिये जाने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तार और टेलीफोन प्रणालियां

१८२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व देशी रियासतों की तार व टेलीफोन प्रणालियों को उन्नत व परिष्कृत करने से सम्बन्धित सारी जानकारी अब एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसे लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना, संलग्न विवरण पत्रों में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६२]**

डाक तथा तार विभाग के लिए भवन

†१८२४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में डाक तथा तार विभाग के भवनों के केन्द्रीय जनवास्तु विभाग द्वारा निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उपयुक्त अवधि में इस प्रयोजन के लियें आवण्टित कितनी धनराशि व्यपगत हुई; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कितने स्टाफ क्वार्टर (सर्किल-वार) बनाये गये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५५–५६ में डाक तथा तार विभाग के लिये केन्द्रीय जनवास्तु विभाग द्वारा ९० लाख रुपये की लागत के भवन बनाये गये थे ।

(ख) लगभग समान राशि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग)	सर्किल	१९५५-५६ में निर्मित क्वार्टरों की संख्या
	बंगाल	४३
	बिहार	८३
	उत्तर प्रदेश	४
	पंजाब	३८
	मध्य	१२
	बम्बई	९४
	मद्रास	३९
	आसाम	९४
	उड़ीसा	५१
	आन्ध्र	७०
	दिल्ली	२५५
	राजस्थान	९५
	हैदराबाद	५
	बम्बई टेलीफोन जिला	४
	योग	८८७

तुंगभद्रा नहर

†१८२५. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद, आन्ध्र अथवा मैसूर राज्य में, जिनको तुंगभद्रा नहर से जल मिलता है, भारी मशीनों द्वारा भूमि कृष्यकरण की संभाव्यताओं का प्रदर्शन करने के लिये कोई अग्रिम योजना मंजूर की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी, नहीं ।

प्रादेशिक पर्यटक यातायात मंत्रणा समिति

†१८२६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास प्रादेशिक पर्यटक यातायात मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक किस हित का प्रतिनिधित्व करता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६३]**

राज्य पर्यटक मंत्रणा समितियां

†१८२७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य पर्यटक मंत्रणा समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है और यदि हाँ, तो कितनी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : इन समितियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।

पीलिया

१८२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पिछली बार दिल्ली में पीलिया का प्रकोप हुआ था तो अनेक सरकारी कर्मचारी भी इस रोग में ग्रस्त हुए थे;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस रोग से कितने कर्मचारी मरे; और

(ग) उनकी चिकित्सा के लिये सवेतन छुट्टी आदि के रूप में उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गईं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) भारत सरकार के कुछ कर्मचारी इस रोग से ग्रस्त हुए;

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय में लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) सामान्य नियमों के अन्तर्गत छुट्टी मंजूर की गई थी और अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के उपचार और अस्पताल में भर्त्ती करने की पर्याप्त सुविधायें दी गई थीं।

समुद्र पार संचार सेवा

†**१८२९. श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र पार संचार सेवा नई दिल्ली में काम करने वाले क्लर्कों और आपरेटिंग कर्मचारियों को आवास स्थान नहीं दिया जाता है जब कि पर्यवेक्षक कर्मचारियों को ये सुविधायें प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). समुद्र पार संचार सेवा के सभी वर्गों के कर्मचारी सामान्य पुञ्ज से आवास स्थान के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र पार संचार सेवा के हाथों में २१ क्वार्टर यातायात तथा इंजीनियरी (दोनों) के 'अपरिहार्य कर्मचारियों' को अर्थात् उन कर्मचारियों को, जिनका कार्य आपरेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देने के लिये, दिये गये हैं।

समुद्र पार संचार सेवा

†**१८३०. श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि समुद्र पार संचार सेवा, नई दिल्ली में सहायक पर्यवेक्षक के पद में नियुक्ति और पदोन्नति 'प्रवरण के आधार' पर होती है न कि वरिष्ठता के आधार पर ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : समुद्र पार संचार सेवा के सहायक पर्यवेक्षण के पद पर नियुक्ति वरिष्ठ टेलीग्राफ कर्मचारियों में से प्रवरण के आधार पर होती है।

डाक और तार विभाग में मकान किराया भत्ता

†**१८३१. श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्त मंत्रालय का, ज्ञापन, संख्या एफ़ ६ (५) ई २–५३, तारीख ९ मई, १९५३, प्राप्त हो चुका है;

(ख) क्या ज्ञापन में, पोस्ट मास्टरों को मिलने वाले किराया रहित क्वार्टरों के बदले में दिया जाने वाले मकान किराया भत्ता का हिसाब लगाने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ग) क्या उक्त ज्ञापन की कंडिका ११ में यह उल्लेख किया गया है कि इन आदेशों का पालन पहली अप्रैल, १९५३ से किया जायेगा;

(घ) क्या डाक और तार के महानिदेशक न अपने ज्ञापन संख्या पी ई ८-२-५४, तारीख ३१ मई, में यह कहा है कि संशोधित दरें ३१ मई, १९५५ से लागू होंगी न कि १ अप्रैल, १९५३ से।

(ङ) क्या महानिदेशक को ऐसे अनुदेश जारी किये जायेंगे कि वे अपने आदेशों में इस प्रकार परिवर्तन करें कि संशोधित दरें वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार १ अप्रैल, १९५३ से लागू हों; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) उक्त आदेशों में संशोधित प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांत दिये गये हैं और उनमें पोस्टमास्टरों के मामलों का विशेष निर्देश नहीं किया गया है ।

(ग) जी, हाँ

(घ) जी, हाँ । संदेह का कारण यह है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन क्रम का औसत निकाल कर सिहाब लगाया जाय अथवा वास्तविक वेतन के आधार पर हिसाब लगाया जाय । मई, १९५५ में यह निश्चय किया गया कि यह हिसाब वेतन क्रम के आधार पर लगाया जाय ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) सामान्य नीति यह है कि वित्तीय मामलों से सम्बन्धित निर्णय आदेश के जारी होने के दिन से ही लागू कर दिये जाते हैं । यही इस मामले में भी किया गया । क्योंकि कुछ मामलों में पहले ही रुपया दिया जा चुका था उसे वापस करने के लिये आग्रह नहीं किया गया नियमों में यह विदित किया गया है कि प्रत्येक मामले में मकान किराया भत्ता औसत वेतन के १० प्रतिशत से अधिक न हो और प्रत्येक मामले में राशि का निश्चय सर्किल के अध्यक्षों द्वारा ही किया जायेगा । पोस्ट मास्टरों को पहिले दिया गया हुआ भत्ता प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर विचार करने के पश्चात निश्चित किया गया होगा । कोई जटिलता उत्पन्न नहीं हुई थी यदि किन्हीं मामलों में कोई कठिनाई उत्पन्न हुई हो तो उनकी जाँच की जायेगी ।

मथुरा दिल्ली रेलवे लाइन

†**१८३२. श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर १९५४ से मथुरा और दिल्ली के बीच की लाइन को दुहरा करने में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). केवल कुछ भागों में पटरी को दुहरा करने का काम स्वीकृत हुआ था और यह काम अक्तूबर, १९५४ में समाप्त हो गया था। मथुरा और दिल्ली के बीच के अवशेष चेशों को दुहरा करने की योजना हाल में ही स्वीकृत हुई है और काम फरवरी, १९५६ से प्रारम्भ हुआ है ।

(ग) काम के १९५८ के प्रथम तीन महीनों के भीतर समाप्त हो जाने की आशा है ।

काम दिलाऊ दफ्तर, कुरनूल

†**१८३३. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र के कुरनूल विभाग (डिविजन) में १९५४–५५ और १९५५–५६ में काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्ति पंजीयित हुए; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है ।

वर्ष	पंजीयित संख्या	की गई नियुक्तियां
१९५४–५५	६,२९९	७५९
१९५५–५६	७१,३९	१,०४१

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र में हवाई अड्डे

†१८३४. **श्री गाडिंलिगन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आंध्र में कितने नये हवाई अड्डे निर्मित किये गये;

(ख) उनमें कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अधिक हवाई अड्डे निर्मित करने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हाँ, वे किन स्थानों में निर्मित होंगे और उन पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में आँध्र में कोई नया हवाई अड्डा नहीं बना है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुरनूल में १५ लाख रुपये के अनुमानित व्यय से एक हवाई अड्डा बनाने की योजना अस्थायी रूप से स्वीकृत की गई है ।

डाक व तार विभाग की इमारतें

†१८३५. **श्री गाडिंलिगन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में आंध्र राज्य में डाक व तार विभाग की इमारतें बनाने के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : आंध्र राज्य में डाक और तार विभाग की इमारतें बनाने के लिये १९५५–५६ में ४०९,६०० रुपये दिये गये ।

राजस्थान में जल सम्भरण

†१८३६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) राजस्थान को, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये कुएं खोदने के लिये अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(ख) अब तक कुल कितने कुएँ खोदे गये और इस वर्ष के अन्त तक कितने और कुओं के तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को ग्रामीण जल सम्भरण की योजनाओं के लिये अब तक २०·६ लाख रुपया दिया जा चुका है ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और वह यथा-समय लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

चारा

†१८३८. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध देने वाले अथवा भारवाहक पशुओं के लिये मैदानी तथा पहाड़ी भागों के क्रमश: सिंचित तथा सूखे क्षेत्रों में राज्यवार कौन-कौन से चारे का उपयोग किया जाता है और विकास किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार कृषकों में उनका प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६४**]

टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र

†**१८३९. डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू के राज्यों में टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्रों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन केन्द्रों में किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६५**]

रेलवे यातायात

†**१८४०. श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए यातायात का सामना करने के लिये उत्तर रेलवे ने कोई वृहद योजना (मास्टर प्लान) बनाई है;

(ख) यदि हाँ तो यह किस प्रकार की योजना है तथा उसमें कितना व्यय होगा; और

(ग) इसका कार्य कब से प्रारम्भ होने की आशा है और इस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वृहद योजना (मास्टर प्लान) का क्या तात्पर्य है । यदि इसका तात्पर्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है तो उत्तर रेलवे के लिये एक योजना का मसविदा तैयार कर दिया गया है ।

(ख) इस योजना में पुरानी पटरियाँ तथा इंजिन और डिब्बे बदलने की, लाइनों की क्षमता बढ़ाने, वर्कशॉपों के विस्तार, कर्मचारी कल्याण कार्य तथा यात्रियों की सुविधायें बढ़ाने की व्यवस्था की गई है केवल १९५६–५७ में किये जाने वाले कार्य को छोड़ कर अभी विस्तृत प्राक्कलन नहीं किये गये हैं । कुल योजना का अनुमानित व्यय १५० करोड़ रुपये हैं । १९५६–५७ के लिये स्वीकृत कार्यक्रम में १८.३४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कार्य १–४–५६ से प्रारम्भ होगा और ३१–३–६१ को समाप्त होगा ।

रेलवे आरक्षण निरीक्षक

†**१८४१. डा० डी० रामचन्द्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहाँ पर आरक्षण निरीक्षक हैं; और

(ख) प्रत्येक रेलवे में कितने आरक्षण निरीक्षक कार्य कर रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). फ़ेयरलाई प्लेस, कलकत्ता में पूर्वी रेलवे में, एक आरक्षण निरीक्षक है और पश्चिमी रेलवे में चर्चगेट, बम्बई के आरक्षण कार्यालय में दो निरीक्षक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलम्बो योजना

†१८४२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या १९५४ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन में चिकित्सा सम्बधी अध्ययन के लिये किसी विदेशी छात्रवृत्ति की मंजूरी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों के नाम क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं और छात्रवृत्ति की कितनी राशि कितनी अवधि के लिये दी गई थी;

(ग) जिन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं क्या उन सभी विद्यार्थियों ने इन्हें स्वीकार कर लिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी बल्कि केवल अधिछात्रवृत्तियां (फैलोशिप्स) प्रदान की गई थीं ।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६६**]

रेलवे बायरलेस आपरेटर

†१८४३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के वायरलैस ऑपरेटरों की अन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कर्मचारियों ने जो आपत्तियाँ उठाई थीं, उन पर, लोक-सभा में आश्वासन दिये जाने के बावजूद, पुनर्विलोकन करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस के कारण भूतपूर्व ई० पी० रेलवे के कनिष्ठ ऑपरेटर उच्चतर पदों पर स्थानापन्न हैं और इस प्रकार अन्य रेलों के ऑपरेटर के दावों को वे निष्प्रभाव कर रहे हैं और उन ऑपरेटरों के शीघ्र ही उच्चतर पदों पर पक्के होने की आशा है;

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) का उत्तर हाँ में है, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा निर्णय करने में अनुचित विलम्ब के कारण कर्मचारियों में जो असन्तोष है उसे दूर करने के लिये रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाहियाँ की हैं या करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) ३० मार्च, १९५५ को पूछे गए प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था अपितु तथ्य बताए गए थे, सेवा के ब्योरे के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य न होने के कारण अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार करना अब तक सम्भव नहीं हो सका है । नार्थ वैस्टर्न रेलवे (पाकिस्तान) से यह ब्योरा प्राप्त किया जा रहा है और उसकी प्रतीक्षा है ।

(ख) वरिष्ठता सम्बन्धी अन्तिम सूचियाँ न होने की स्थिति में अपरिहार्य रूप से अस्थायी वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नतियाँ की जाती हैं परन्तु जब तक अन्तिम रूप से वरिष्ठता का निर्णय नहीं किया जाता तब तक उन्हें पक्का नहीं किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) सेवा सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त करने के लिये रेलवे बोर्ड अपने प्रयत्न जारी रखेगा परन्तु यह निर्णय किया गया है कि यदि ३० जून, १९५६ तक वे प्राप्त न हुए तो प्राप्य जानकारी के आधार पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिना टिकट यात्रा करना

†१८४४. **श्री इब्राहीम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ तथा १९५५ में टी० टी० तथा रेलवे के अन्य कर्मचारियों के ऐसे कितने मामलों का पता लगा था जिनमें उन्होंने रुपया खुद हड़प जाने की दृष्टि से यात्रियों को बिना टिकट यात्रा की अनुमति दी हो ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५४ में २५ मामलों तथा १९५५ में ३८ मामलों का पता लगा था।

बी० सी० जी०

†१८४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५५ में बिहार राज्य में कितने व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : ११,२३,३२५ ।

आसाम से कलकत्ता तक विमान भाड़ा

†१८४६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम से कलकत्ता को फलों के परिवहन के सम्बन्ध में क्या आसाम सरकार ने विमान भाड़े में कमी करने के लिये कुछ कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या निर्णय हुआ है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'कुदज़ू बेल' का चारा

†१८४७. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कुदज़ू बेल' अत्यन्त पोषी चारा है और इसकी पैदावार बहुत होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे देश में कृषकों और गोशालाओं में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** (क) जी, हाँ ।

(ख) विभिन्न केन्द्रों में विस्तृत परीक्षणों द्वारा कुदज़ू बेल की सम्भाव्यताओं का पता लगाया गया था। सभी राज्य सरकारों को इनके परिणाम बता दिए गए थे और इन्हें 'इण्डियन फ़ार्मिंग' (जनवरी, १९५५ के अंक) में भी प्रकाशित कर दिया गया था। सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने भी विकास आयुक्तों से परियोजना क्षेत्रों में जिनकी जलवायु पौधे के बढ़ने के लिये उपयुक्त हैं, कुदज़ू बेल के परीक्षण करने की सिफारिश की थी, कुदज़ू बेल के बीज सीमित मात्रा में भारतीय कृष्य अनसन्धान संस्था द्वारा दिये जा सकते हैं ।

कुष्ठ रोगी

†१८४८. **श्री देवगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन भिखमंगों की संख्या कितनी है जो कुष्ठरोगी हैं;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में भिखमंगों को संख्या अत्यधिक है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) देश में कुष्ठाश्रमों की संख्या कितनी है और वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं और उनमें कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) जनता की सुरक्षा के हेतु कुष्ठ रोगियों को अलग रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) भारत में कुष्ठ रोगियों की ठीक संख्या मालूम नहीं है। फिर भी अंदाज़ा यह है कि देश में इस रोग से कम से कम १५ लाख व्यक्ति पीड़ित हैं।

(ख) कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखमंगों की संख्या मालूम नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास, त्रावणकोर-कोचीन, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और बम्बई राज्यों के भागों में यह रोग अत्यन्त स्थानिक है।

(घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ङ) कुष्ठ रोगियों के अलग रखे जाने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और कुष्ठरोग नियन्त्रण समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। प्रतिवेदन में रोगियों के अलग रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाहियों की सिफारिशें हैं।

रेल दुर्घटना

१८४९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २४ अप्रैल, १९५६ को शिमला जाने वाली एक मालगाड़ी शिमला कालका लाइन पर जवली और कोटी स्टेशनों के बीच दुर्घटना ग्रस्त हो गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : २४-४-५६ को लगभग १० बजकर ५० मिनट पर जब डाउन स्पेशल माल गाड़ी उत्तर रेलवे के कालका-शिमला खण्ड पर जाबली और कोटी स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो उसके इंजन के सभी पहिये पटरी से उतर गये और इंजन १०/७–८ मील पर उलट गया।

रेलवे प्रशिक्षण संस्थाएं

†**१८५०. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी रेलवे में कुलियों तथा पॉयन्टमैन के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई संस्था खोली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ पर वे खोली गई हैं ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तथा (ख). कुछ रेलों की संस्थायें हैं और अन्य के प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वे कहाँ-कहाँ पर हैं इस सम्बन्ध में लोक-सभा पटल पर विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ६८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ७ मई १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	२१४३–६७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९६७	लुमडिंग स्टेशन पर पुलिस द्वारा गोलाबारी ...	२१४३–४४
१९६९	श्रमिकों के हित	२१४४–४५
१९७१	रेलवे कर्मचारी	२१४५
१९७२	पंजाब से गेहूँ का निर्यात	२१४५
१९७५	सौराष्ट्र रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	२१४५–४६
१९७८	उत्तर प्रदेश में भूमि परीक्षण प्रयोगशाला... ...	२१४६–४७
१९७९	कृषि शिक्षक	२१४७–४८
१९८१	रेलवे में दावों सम्बन्धी विवाद	२१४८–४९
१९८२	भोपाल भूमि कृष्यकरण तथा विकास (कांस का उन्मूलन) अधिनियम, १९५४	२१४९–५०
१९८४	चित्तौड़गढ़	२१५१
१९८६	रेलों में तीसरा दर्जा ...	२१५१–५३
१९८७	परिवार नियोजन ...	२१५३–५४
१९८८	खाद्यान्न के मूल्य ...	२१५५–५६
१९९१	रेलवे की भाड़े की दरें ...	२१५७
१९९२	दिल्ली का आयोजन ...	२१५७–५८
१९९३	नारियल गवेषणा केन्द्र ...	२१५८–५९
१९९५	भूली में रेलवे फैक्टरी	२१५९
१९९७	कृषि सम्बन्धी वर्कशाप	२१५९–६०
१९९८	रेलवे गार्डों के लिये वर्दियाँ	२१६०
२०००	फसलों का संरक्षण	२१६०–६१
१९६८	आस्ट्रेलिया से वैगन ...	२१६१–६२
१९७०	वियना चिकित्सा अकादमी ...	२१६२–६३
१९९९	मजूरी आयोग	२१६३–६४
१९८३	मेहतरों सम्बन्धी समिति ...	२१६४
१९८९	टेल्को रेलवे इंजन	२१६४–६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१६	पश्चिमी घाट पर नाविकों की हड़ताल	२१६६–६७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२१६८–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९७३	रेल कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ	२१६८
१९७४	रेलवे में आंग्ल-भारतीयों की भरती	२१६८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९७६	ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल	२१६८
१९७७	कलकत्ता पत्तन ...	२१६९
१९६९	कलकत्ता डाकयार्ड	२१६९
१९८०	"अंधा शीशी" की झाड़ियाँ ...	२१६९
१९८५	उर्वरक	२१६९
१९९०	ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र	२१७०
१९९४	रेलवे में आंग्ल-भारतीयों के लिये स्थान-रक्षण	२१७०
२००१	मनिहारी घाट पर नाव सेवा ...	२१७०
२००२	झरिया कोयला क्षेत्रों में पानी की कमी	२१७०
२००३	आसाम रेल सम्पर्क में विच्छेद ...	२१७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७९८	रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन ...	२१७१
१७९९	सीसे के कारखाने में मज़दूर	२१७१
१८००	यात्री सुविधाएं	२१७२
१८०१	पंजाब में डाक सुविधाएं ...	२१७२
१८०२	बिना टिकट के यात्रा ...	२१७२–७३
१८०३	खाद्यान्न का आयात	२१७३
१८०४	महेन्द्रगढ़ में तारघर	२१७३
१८०५	अहमदाबाद-दिल्ली मेल ...	२१७३
१८०६	गाड़ियों में खटमल	२१७४
१८०७	अहमदाबाद-दिल्ली गाड़ियाँ	२१७४
१८०८	रेलवे यातायात ...	२१७४–७५
१८०९	रेलवे का सामान	२१७५
१८१०	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग	२१७५
१८११	चित्तरंजन का इंजिन निर्माण कारखाना	२१७५
१८१२	एरणाकुलम टेलीफून एक्सचेंज ...	२१७५
१८१३	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी ...	२१७६
१८१४	पश्चिमी रेलवे प्रादेशिक कार्यालय, अजमेर	२१७६
१८१५	कटिहार और बरजोई रेलवे लाइन	२१७६–७७
१८१६	टेलीफून एक्सचेंज (पूर्निया)	२१७७
१८१७	पर्यटन ...	२१७७
१८१८	तारों का सेंसर किया जाना	२१७७–७८
१८१९	औद्योगिक विवाद	२१७८
१८२०	चलते फिरते डाकघर	२१७८
१८२१	रेलवे समय सारणियाँ	२१७८–७९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८२२	भूली में खनिकों के क्वार्टर ...	२१७९
१८२३	तार और टेलीफोन प्रणालियाँ	२१७९
१८२४	डाक तथा तार विभाग के लिये भवन	२१७९–८०
१८२५	तुंगभद्रा नहर	२१८०
१८२६	प्रादेशिक पर्यटक मंत्रणा समिति	२१८०
१८२७	राज्य पर्यटक यातायात मंत्रणा समितियाँ	२१८०
१८२८	पीलिया ...	२१८०–८१
१८२९	समुद्रपार संचार सेवा	२१८१
१८३०	समुद्रपार संचार सेवा	२१८१
१८३१	डाक और तार विभाग में मकान किराया भत्ता ...	२१८१–८२
१८३२	मथुरा दिल्ली रेलवे लाइन ...	२१८२
१८३३	काम दिलाऊ दफ्तर, कुरनूल	२१८२
१८३४	आँध्र में हवाई अड्डे ...	२१८३
१८३५	डाक व तार विभाग की इमारतें	२१८३
१८३६	राजस्थान में जल सम्भरण	२१८३
१८३८	चारा	२१८३–८४
१८३९	टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र	२१८४
१८४०	रेलवे यातायात ...	२१८४
१८४१	रेलवे आरक्षण निरीक्षक	२१८४
१८४२	कोलम्बो योजना	२१८५
१८४३	रेलवे वायरलेस आपरेटर	२१८५
१८४४	बिना टिकट यात्रा करना	२१८६
१८४५	बी० सी० जी०	२१८६
१८४६	आसाम से कलकत्ता तक विमान भाड़ा	२१८६
१८४७	'कुदजू बेल' का चारा ...	२१८६
१८४८	कुष्ठ रोगी ...	२१८६–८७
१८४९	रेल दुर्घटना ...	२१८७
१८५०	रेलवे प्रशिक्षण संस्थाएं	२१८७

M 55 LSD—25-7-57—190—GIPF.

खण्ड ४ — अंक ५९
७ मई, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	३१५०
राज्य-सभा से संदेश	३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक	३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौंतीसवां प्रतिवेदन ...	३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश	३१५१
खंड ४, अंक २.	३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची	३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ...	३२०५–०६

लोक-सभा वाद-विवाद

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

लोक-सभा

सोमवार, ७ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३८ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कृषि-उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक, १९५६ से संलग्न वित्तीय ज्ञापन के शुद्धि-पत्र का विवरण

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : मैं कृषि-उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक, १९५६ से संलग्न वित्तीय ज्ञापन के शुद्धि-पत्र को देने वाले विवरण की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। यह विधेयक लोक-सभा में २८ फरवरी, १९५६ को पुरःस्थापित किया गया था। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ९**]

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं लोक-सभा पटल पर इन विवरणों को रखता हूं, जिनमें उनके साथ ही उल्लिखित विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाया गया है :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ ... लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
[**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५ ... लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
[**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २**]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९ ... लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
[**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३**]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ ... ... लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४**]

†मूल अंग्रेजी में।

M131LSD--1

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २१ ... लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २९ ... लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३४ ... लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ७]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ४४ ... लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ८]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि चालू सत्र में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५६ पर राष्ट्रपति ने २८ अप्रैल, १९५६ को अनुमति दे दी है।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इन दो सन्देशों की सूचना देनी है:

(१) मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १८ फरवरी, १९५६ को पारित सेंट जोन एम्बुलेंस संस्था (भारत) निधियों का स्थानांतरण विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोध के स्वीकार कर लिया है।

(२) मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १८ फरवरी, १९५६ को पारित भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, १९५६ में राज्य-सभा को ये संशोधन करने हैं :

खण्ड ८

(१) कि पृष्ठ २ पंक्तियों २९-३० में से शब्द "constituted under the Indian Red Cross Society Act, 1920" ["भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम, १९२० के अन्तर्गत गठित"] **हटा दिये जायें** ।

खण्ड ९

(२) कि पृष्ठ ३ पंक्ति ८ में, शब्द "Convention" ["प्रचलन"] के स्थान पर शब्द "Conventions" ["प्रचलनों"] **रख दिया जाय** ।

इन संशोधनों के सम्बन्ध में लोक-सभा की सहमति से राज्य-सभा को सूचित किया जाये ।

भरतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : मैं राज्य-सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाये हुए, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, १९५६ को लोक-सभा पटल पर रखता हूं।

†मूल अंग्रजी में।

कार्य-मंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

चौदहवाँ प्रतिवेदन

†**श्री डाभी** (कैरा-उत्तर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

मैं एक सूची भी लोक-सभा पटल पर रखता हूं, जिसमें बारहवें सत्र, १९५६ में लोक-सभा की बैठकों से १५ दिनों या इससे अधिक दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के नाम दिये गये हैं (९-४-५६ तक की स्थिति) ।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही का सारांश खण्ड ४, अंक २

†**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : श्रीमान्, मैं एस्टीमेट्स (प्राक्कलन) समिति (१९५४–५५) का कार्यवाही-सारांश खंड ४, अंक (संख्या) २ पेश करता हूं ।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक––जारी

खण्ड १०––अनुसूची के वर्ग १ के वारिसों के बीच सम्पत्ति का वितरण

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा हिन्दुओं में वसीअतहीन उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहितावद्ध करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

कल हमने निर्णय किया था कि खण्ड ११, १२ और १३ और अनुसूची को एक साथ लिया जाये ।

कल मैं खण्ड १० के सम्बन्ध में पुत्री के अंश सम्बन्धी संशोधनों को मतदान के लिये रखने जा रहा था । मेरा विचार था कि सभी संशोधन वापिस ले लिये गये थे । पर पंडित ठाकुर दास जी ने उस समय कहा था कि अनुसूची में होने वाले संभावित रूपभेदों के बाद उसके अनुसार उन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चहिये । मैं इस मामले पर अनुसूची पर मतदान के बाद ही विचार करूंगा ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं ने अविवाहित पुत्री के सम्बन्ध में एक दूसरा संशोधन दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक में प्रस्तावित पुत्री के समान अंश पर विचार करते समय, माननीय सदस्य उसे एक-चौथाई अंश बना देना चाहते थे । वे चाहते थे कि 'पुत्री' शब्द के स्थान पर 'अविवाहित पुत्री' रख दिया जाये । यदि वे इसके अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें उस समय बताना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

नियम २ की चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

नियम ३ के सम्बन्ध में, पंडित ठाकुरदास भार्गव कुछ कहना चाहते थे । वे अपनी बात कह सकते हैं । मैं इस खण्ड को बाद में मतदान के लिये रखूंगा ।

नियम ४ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है । इसलिये खण्ड १० की चर्चा अब समाप्त हो चुकी है ।

खण्ड ११ और १२ पर कोई संशोधन हैं ?

खण्ड १२ और १३

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : हम खण्ड ८ को पारित कर ही चुके हैं । उसमें उत्तराधिकार इस प्रकार निर्धारित किया गया है :

"(क) पहले, वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग १ में उल्लिखित सम्बन्धी हों;

(ख) दूसरे, यदि वर्ग १ का कोई वारिस न हो तो अनुसूची में उल्लिखित वर्ग २ के सम्बन्धियों को;

(ग) तीसरे, यदि दोनों वर्गों में से किसी का भी कोई वारिस न हो तो मृतक के पितृ-बन्धुओं को; और

(घ) अन्तिम रूप से, यदि कोई पितृ-बन्धु न हों तो, मृतक के मातृ-बन्धुओं को ।"

खण्ड ८ (ग) को देखते हुए, खण्ड १२ अनावश्यक हो जाता है, और खण्ड ८ (घ) को देखते हुए खण्ड १३ अनावश्यक हो जाता है । हम उसे पारित कर चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें हटा दिया जाये ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ और १३ विधेयक का अंग बनें ।"

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड़-सोरठ) : प्रस्ताव यह होना चाहिये कि इन खण्डों को हटा दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १२ और १३ अनावश्यक हैं । इसलिये, उन्हें विधेयक से हटा दिया जायेगा । मैं उन्हें सभा के सामने नहीं रखूंगा ।

खण्ड १२ और १३ विधेयक से हटा दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १४ के लिये कोई भी संशोधन नहीं आया है ।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड १५ के सम्बन्ध में भी कोई संशोधन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ७६ है ।

†**श्री के० पी० गौंडर** (ईरोड) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं ।

अनुसूची

†**अध्यक्ष महोदय** : वारिसों और उत्तराधिकार सम्बन्धी सभी खण्डों पर हम विचार कर चुके हैं । अब हम अनुसूची पर चर्चा करेंगे । पहले हम वर्ग १ से सम्बन्धित संशोधनों को लेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्री देशपांडे के संशोधन में कहा गया है कि अविवाहिता पुत्री (जो न विधवा हो और न तलाक दी हुई हो) अविवाहिता पुत्री कैसे विधवा या तलाक दी हुई हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : अविवाहिता का अर्थ है, बिना पति वाली ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी संशोधन प्रस्तुत किये जायें ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या १३२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, १८९ और २२१ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : मैं संशोधन संख्या २३६ और २३७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (जिला मथुरा––पश्चिम) : मैं संशोधन संख्या २२७ और २२८ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री राने** (भुसावल) : मैं संशोधन संख्या २० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ पर (१) पंक्ति ५ में, शब्द "son" ["पुत्र"] के पहले शब्द "mother" ["माता"] **रखा जाय** ।

(२) पंक्ति ११ में, "mother" ["माता"] शब्द **हटा दिया जाय** ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर––दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ १२ पर, (१) पंक्ति ९ के अन्त में ये शब्द "father; mother" ["पिता; माता"] ; **जोड़ दिये जायें**; और

(२) पंक्ति ११ को **हटा दिया जाय** ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैष्णव ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : अनुसूची के वर्ग १ में ११ वारिस उल्लिखित हैं । मैं चाहता हूं कि उनमें से चार को सूची से हटा दिया जाये । वे चार ये हैं : पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व-मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व-मृत पुत्री की पुत्री; और पूर्व-मृत पुत्र के पूर्व पुत्र की पुत्री । इसके बाद, सूची में पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, पुत्री, विधवा, पुत्र की विधवा और पौत्र की विधवा––ये ही सात वारिस रह जाते हैं ।

इस विधेयक का उद्देश्य तो पुत्री को समान अंश देना है । इससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पुत्री के अन्य वारिसों को भी उसके अंश का उत्तराधिकारी बनाते चले जायें । पुत्री को समान अंश देना तो ठीक है, लेकिन पुत्री के अंश के अन्य वारिसों को भी यह अधिकार देना कुछ अति करना है । यदि उस समय पुत्री जीवित नहीं है, तो उसके पुत्र या पुत्री की पुत्री को वह अंश देना निर्रथक है । यह उचित नहीं है । पुत्री के पुत्र को तो अपने पिता की सम्पत्ति का अंश मिलेगा ही, और इस विधेयक के अनुसार पुत्री की पुत्री को अपने पिता और बाबा की सम्पत्तियों में से अंश मिलेगा, और उसे अपने नाना की सम्पत्ति में से भी अंश दिया जायेगा । यह तो इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता ।

हिन्दू कोड बिल और राऊ समिति के प्रतिवेदन में भी पुत्री के अन्य वारिसों को उसके पिता की सम्पत्ति में से अंश नहीं दिया गया है । राऊ-समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करके, हिन्दू संयुक्त परिवारों में और अधिक दरारें पैदा न करने के विचार से ही, केवल इन सात वारिसों को ही रखा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री एच० जी० वैष्णव]

उसने इन चारों को इसमें नहीं रखा था। इन चार वारिसों को तो उनके अपने परिवारों के अन्य स्रोतों से भी अंश मिलेंगे। इनको भी इसी सूची में रखने से हिन्दू संयुक्त परिवार की प्रणाली में और अधिक अव्यवस्था फैल जायेगी। इस प्रकार अंश देने से न तो पुत्री के पिता के परिवार को कोई लाभ होगा, और न पुत्री के परिवार को ही। इसके सम्बन्ध में हमें भावुकता से काम नहीं लेना चाहिये। हमने यही निर्णय किया है कि यदि पुत्री जीवित है तो उसे समान अंश दिया जाये। यदि दायभाग के समय पुत्री जीवित नहीं है, तो हमें पुत्री के अन्य वारिसों को अंश नहीं देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैष्णव चाहते हैं कि पहले मर चुके पुत्र की पुत्री, पहले मर चुकी पुत्री के पुत्र और पुत्री को इसमें न रखा जाये। श्री बर्मन ने भी एक संशोधन की सूचना दी है कि माता को वर्ग २ से निकाल कर वर्ग १ में रखा जाये।

†**श्री बर्मन** : मैं अपने संशोधन का उद्देश्य बता दूं कि यदि माता को वर्ग २ में रखा जाता है तो उसका दर्जा कई महिला वारिसों से पीछे हो जाता है जो पहले वर्तमान विधि के अन्तर्गत वारिस नहीं थी। अब यह वारिस वर्ग में हैं : पहले मर चुके पुत्र की पुत्री, पहले मर चुकी पुत्री का पुत्र, पहले मर चुकी पुत्री की पुत्री, पहले मर चुके पुत्र की विधवा, पहले मर चुके पुत्र के पहले मर चुके पुत्र की पुत्री इन सब को माता पर वरीयता दी गई है। दाय भाग में भी माता का स्थान बड़ा ऊंचा है परन्तु अब यदि उसे वर्ग १ में रखा गया तो उसका दर्जा बहुत पीछे हो जायेगा।

यह प्रश्न पूछा जाता है कि पिता को भी क्यों न वर्ग १ में रखा जाये ? मैं तो चाहता हूं कि दोनों को ही वर्ग १ में रखा जाये परन्तु यदि यह स्वीकार्य नहीं है तो कम से कम माता को ही रखा जाये। पारित किये गये खंड ६ में समाँशी सम्पत्ति के विषय में माता का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। समांशी सम्पत्ति पर केवल वर्ग १ में उल्लिखित वारिसों का ही अधिकार होगा। क्योंकि माता वर्ग १ में नहीं है इसलिये वह उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। माता और अन्य वारिसों में यह अनुचित भेदभाव किया गया है।

न्यसित होने वाली सम्पत्ति के विषय में एक और बात है। यदि वह सम्पत्ति पूर्वजों से विरासित में मिली हो तो माता अपने पति के द्वारा इसकी वारिस हो सकती है। परन्तु यह सम्पत्ति धीरे-धीरे कम होती जायेगी। और लोगों को अपनी आय पर निर्वाह करना पड़ेगा। और केवल पृथक सम्पत्ति का ही न्यसन होगा जिसमें माता तब तक हिस्सा नहीं ले सकती जब तक उसे वर्ग १ में न रखा जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस समय यह बता दूं कि हम माता को दूसरी सूची से निकाल कर पहली सूची में रखने के लिये तैयार हैं। वस्तुतः संयुक्त समिति ने यही सिफारिश की थी, परन्तु राज्य-सभा ने माता को पिता के साथ दूसरी सूची में रखना ही उचित समझा। ऐसे सभी प्रश्नों पर वास्तविक तर्क करने से कोई निश्चय करना बहुत कठिन होता है। साधारणतः मैं इस विधयक में, जिस पर संयुक्त समिति और राज्य-सभा ने बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था ; परन्तु यदि कोई परिवर्तन आवश्यक और वांछनीय समझा जाये तो वह अवश्य किया जाना चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि माता के बारे में जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह एक सारगर्भित तर्क है और माता के साथ अन्याय किये जाने की संभावना भी हो सकती है। अतः उसे प्रथम सूची में रखना ही वांछनीय है। इससे यह भी लाभ है कि ऐसा करने से मालाबार और दक्षिण भारत की विधियों से कुछ एकरूपता भी हो जायेगी। परन्तु मेरा सुझाव है कि पिता को वर्ग १ में न रखा जाये उसे वर्ग २ में ही रहने दिया जाये। वैसे तो प्रत्येक बात के लिये कोई न कोई कारण बताये जा सकते हैं, परन्तु मेरा विचार है कि उसे जहां वह है वहीं रहने देना ठीक होगा। उसको और कई प्रकार की सहायता मिल सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं लोक-सभा से अनुरोध करता हूं कि इसके अतिरिक्त अनुसूची में और कोई परिवर्तन न किया जाये। बहुत विचार करने और देर तक चर्चा करने के बाद इस सूची को बनाया गया है, और मैं निवेदन करता हूं कि उस परिवर्तन के सिवाये, जिसका मैंने सुझाव दिया है, अनुसूची को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाये।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : प्रधान मंत्री ने अभी-अभी सुझाव दिया कि अनुसूची में एक परिवर्तन के अतिरिक्त, जिसका कि उन्होंने सुझाव दिया अन्य कोई परिवर्तन न किया जाये; परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैंने तो पहले ही यह सुझाव दिया था कि माता को वर्ग १ में रखा जाये परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ग १ की सूची बहुत लम्बी है। प्रधान मंत्री के सुझाव द्वारा उसमें वारिसों की संख्या १२ हो जायेगी और विधि वेत्ताओं का कहना है कि यदि समकालिक वारिसों की संख्या ११ हो· · · ·

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे सभी समकालिक वारिस नहीं हैं। क्योंकि पुत्र और पुत्र का पुत्र एक ही समय पर उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करेंगे।

†**श्री वी० जी० देशपाँडे** : वे कर सकते हैं। यदि दो पुत्र हों, एक जीवित हो और दूसरा मर चका हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे समकालिक शाखायें हैं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : चाहे कुछ भी हो वे समकालिक वारिस कहलाते हैं। इस प्रकार सम्पत्ति छोटे-छोटे भागों में बट जायेगी अतः मेरा सुझाव है कि इस सूची में से पांच को निकाल दिया जाये।

मुझे एक और सुझाव देना है जिसके बारे में मैंने एक संशोधन की सूचना भी दे रखी है। खंड ६ द्वारा हमने मिताक्षरा उत्तराधिकारी विधि में जो परिवर्तन किया है उसका यह परिणाम किसी समांशी मिताक्षरा अविभक्त परिवार में पहले मर चुके पुत्र के पहले मर चुके पुत्र की विधवा तीन बार उत्तराधिकार प्राप्त करेगी; पहले जब उसके पति की मृत्यु होगी, दूसरे जब उसके पिता की मृत्यु होगी और तीसरे जब उसके श्वसुर की मृत्यु होगी। जब ददियाससुर की मृत्यु होगी तब भी उसे उत्तराधिकार में कुछ प्राप्ति होगी। विधवा वधु और विधवा पौत्रवधु को उत्तराधिकार के यह अवसर अवश्य मिलेंगे। अतः मैं अनुभव करता हूं कि किये गये परिवर्तन को देखते हुए इन दो को निकाल दिया जाना चाहिये। दायभाग और पृथक् सम्पत्ति में इन्हें चाहे रखा जाये परन्तु इन्हें मिताक्षरा से निकाल दिया जाना चाहिये।

इस सूची में से मैंने पहले मर चुके पुत्र की पुत्री, पहले मर चुकी पुत्री की पुत्री, पहले मर चुकी पुत्री की पहले मर चुकी पुत्री की पुत्री और पहले मर चुके पुत्र के पहले मर चुके पुत्र की पुत्री को निकाल दिया है। माता को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये। मैं अनुभव करता हूं कि डा० देशमुख के विधेयक से स्त्रियों को जो लाभ हुआ था वह इस विधेयक द्वारा छीन लिया गया है। इस विधेयक से मिताक्षरा परिवार में पुत्र को कोई हानि नहीं हुई है। यदि किसी परिवार में चार पुत्र हों तो विधेयक के पारित होने से पूर्व उसे पांचवां हिस्सा मिलता परन्तु अब इसके अतिरिक्त विधवा के पांचवें भाग को चार पुत्रों और विधवा में बांटने पर उसे कुछ अधिक ही मिलेगा परन्तु इससे विधवा की हालत बहुत बुरी हो गई है क्योंकि उसके हिस्से में से पुत्रों और पुत्रियों को हिस्सा दिया गया है। इससे विधवा का हिस्सा कम रह जायेगा। ५०,००० रुपये की सम्पत्ति में से यदि पहले उसे १०,००० रुपये की सम्पत्ति मिलती थी तो अब वह ५०० रुपये के लगभग रह जायेगी। अतः अनुसूची में ऐसा परिवर्तन करना ठीक होगा जिससे कि विधवा को यदि पुत्र के समान नहीं तो कम से कम विवाहिता पुत्री से तो अधिक ही हिस्सा मिले। मेरा सुझाव है कि मिताक्षरा समांशित अविभक्त परिवार सम्पत्ति में से पहले मर चुके

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वी० जो० देशपांडे]

पुत्र की विधवा, और पहले मर चुके पुत्र के पहले मर चुके पुत्र की विधवा को और सामान्य मामलों में चार उल्लिखित व्यक्तियों को निकाल दिया जाये । मुझे केवल यही सुझाव देना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संशोधन पर से पूर्वसूचना कालावधि को हटाये देता हूं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इसे सुनें ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या २४० का प्रस्ताव करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल विधेयक में यह था कि किसी व्यक्ति के मरने पर दोनों पुत्रों की सम्पत्ति को भी मिला कर वारिसों में बांटा जाता था और पहले मर चुके पुत्र की विधवा को पति के नहीं बल्कि ससुर के मरने पर हिस्सा मिलता था, परन्तु वर्तमान विधेयक के अनुसार जब परिवार का कोई भी व्यक्ति मरे तो उसकी सम्पत्ति में संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा होता है । यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा को हिस्सा मिलेगा और जब पिता की मृत्यु होगी तो पुत्रों को पुनः सम्पत्ति में हिस्सा मिलेगा जिससे कि विधवा का हिस्सा कम हो जायेगा । श्री देशपांडे का यह अभिप्राय है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह मेरी समझ में नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि यदि सूची में से कुछ हिस्सेदार निकाल दिये जायें तो विधवा का हिस्सा बढ़ जायेगा ।

†**श्री पाटस्कर** : हमने खंड ६ पारित किया है इसके वर्तमान रूप के अनुसार मिताक्षरा अविभक्त परिवार की सम्पत्ति में अन्य लोगों के साथ महिला वारिसों और पुत्रियों का भी हिस्सा होगा । मैं यह मानता हूं कि पुत्री और अन्य व्यक्तियों को समान हिस्सा मिलना चाहिये, परन्तु माता और विधवा, जिसे अब तक केवल सीमित सम्पत्ति मिलती थी अब पूर्ण सम्पत्ति मिलेगी, चाहे उनका हिस्सा १९३७ के अधिनियम द्वारा स्वीकार्य हिस्से से कुछ कम ही क्यों न हो । परन्तु यह तर्क तो समस्त योजना के प्रतिकूल है । खंड ६ को पारित करने के पश्चात् इसका जो स्वरूप बन गया है क्या उसके होते हुए कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि अविभक्त परिवार की सम्पत्ति के बारे में, पहले मर चुके पुत्र की विधवा और पहले मर चुके पुत्र के पहले मर चुके पुत्र की विधवा को सूची से हटा दिया जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि "हटा दिया जाये" से उनका क्या अभिप्राय है ।

†**श्री बी० जी० देशपांडे** : यह कि उन्हें वर्ग १ से निकाल दिया जाये ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं । इसका अर्थ है कि पहले की तरह विधवा की सम्पत्ति सीमित ही रहनी चाहिये । आप चाहे इसका निर्णय अन्त में करें परन्तु मैं यह बता दूं कि खंड ६ में हमने जो कुछ पारित किया है यह संशोधन उससे बिल्कुल असंगत है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : असंगत नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर मतभेद है । खंड ६ पारित करने से ही इस संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई है क्योंकि जब तक खंड ६ पारित नहीं किया गया था तब तक अविभक्त परिवार की सम्पत्ति पिता की सम्पत्ति मानी जा सकती थी और पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति को वारिसों में समान रूप से बाँटा जा सकता था, परन्तु अब मरने वाले व्यक्ति के हिस्से को अविभक्त परिवार की समस्त सम्पत्ति से घटा कर अविभक्त परिवार की सम्पत्ति में उसके अपने हिस्से तक सीमित कर दिया गया है, इस हालत में मरने वाले की विधवा को अपने पति की सम्पत्ति में उस पुत्र की विधवा से अधिक हिस्सा मिलना चाहिये जो अपने पति के मरने पर भी हिस्सा ले चुकी है । श्री देशपांडे चाहते हैं कि खंड ६ में संशोधन करके वर्ग १ में अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करके विधवा का हिस्सा कम नहीं करना

†मूल अंग्रेजी में ।

चाहिये और जो व्यक्ति पहले हिस्सा ले चुकें उन्हें दूसरी या तीसरी बार हिस्सा नहीं मिलना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो अमेंडमेंट (संशोधन) हैं : नं० २२७ और २२८ । ये दोनों ही आल्टरनेटिव (वैकल्पिक) एमेंडमेंट हैं । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि इस बिल का जो मौजूदा ढांचा है उसमें हम जो विधवा है, उसकी पोजीशन (स्थिति) को बहुत ही खराब करते जा रहे हैं । जैसे कि धारा ६ के ऊपर बोलते हुए मैंने बतलाया था कि विधवा को जो हिस्सा १९३७ का जो कानून है उसके मुताबिक अब मिलता है, वह हिस्सा धारा ६ में संशोधन होने के कारण अब और भी कम कर दिया गया है । इस शेड्यूल (अनुसूची) के अन्दर जैसा कि देशपांडे जी ने कहा है कि बहुत से हेयर्ज को (उत्तराधिकारियों) ला कर हमने विधवा का जो हिस्सा है उसको और भी कम कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पहले भी इस सदन में कहा जा चुका है डाटर (पुत्री) का जो लड़का है लड़के का जो लड़का है, मृत लड़की के लड़के इत्यादि को भी क्लास १ में रखने की इस शेड्यूल में तजवीज़ है । उस डाटर का जो लड़का है उस डाटर के लड़के के लिये चूंकि वह किसी और का भी लड़का है और वहां पर उसको पुरा हक मिल चुका है उसको भी हम यहां ले आयें और डाटर के लड़के को भी और मृत डाटर की डाटर को भी ले आयें तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत से हेयर्स हो जायेंगे इस क्लास १ में और इसका परिणाम यह होगा कि जो विधवा है उसका हिस्सा कम होता जायेगा । आप इन सब को क्लास २ में रख दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है । अगर आप बहुत ज्यादा हेयर्स को क्लास १ में रख देंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस पुरुष ने सम्पत्ति पैदा की और जो कुदरती तौर पर यह चाहता है कि मरने के बाद उसकी विधवा स्त्री उसका उपभोग करे, उसको कोई तकलीफ न हो वह अपना पेट भर सके, उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी । इस तरह जो विधवा है उसका हिस्सा जैसे-जैसे आप हेयर्स को बढ़ाते जायेंगे, वैसे-वैसे कम होता जायेगा । मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस बिल का जो उद्देश्य है वह यह है कि स्त्रियों और पुरुषों के जो सम्पत्ति में असमान अधिकार हैं, वह दूर हों और दोनों को एक से अधिकार प्राप्त होने चाहियें । साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि लड़की को उसके ससुराल में गृहलक्ष्मी कहा जाता है । अब मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका उद्देश्य है वह प्राप्त हो और कुनबे भी कायम रहें तो आप क्लास १ में जैसा कि मैंने अपनी एमेंडमेंट में कहा है कि आप सिर्फ विधवा को ही रखें अर्थात् जिस वक्त कोई मरे तो उसके मरने के बाद उसकी पूरी सम्पत्ति की मालिक उसकी विधवा स्त्री हो जाये । आज सब हम मर्दों के ऊपर इतना विश्वास करते हैं और उनको पूरी सम्पत्ति का मालिक बना देते हैं, एक भाई का लड़का उस लड़के के लड़के कितने ही हों पूरी सम्पत्ति के मालिक हो सकते हैं । मिताक्षरा कानून को छोड़ दीजिये । मैं समझता हूं कि विधवा स्त्री को क्यों न यह अधिकार दिया जाय कि अपने पति के मरने के बाद जब तक वह ज़िन्दा रहे पूरी सम्पत्ति की मालिक रहे । लड़के को शेड्यूल १ में रखने का जहां तक ताल्लुक है तो वह उस पिता का भी लड़का है और उस स्त्री का भी लड़का है और उस विधवा स्त्री के मरने के बाद लड़के और लड़कियों दोनों को हक जायगा और इसलिये उनको क्लास १ में न रख कर क्लास दो में रखना चाहिये अगर मेरी इस तजवीज़ को मान लिया जाता है तो स्त्रियों को जो समानाधिकार दिलाने का हमारा उद्देश्य है वह पूरी तौर से सफल हो सकता है । दूसरी तरफ जो यह एतराज़ इस बिल पर किया जाता है कि सदन इस बिल को ला कर हमारे कुनबों का विघटन कर रहा है, वह ऐतराज़ भी दूर हो जाता है और स्त्रियों को समानाधिकार भी प्राप्त हो जाता है । इसमें क्या ज़िद है कि हम लड़की को ही समानाधिकार दिलायें और जो ससुराल में अपनी बहू है उसको वह हिस्सा न दें । अगर स्त्रियों को हम समानाधिकार देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहू और लड़की दोनों स्त्री हैं और दोनों को समानाधिकार देना चाहिये ।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

दूसरा मेरा अमेंडमेंट नम्बर २२८ है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अभी हाउस (सभा) मे सिफारिश की है कि शेड्यूल में मदर (माता) को क्लास २ में से हटा कर क्लास १ में ले जाना चाहिये मैं भी यही चाहता था मगर मुझे चूंकि यकीन नहीं था कि इस तरह का मेरा अमेंडमेंट मंजूर हो जायेगा इसलिये मैंने अपने इस २२८ नम्बर के अमेंडमेंट में हल्की चीज रखी और मैंने विधवा माता रखा और मैं चाहता हूं कि विधवा माता को तो ज़रूर ही क्लास २ में से हटा कर क्लास १ में ले जाया जाय ।

एक मेरी यह मांग है जैसा कि पहले भी यहां पर कहा जा चुका है कि लड़के को जब हम उत्तराधिकारी मानते हैं तो लड़के की पत्नी को भी साथ-साथ उत्तराधिकारी बना दें और लड़का और लड़के की पत्नी दोनों साथ-साथ उत्तराधिकारी बन जाय। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा समानता का दावा सही है तो लड़का और लड़की की पत्नी दोनों बराबर हैं और दोनों को यह एक समान उत्तराधिकारी होना चाहिये। फिर मैंने अपने संशोधन में अनमैरिड डाटर (अविवाहित लड़की) को रखा है। आप अविवाहित लड़की को ज्यादा तरजीह दीजिये, पत्नी को हिस्सा दीजिये। मैं बराबर इस बात के लिये ज़ोर दे रहा हूं कि अगर स्त्रियों को तरजीह देना हो तो जरूर दीजिये लेकिन मैं कहूंगा कि बजाय लड़की को ज्यादा तरजीह देने के बहू को ज्यादा तरजीह दीजिये। साथ ही मैं चाहता हूं कि लड़की के लड़के और लड़की की लड़कियों को क्लास १ में से निकाल कर क्लास २ में कर दिया जाय ताकि हिस्से भी कम हो जायें और लड़की के लड़के को कोई हक नहीं है कि वह क्लास १ में जाय, उसको क्लास १ में रखना अनुचित है। और मेरी यह तजवीज़ है कि उसको क्लास १ में रखने के बजाय क्लास २ में रख दिया जाये ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : मैं श्री वी० जी० देशपांडे के सभी संशोधनों का विरोध करती हूं। खंड ६ में परिवर्तन करके पुत्रियों को अविभक्त परिवार की सम्पत्ति में नहीं बल्कि पिता की सम्पत्ति में हिस्सा दिया गया है ।

अनुसूची के वर्ग १ में पहले मर चुके पुत्र के पुत्र को रखा गया है, और यदि पुत्री जीवित नहीं है तो उसके बच्चों को हिस्सा देना न्यायपूर्ण होगा क्योंकि यदि उनकी मां जीवित होती तो उनको सम्पत्ति में हिस्सा मिलता। पहले मर चुके पुत्र की पुत्री के वर्ग १ में रखे जाने में कोई हानि नहीं है ।

श्री देशपांडे ने कहा कि १९३७ के अधिनियम से विधवा को अधिक लाभ प्राप्त होता था परन्तु उसके अन्तर्गत उसका अधिकार सीमित रहता था और अब उसे पूर्ण अधिकार दिया जा रहा है ।

खंड ६ में संशोधन से पूर्व माता का हिस्सा काफी था परन्तु संशोधित खंड ६ के अनुसार उसे विधवा होने के नाते अपने पति की सम्पति में, और अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलेगा। माननीय सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिये कि यदि माता को वर्ग १ में रखा जाता है और उसे हिस्सा दिया जाता है तो यह पहले मर चुकी पुत्री या पुत्र के बच्चों के साथ अन्याय करना होगा। माता की देखभाल यदि कोई अन्य नहीं तो उसका पुत्र कर सकता है। मरुमाकट्टयम में भी माता को रखा गया है और हम अनुभव करते हैं कि ऐसा होना भी चाहिये। परन्तु इससे मृत पुत्र अथवा पुत्रियों को बच्चों के प्रति अन्याय करना होगा। अतः इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि माता को वर्ग १ में रखा जाये या वर्ग २ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि माता को प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये। श्रीमती जयश्री ने इस बात का विरोध किया है जिससे मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है। माता का स्थान न केवल दाय भाग में ही, जैसा कि श्री बर्मन ने बताया है, वरन् मिताक्षरा में भी काफी ऊंचा है। मैं मौजूदा उपबन्ध का विरोध करती हूं और मेरा ख्याल है कि माता को विधवा के उपरांत अनुसूची के वर्ग १ में रखा जाना चाहिये।

यह तो बात नहीं है कि माता को यदि सम्पत्ति प्राप्त हुई तो वह परिवार के अन्य सदस्यों से सम्बद्ध विच्छेद कर लेगी वरन् जैसा कि हमारी भारतीय परम्परा में होता आया है माता उस पर आश्रित सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखेगी।

मेरा ख्याल है कि मेरा संशोधन वांछनीय है और जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि माता को वर्ग १ में रखना न्यायोचित है।

मैं अपने संशोधन संख्या २२३ में यह संशोधन प्रस्तुत करती हूं :

"कि शब्द "माता" को वर्ग २ से वर्ग १ में स्थानान्तरित किया जाये और उसे शब्द "पुत्र; पुत्री; विधवा" के बाद रखा जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती सुषमा सेन के संशोधन संख्या २२३ में तदनुसार संशोधन किया जायेगा। पंडित ठाकुर दास भार्गव अनुसूची के वर्ग १ से सम्बन्धित अपने सभी संशोधनों का निर्देश कर सकते हैं और आवश्यक हो तो वह कुछ बातों का उत्तर दें। इसके बाद हम अन्य बातों पर विचार कर सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या १८९, २२१, और ४३ से लेकर ५१ तक का निर्देश करूंगा।

संशोधन संख्या १८९ का निर्देश करते समय मैं निवेदन करता हूं अनुसूची के वर्ग १ के स्थान पर मैं यह रखना चाहता हूं अर्थात् :

"पुत्र और उसकी पत्नी को बराबर हिस्सा विधवा; अविवाहित पुत्री; पूर्व मृत पुत्र का पुत्र और उसकी पत्नी ; पूर्व मृत पुत्र की विधवा; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र तथा उसकी पत्नी; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा।"

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को किसी परिणाम पर पहुंचने में सुविधा हो इस उद्देश्य से मैंने वर्ग १ के इन सभी संशोधनों को तीन या चार शीर्षों के अन्तर्गत रखा है, आवश्यकता हो तो मैं शीर्षों की संख्या बढ़ाने के लिये तैयार हूं। यह शीर्ष हैं :

(१) वर्ग १ से कुछ को हटाया जाये।

(२) वर्ग १ में माता या पिता में से किसी एक को अथवा दोनों को सम्मिलित किया जाये।

(३) "पुत्री" को "अविवाहित पुत्री" की विशेषता दीजिये।

यही तीन श्रेणियां हैं।

†**श्री पाटस्कर** : यही श्रेणियां अथवा प्रकार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने जो कुछ लिखा है वह इस प्रकार है। वर्ग १ से कुछ शीर्षों को हटाया जाये; वर्ग १ में माता या पिता या दोनों को रखा जाये और पुत्री के स्थान पर अविवाहित पुत्री रखा जाये।

माननीय सदस्य को इन श्रेणियों के अन्तर्गत बातें कहनी चाहिये अन्यथा वह कोई अन्य नई श्रेणी बतायेंगे तो उसे मैं लिख लूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि मेरे संशोधन संख्या १८९ और २२१ को एक साथ लिया जाये तो उनको मिला कर चार श्रेणियां या वर्ग इस प्रकार बनते हैं :

पहला माता और पिता वर्ग १ में हो सकते हैं। दूसरे, मैं यह चाहता हूं कि पुत्री की पुत्री और पुत्री के पुत्र इन चारों श्रेणियों से हटा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : और उन्हें वर्ग २ में रख दिया जाये ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हां।

तीसरे शब्द "पुत्री" के स्थान पर शब्द "अविवाहित पुत्री" रखा जाये। और जहां तक शब्द "पुत्र" का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि पुत्र और उसकी पत्नी का हिस्सा समान हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां पत्नी कहां है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वह अनुसूची में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप उसे वर्ग १ में रखना चाहते हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं चाहता हूं कि वर्ग १ में शब्द "पुत्र" के स्थान पर शब्द "पुत्र और उसकी पत्नी को समान हिस्सा" रखे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों को एक ही हिस्सा ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हां, दोनों को मिला कर एक हिस्सा मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैं उसे एक और श्रेणी मान कर लिखे लेता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक माता और पिता का सम्बन्ध है मेरा नम्र निवेदन है कि आज भी जब किसी मिताक्षरा परिवार में सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है तो आम तौर पर माता को एक हिस्सा और एक पिता या पुत्रों को दिया जाता है। इसलिये यदि वास्तव में विभाजन होता है तो माता आज एक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है किन्तु यदि अनुसूची के अनुसार हिस्से दिये जाते हैं तो माता को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है हमारे नियम सारे देश के लिये होने चाहिये और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि माता को वर्ग १ में रखा जाये।

माननीय मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह माता और पिता को वर्ग १ में नहीं रखना चाहते ? मान लीजिये कि पिता की कोई सम्पत्ति नहीं है। आपको सदा यह नहीं सोचना चाहिये कि पिता के पास सम्पत्ति होती है। मान लीजिये कि पुत्र के पास स्व-अर्जित सम्पत्ति है। आपको माता के बारे में चिंता है किन्तु पिता का क्या होगा? आप यह कह सकते हैं कि पिता के लिये भरण-पोषण का उपबन्ध किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि जहां तक भरण-पोषण सम्बन्धी नियमों का प्रश्न है वह भिन्न हैं। मान लीजिये कि पुत्र और पुत्री मिलाकर छः हैं। पुत्र को प्राप्त हिस्से में से क्या वह पिता के भरण-पोषण का उपबन्ध कर सकता है ? यह पुत्र का कर्तव्य है किन्तु विवाहित और अविवाहित पुत्री पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता आया हूं कि आपको यह देखना चाहिये कि पुत्र को पर्याप्त सम्पत्ति मिले जिससे कि वह परिवार को चला सके।

जहां तक अविवाहित पुत्री का सम्बन्ध है उसकी स्थिति विवाह पर्यंत निश्चय ही अधिक अच्छी होती है। मेरा ख्याल है कि विवाहित पुत्री को नहीं किन्तु पुत्र की पत्नी को सम्पत्ति मिलनी चाहिये और मैं इसके समर्थन के लिये कुछ तर्क प्रस्तुत करता हूं। मैं दक्षिण भारत के बारे में नहीं जानता हूं किन्तु उत्तर भारत में यह स्थिति है कि एक साधारण परिवार में भी पुत्री को यथाशक्य शिक्षा दी जाती

†मूल अंग्रेजी में।

है और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। मेरे मित्र ने सौराष्ट्र में महिलाओं की आत्महत्यायों के बारे में कुछ पढ़कर सुनाया था। उन्होंने कहा कि चूंकि इतनी आत्महत्यायें होती हैं इसलिये अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिता के घर में कष्ट उठाने के कारण और पति के घर में कष्ट उठाने के कारण आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः कितनी है।

†**श्री पाटस्कर** : मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। उस दिन भी इस बात का निर्देश किया गया था। मैंने आत्महत्याओं का निर्देश इसलिये नहीं किया था कि स्वयं उनके कारण अधिनियम में परिवर्तन किया जाये। सरकार द्वारा वहां एक समिति नियुक्त की गई थी जिससे मामले की जांच करके यह सिफारिश की कि अधिनियम ऐसे होने चाहियें जिनसे कि स्त्रियों को अधिक अधिकार मिल सकें। मेरा निवेदन यही था। उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक स्त्रियों को अधिकार देने का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं। मैं केवल एक अधिक अच्छे उपाय का सुझाव दे रहा हूं। आखिरकार पुत्र की पत्नी किसी की पुत्री तो होगी ही। उसे उसके पति की सम्पत्ति में हिस्सा क्यों न मिले ? वह किसी दूसरे परिवार में जाती है; अपने आपको उस परिवार की उन्नति में लगा देती है और उस वंश को आगे चलाने में वह सहायता का एक स्रोत होती है। इतना होते हुए भी यदि उसे उसके श्वसुर की सम्पत्ति में से हिस्सा नहीं मिलता है तो यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है। यह कहना बिलकुल गलत होगा कि पुत्री को पिता की सम्पत्ति में से कुछ मिलता नहीं है। हम देखते हैं कि पुत्री के विवाह में लाखों रुपये दहेज में दिये जाते हैं, और विवाह के बाद भी कई ऐसे अवसर मंगल कार्य इत्यादि आते हैं जब कि पुत्री को कुछ न कुछ मिलता ही है। पुत्री को आप इससे दुगना दीजिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो अधिनियम बना रहे हैं उसके जरिये आप उसे एक हाथ से जो दे रहे हैं उसे दूसरे हाथ से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यदि आप पुत्री को उत्तराधिकारी बनाते हैं तो पुत्र पिता की इच्छा में हस्तक्षेप करेंगे और वह दहेज आदि देने के पक्ष में नहीं होंगे। उसका परिणाम यह होगा कि पिता की मृत्यु पुत्र के घर में होगी और पुत्र जो इच्छापत्र लिखायेगा उसमें पुत्री को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मुझे यही आशंका है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कार्यवाही की जा रही है उससे पुत्री का कल्याण नहीं होगा।

देशमुख अधिनियम के अनुसार विधवा को पुत्र के समान ही हिस्सा मिलता था। किन्तु इस विधेयक के अनुसार उसे क्या मिलता है ? श्री देशपांडे ने ठीक ही कहा है कि उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई है। मेरा ख्याल है मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी विधवा को मिलनी चाहिये। हमारे शास्त्रों के अनुसार पत्नी पति की अर्द्धांगिनी होती है। मेरा निवेदन है कि विधवा को सबसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिये। इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे पुत्री से भी कम हिस्सा मिलेगा। इसलिये यह विधेयक स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिये अनुकूल नहीं है।

मैं यह सुझाव देना चाहता था कि श्वसुर की मृत्यु के बाद पुत्र और उसकी पत्नी को एक हिस्सा, अविवाहित पुत्री को एक हिस्सा और यदि कोई पूर्वमृत पुत्र थे तो उनकी विधवाओं को एक हिस्सा दिया जाना चाहिये। इस समय स्थिति यह है कि परिवार को पुत्र चलाता है। पुत्री दूसरे परिवार में चली जाती है और उसे पराया धन कहा जाता है। इसलिये माता-पिता का इस प्रकार सोचना स्वाभाविक है कि पुत्रों को अधिक सम्पत्ति मिलनी चाहिये क्योंकि वृद्धावस्था में उनकी देखभाल पुत्रों द्वारा की जायेगी। यह व्यवस्था हमारे यहां हजारों वर्षों से प्रचलित है और उसमें कौन सी बात आपत्तिजनक है यह मैं जानना

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चाहता हूं। आप कहते हैं कि हम परिवर्तन इसलिये कर रहे हैं कि चूंकि संविधान में यह कहा गया है कि पुरुष और स्त्री के बीच कोई विभेद नहीं किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या यह पुरुष-स्त्री की समानता केवल पुत्र और पुत्री तथा भाई और बहिन के बारे में ही है और क्या उसका सम्बन्ध पति-पत्नी से नहीं है ? इन स्त्रियों के लिये, जो अन्य परिवारों में जाकर गृह लक्ष्मी का कार्य करती है, समानता का दावा क्यों न किया जाये। मैं यह देखता हूं कि पत्नी को कुछ मिलता नहीं है और वह पति की दया के आसरे रहती है। मैं इस बात को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि भारत की स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वतंत्र हों ताकि हमारी भावी पीढ़ी और भी सशक्त हो सके।

†**श्रीमती जयश्री** : आपने उसे सम्राज्ञी कहा था किन्तु अब आप स्वयं ही उसका प्रतिवाद कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऋग्वेद में इस आशय की पंक्ति है "सम्राज्ञी भव"--घर की रानी बनो।

†**श्री नंदलाल शर्मा** (सीकर) : उन्होंने अर्द्धांगिनी कहा था नकि सम्राज्ञी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वह घर की रानी होती है किन्तु सम्पत्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपकी रानी का चित्र यह है किन्तु मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। मुझे अपनी परिवार व्यवस्था पर गर्व है जहां माता या पत्नी वातस्व में घर की रानी होती है। हो सकता है कि भविष्य में वह साम्राज्ञी न रहे किन्तु मैं चाहता हूं कि वह यथार्थ में सच्ची रानी बने। वास्तव में वह परिवार की अभिभावक है। आज स्थिति यह है कि उसे कुछ भी व्यय करना होता है तो उसे पति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि पत्नी पति के साथ सम्पत्ति के आधे हिस्से की स्वामिनी हो तो इससे मेरे मित्रों का उद्देश्य अधिक अच्छी तरह साध्य होगा और पति को उसके साथ बुरा व्यवहार करने से पूर्व काफी विचार करना होगा।

हमने विवाह अधिनियम में विवाह-विच्छेद व्यवस्था का समावेश किया था। उस समय भी मेरी यह इच्छा थी कि यदि गृहस्वामिनी को सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह अधिकार दिये जाते हैं तो विवाह-विच्छेद की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। जहां तक स्त्रियों के अधिकारों का सम्बन्ध है यह एक परित्राण सदृश होगा। इसलिये सभा से मेरा नम्र निवेदन है कि अब भी समय है और चूंकि हम यह विधेयक सारे देश के लिये पारित कर रहे हैं इसलिये यदि हम पुत्र की पत्नी को पुत्र के साथ सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाते हैं तो हम वास्तव में प्रश्न को हल कर सकेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और इसे साध्य करना भी सरल होगा। यदि राज्य सभा ने इस सम्बन्ध में कुछ किया नहीं है तो भी मेरा ख्याल है कि हमें यह क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहिये। इससे पत्नी को परिवार में अधिक सम्मान प्राप्त होगा और इसलिये मेरी इच्छा है कि शब्द पुत्री के स्थान पर शब्द अविवाहित पुत्री रखने के लिये हमें सहमत होना चाहिये। यदि वधू पहले मर जाने वाले पुत्र की विधवा है तो उसे हिस्सा मिलेगा और पत्नी है तो नहीं। इस मनोवृत्ति को मैं समझ नहीं सकता हूं।

डा० अम्बेडकर के हिन्दू कोड में उत्तराधिकारी सात हैं न कि ग्यारह। अब उनमें चार और जोड़ दिये गये हैं। यह बात नहीं है कि मैं उन्हें अधिकारों से वंचित रखना चाहता हूं किन्तु मैं उन्हें वर्ग १ में रखना नहीं चाहता। उन्हें वर्ग २ में सरलता से स्थानान्तरित किया जा सकता है अन्यथा यह संभव है कि माताओं और विधवाओं के हिस्से कम हो जायें।

हम भरण-पोषण के प्रश्न पर भी विचार कर रहे थे। मैं डा० अम्बेडकर के हिन्दू कोड के खंड १३० का निर्देश करता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप "जब तक कि

†मूल अंग्रेजी में।

वह पुनर्विवाह नहीं करती" इन शब्दों पर ध्यान दें। इस कोड में भी विवाहित पुत्रो को किसी हद तक ही भरण-पोषण दिया गया था और विधवा यदि पुनर्विवाह करती है तो इस कोड के अनुसार वह भरण पोषण पाने का अधिकार खो देती है। किन्तु क्या यह उचित है कि पुनर्विवाह करने पर जिन अधिकारों को वह कोड के अनुसार खो देती है वह सभी अधिकार उसे हम इस अधिनियम के अन्तर्गत दें ?

यह स्त्रियां जिस सम्पति को प्राप्त करने वाली हैं उसके स्वरूप पर हम विचार करें तो हम यह देखेंगे कि अगले ही खंड से उन्हें सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार मिलेगा। मैं इसका विरोध करता हूं। वास्तव में उन्हें वही अधिकार प्राप्त होने चाहिये जो पुरुषों को मिल रहे हैं अन्यथा यह संभव है कि विधवाओं द्वारा, जिन्हें कि आवश्यक अभनुव नहीं है, सम्पति का सही उपयोग नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि समानता के आवेश में हमें इन तथ्यों को विस्मृत नहीं कर देना चाहिये जो लोग समानता की पुकार करते है उनसे मैं पूछता हूं कि जहां तक सम्पत्ति के पूर्ण अधिकार का प्रश्न है क्या पुरुषों और स्त्रियों के बीच कोई समानता होगी। इस विधेयक में वास्तव में हम इस प्रस्थापना के विरुद्ध जा रहे हैं। यदि आप समानता का समर्थन करते हैं तो दामाद को श्वसुर की सम्पत्ति में हिस्सा क्यों न दिया जाये ? मैंने एक संशोधन केवल ऐसी विभेदात्मक बातों को बनाने के लिये प्रस्तुत किया है मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जो लोग समानता के पक्षपाती हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** पुत्र वधू के आधार पर ? पुत्र वधू, पुत्र की भागीदार है, दामाद पुत्री का भागीदार है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** विधाता ने पुरुष और स्त्री को समान बनाया ही नहीं हैं। सम्पत्ति के अधिकार देते समय हमें जो बातें उचित हैं वही करनी चाहियें ताकि हमारी परिवार व्यवस्था, जोकिं संभवत: संसार भर में सर्वोत्तम है, विच्छिन्न न हो जाये। जब मैंन यह कहा कि आप आदर्शों को बदल रहे हैं तो मेरे कुछ मित्रों को इस पर आपत्ति हुई थी। वास्तव में आप यही कर रहे हैं।

भारत के एक भाग में पुत्री को एक हिस्सा देकर भारत के दूसरे भाग में वैसा ही हिस्सा पुत्र वधू से ले लेने में क्या लाभ है ? आखिरकार किसी की पुत्री तो किसी को पुत्र वधू होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप पुत्र वधू को वही अधिकार दें जोकि पुत्री को दिया जाता है। जहां तक पंजाब और देश के उत्तरी राज्यों का सम्बन्ध है मुझ ज्ञात हुआ है कि नब्बे प्रतिशत लोग मेरी प्रस्थापना के पक्ष में हैं। आप एक ऐसा विधेयक पारित कर रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की नब्बे प्रतिशत जनता की बरबादी होगी। इसलिये मैं पूर्ण नम्रता के साथ आपको यह चेतावनी देता हूं कि यदि आप भारत के परिवारों का परिरक्षण चाहते हैं तो आपको वह सभी परिवर्तन करने चाहियें जो मैंने बताये हैं।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : वर्ग १ के उत्तराधिकारियों की सूची जिस प्रकार वह है वैसे ही कायम रखने के पक्ष में मैं हूं, क्योंकि जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है यह सूची पर्याप्त विचार और मनन के उपरांत बनाई गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह सूची दायभाग और मिताक्षरा इन दोनों व्यवस्थाओं पर लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

†**श्री नंदलाल शर्मा :** नहीं। वह मिताक्षरा पर लगू नहीं होती है।

†**श्री सी० आर० चौधरी :** वह दोनों पर लागू होगी। श्री वी० जी० देशपांडे मौजूदा सूची में परिवर्तन करने के पक्ष में हैं और उन्होंने इस आशय का एक विचित्र तर्क प्रस्तुत किया कि मौजूदा अधिनियम के अन्तर्गत विधवा को उसके पति की मृत्यु के बाद समूचा हिस्सा मिले और वह समांशी सम्पत्ति के उस हिस्से के लिये विभाजन करने पर बाध्य कर सकती है जो उसके पति को विभाजन की मांग करने पर प्राप्त होता। यह नियम दायभाग व्यवस्था पर लागू नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सी० आर० चौधरी]

मौजूदा विधेयक के अन्तर्गत विधवा का हिस्सा काफी कम हो गया है क्योंकि उसके साथ और भी हिस्सेदार हैं। किन्तु मेरे माननीय मित्र इस बात को भूलते हैं कि जो हिस्सा विधवा को अब मिल रहा है वह कम अवश्य है किन्तु उसे उसके सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, जबकि हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह बात नहीं है। इसके अतिरिक्त, जैसी कि स्थिति है, पुत्र की विधवा को श्वसुर की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है और पहले मर जाने वाले पुत्र के पुत्र की विधवा को भी यह अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इस विधेयक के अनुसार विधवा का हिस्सा कम हो गया है तथापि विधवा को श्वसुर और श्वसुर के पिता की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार भी है। इसलिये विधवा को लगभग उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसे पहले मिलता था। वास्तव में देखा जाये तो उसके अधिक सम्पत्ति पाने की संभावना ही अधिक है और आप यह देखेंगे कि जो भी सम्पत्ति उसे मिलेगी उस सम्बन्ध में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। अतः मेरा निवेदन है कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विधवा के साथ कुछ अधिक अन्याय नहीं होगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि ग्यारह उत्तराधिकारियों को एक साथ उत्तराधिकार मिलेगा। मैं उनका ध्यान खंड १० में दिये गये उत्तराधिकार नियमों की ओर दिलाता हूं। इनसे स्पष्ट है कि उन्हें एक साथ उत्तराधिकार नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें केवल अपनी-अपनी शाखाओं की सम्पत्ति मिलेगी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इन सब व्यक्तियों को एक साथ उत्तराधिकार देने से सम्पत्ति का अपखंडन होगा। इसी तरह मेरे माननीय मित्र का यह तर्क भी भ्रामक है कि यदि मृतक की सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों की सूची में से कुछ स्त्रियों को निकाल दिया जाये, तो अपखंडन नहीं होगा।

मैं इस सरकारी संशोधन स सहमत हूं कि माता को भी वर्ग १ के उत्तराधिकारियों में सम्मिलित किया जाये। पुत्र, पुत्री और विधवा के साथ माता का भी बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये खंड १० में संशोधन करना पड़ेगा और नियम २ में "उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों" के बाद 'माता' को रखना पड़ेगा। अतः नियम १, २ और ३ को नये सिरे से प्रारूपित करना होगा।

यदि हम अनुसूची में दिये हुए वर्ग १ के उत्तराधिकारियों की सूची में परिवर्तन करना चाहें, तो हमें दायभाग प्रणाली को ध्यान में रखना होगा और यह व्यवस्था करनी होगी कि उन उत्तराधिकारियों को, उनके वर्तमान अधिकारों से या उन अधिकारों से जो अब हम उन्हें देंगे, वंचित न किया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं कुछ शब्द श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन के बारे में कहना चाहती हूं। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पूछा है कि क्या माता को वर्ग १ के उत्तराधिकारियों में सम्मिलित कर के हम समानता स्थापित करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि इस विधेयक के द्वारा पूर्ण समानता स्थापित नहीं हो सकती है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने और भी बहुत सी युक्तियुक्त बातें कहीं हैं। मेरे विचार में यह बिल्कुल सच है कि यदि पुत्रवधू को श्वसुर की सम्पत्ति का भी भाग मिले, तो उसे कुछ श्रेष्ठता प्राप्त होती है किन्तु स्पष्ट है कि यदि वह पिता के घर से भी कुछ सम्पत्ति ले आये, तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।

समानता के सम्बन्ध में, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि हमारे संविधान में ही दुर्बल को गुरु भार दिया गया है। अतः यदि विधवा को दो या तीन-चार उत्तराधिकार मिले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हम विधवा को सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व दे रहे हैं। इस के साथ ही, चूंकि विधवा का अंश कम हो गया है, इसलिये यदि उसे श्वसुर की सम्पत्ति का हिस्सा मिलने के बाद ददिया श्वसुर की सम्पत्ति का अंश भी दिया जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से अधिक है, इसलिये विधवा को यह अधिकार देना उचित है। माता को वर्ग १ में रखना ठीक है और इस

†मूल अंग्रेजी में।

परिवर्तन के बाद वर्ग १ को वैसे ही रहने देना चाहिये। अनुसूची में और कोई संशोधन नहीं करना चाहिये।

†**श्री सी० सी० शाह** : अनुसूची के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई इस बात से उत्पन्न होती है कि समांशी सम्पत्ति और पृथक् सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकार का एक ही क्रम रखा गया है। जहां तक समांशी सम्पत्ति का सम्बन्ध है, पुत्री की पुत्री या पुत्र की पुत्री या पुत्र के पुत्र की पुत्री आदि को कोई अंश नहीं मिल सकता है। इसोलिये इसका विरोध हो रहा है। पृथक् सम्पत्ति में पुत्र की विधवा या पुत्र के पुत्र को विधवा को कोई अंश नहीं मिल सकता है।

मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो, तो अनुसूची में अब भी संशोधन कर दिया जाये। खंड ६ के अनुसार जैसा कि यह पहले था, समूची समांशी सम्पत्ति को उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिये एक एकक मानकर बंटवारा किया जाता था। किन्तु खंड ६ को संशोधित करने के बाद, अब हमें उत्तराधिकार के दो क्रमों की आवश्यकता है—एक समांशी सम्पत्ति के लिये और दूसरा स्व-अर्जित सम्पत्ति के लिये। ऐसा करने से सभी हितों को संतुष्टि हो सकेगी। यदि अब भी समय हो तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे।

कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि चार उत्तराधिकारी अर्थात् पुत्र की पुत्री, पुत्र के पुत्र की पुत्री, पुत्र का पुत्र और पुत्री की पुत्री पिता और माता के बाद आने चाहिये। उचित यह है जैसा कि श्री एच० जी० वैष्णव ने कहा है, कि राव समिति की सिफारिश के अनुसार सात उत्तराधिकारियों को वर्ग १ में रखा जाये। जो कुछ हम अब कर रहे हैं, उससे भ्रांति पैदा हो रही है और हम नहीं कह सकते इसका परिणाम क्या होगा। मैं अब भी वही सुझाव दूंगा कि समांशी सम्पत्ति और स्व-अर्जित सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकार के क्रम भिन्न-भिन्न हों।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ म जब इस विधयक को लाने का विचार किया गया था उस समय उद्देश्य यह था कि स्त्रियों को पुरुषों के बारबर के अधिकार मिलें। लेकिन जो स्वरूप इस बिल का अब हो गया है और जिस तरह से हेयर्ज (वारिसों) के क्लाज़ (वर्ग) १ और क्लाज़ २ में रखा गया है उससे इस उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सन्देह उत्पन्न हो गये हैं। कुछ हक हम स्त्रियों को अवश्य दे रहे हैं लेकिन जैसा कि शाह साहब ने कहा कुछ गड़बड़झाला सा हो गया है। चूंकि हमने क्लाज़ ६ को बदल दिया है इससे मिताक्षरा और दायभाग दोनों के ही स्वरूप में महान अन्तर आ गया है। माता को ऊंचा दर्जा देने के बारे में जो यहां पर मांग की गई है उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में इस चीज़ को मान लिया है और अब माता को ऊंचा दर्जा मिल ही जायेगा। एक एमेंडमेंड (संशोधन) में जो यह कहा गया है कि लड़की की लड़की और प्रीडिसीज्ड सन (पूर्वमृत पुत्र) के सन (पुत्र) को भी इसमें से निकाल दिया जाये, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें लड़की की लड़की को तीन तरह की विरासत मिल जाती है। लड़की की लड़की एक विरासत तो उस खानदान में पायेगी, जिस खानदान में वह लड़की है, एक विरासत उस खानदान में पायेगी, जिसमें जाकर वह स्त्री बनेगी जब उसकी शादी हो जायेगी और एक विरासत वह अपनी मां के खानदान में पायेगी। अभी तक तो हम लड़की को बराबरी का दर्जा देने की ही बात कर रहे थे और उस ओर कदम भी बढ़ा रहे थे लेकिन अब वह तीन गुना हिस्सा ले रही है जबकि आदमी को एक ही हिस्सा मिल रहा है। आदमी को तो एक अधिकार के सिवा दूसरा अधिकार नहीं है लेकिन स्त्री को तीन-तीन जगह अधिकार देने की बात कही जा रही है। लड़की को पिता के घर से मिलेगा, पति के घर से मिलगा और अपनी माता से मिलेगा। जब हम लड़की की शादी करके उसे दूसरे घर में भेज देते हैं तो भी हम उस लड़की की लड़की को क्यों अपनी सम्पत्ति में अधिकार देने की बात सोचते हैं, यह बात मरी समझ

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री सिंहासन सिंह]

में नहीं आती । क्यों हम इस प्रकार का विधेयक बनाने जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आया । भाई और बहन को तो आपने दूसरी श्रेणी में रख दिया, वह तो ठीक माना नहीं जा सकता है जब कि लड़की की लड़की को, जिसके साथ किसी तरह से भी खून का नाता नहीं रह जाता है, भाई व बहन से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आया । मैं चाहता हूं कि इस चीज को हटा दिया जाये और जो श्री वैष्णव की एमेंडमेंट है उसे मंजूर किया जाये ।

आज हम दो प्रकार की सम्पत्ति में अधिकार देने की बात सोच रहे हैं, एक तो उस सम्पत्ति में जिस को चल सम्पत्ति कहा जाता है और दूसरी उस सम्पत्ति में जिसको कि अचल सम्पत्ति कहा जाता है । सम्पत्ति के यह दो स्वरूप होते हैं । चल में तो रुपया पैदा शेयर और अन्य प्रकार के साधन इत्यादि आते हैं और अचल में भूमि व मकान इत्यादि आते हैं । भूमि में लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कौन कहता है कि भूमि में कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है ?

श्री सिंहासन सिंह : सैक्शन ४, क्लाज २ में यह लिखा हुआ है कि :

"शंका के निवारण के लिये यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में दी गई कोई बात जोतों के अपखंडन को रोकने या भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने अथवा ऐसी जोतों के धृति अधिकारों के न्यसन की व्यवस्था करने वाली किसी भी प्रचलित विधि पर प्रभावी नहीं होगी ।"

अब जितनी जगह जमींदारी थी, वहां पर पर्सनल् ला (व्यक्तिगत विधि) लागू था और उस जमींदारी में मुस्लिम ला और हिन्दू पर्सनल् ला लागू था, दोनों के वारिस कानून के मुताबिक हक पाते थे, लेकिन उन जगहों पर वहां कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है और कम से कम उत्तर प्रदेश की बाबत मैं जानता हूं जहां कि जमींदारी खत्म हो गई और वहां पर अब न मुस्लिम ला लागू है और न हिन्दू ला लागू है वहां पर जो नया कानून जमींदारी उन्मूलन का बनाया है वही लागू है । जिसमें कि एक विरासत सम्बन्धी अलग धारा दी हुई है और उसमें अचल सम्पत्ति अर्थात् जमीन पर हक पहुंचने वाले वारिसों का एक क्रम दिया हुआ है । जिसके कि अनुसार लड़की भी वारिस होती है, लड़का भी पाता है और लड़के के न रहने पर औरत भी उस अचल सम्पत्ति पर हकदार बनती है लेकिन इस कानून के जरिये हम देख रहे हैं कि वास्तव में उनको अब उस जमीन में कोई हक नहीं मिलने जा रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रोप्राइटरी राइट्स (स्वामित्व अधिकार) में क्या होगा ?

श्री सिंहासन सिंह: प्रोप्राइटरी राइट्स खत्म हो गये, वह टेनेसी राइट्स (काश्तकारी अधिकार) हो गये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सीर राइट्स क्या है ?

श्री सिंहासन सिंह : वह तो भूमिधरी राइट्स हो गयीं और वह भी उस विरासत कानून से लागू होती हैं । उन पर भी पर्सनल ला लागू नहीं होता है । इस कानून का जैसा स्वरूप बनता जा रहा है उस को देखते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारी औरतों को जो कुछ अधिकार पहले से हासिल था उसको भी इधर-उधर घुमा फिरा कर के कम किया जा रहा है .....

†**श्रीमती सुषमा सेन** : क्या ये सब तर्क इन संशोधनों से सम्बन्धित हैं ?

श्री सिंहासन सिंह : मेरे कहने का सारांश यह है कि बिल बनाने का हमारा उद्देश्य तो यह था कि हम स्त्रियों को सम्पत्ति में और अधिक अधिकार देने की व्यवस्था करें लेकिन हमारे देखने में यह आ रहा है कि उसमें कमी की जा रही है और जैसा कि हमारे शाह साहब ने कहा कि कानून कनफ्यूज्ड (भ्रान्त)

†मूल अंग्रेजी में ।

बनता जा रहा है और बजाय उनको कुछ अधिक अधिकार देने के उनके मौजूदा अधिकारों को छीनने की नौबत सी आ रही है ।

श्री वी० जी० दैशपाँडे ने जैसा कि अपने अमेंडमेंट पर बोलते हुए बतलाया कि मौजूदा विधेयक के स्वरूप के अनुसार, स्त्री को विधवा ज्वाइंट फैमिली (संयुक्त परिवार) के अन्दर अब बहुत कम हक मिलने जा रहा है और उस विधवा हक खानदान में बहुत कम होगा और इसलिये वह अपने अमेंडमेंट द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप बदलना चाहते हैं । वर्तमान स्वरूप के अनुसार जहां पहले एक स्त्री को चार बीघे मिल सकते थे वहां केवल एक बीघा मिलने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय श्री देशपांडे के सुझाव पर जो कि उन्होंने अपने मेंडमेंट में दिया है गम्भीरतापूर्वक सोचें ।

मां को क्लाज़ २ से हटा कर क्लाज़ १ में रखने के अलावा शेड्यूल (अनुसूची) को ज्यों का त्यों रखें और उसमें तबदीली न करें, यह सुझाव प्रधान मंत्री महोदय ने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन उसको उसी रूप में मान्य करेगा । मैं समझता हूं कि अगर देशपांडे साहब के सुझाव के मुताबिक तरमीम कर दिया जाय तो ठीक ही रहेगा और यह संतोष का विषय है कि अध्यक्ष महोदय ने श्री देशपांडे का अमेंडमेंट समय के भीतर न होते हुए भी उसको ऐडमिट कर लिया है । इस वर्तमान स्वरूप के अनुसार माता को जो हक मिलने वाला है वह मिताक्षरा कानून में जो अब तक मिलता था उससे भी कम होने जा रहा है और इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक का यह उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता कि जो हक अब तक स्त्रियों को मिलता था वह कम हो जाय और जो कि वर्तमान स्वरूप के अनुसार कम होने जा रहा है । इसलिये श्री देशपांडे ने अपने संशोधन में जो सुझाव दिया है उसको मंजूर कर लेना चाहिये ।

श्री नंद लाल शर्मा : धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते ।

नाऽधयो व्याधयश्चैव रामेराज्यं प्रशासति ।।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रशष्टि के पहले भाग·····

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : अध्यक्ष महोदय कहिये ।

श्री नंद लाल शर्मा : कृपया क्षमा करें । जिस तरह भगवान राम जब राजा बन गये तब भी किसी ने उनको "रामभद्र" कह कर सम्बोधित किया और अपनी भूल अनुभव करने पर उसने अपने को पीछे करैक्ट (ठीक) करके "महाराज" शब्द से सम्बोधित किया और भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, उसी तरह पूर्वाभ्यास के कारण जो गलती में "उपाध्यक्ष महोदय" निकल गया उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, प्रशिष्ट के प्रथम भाग का जो वर्तमान स्वरूप है, उसका मैं विरोध करता हूं । पहली बात तो यह है कि यह सर्वथा अशिष्ट है और दूसरी बात यह है कि यह न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है । न्याय का सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति को कोई अधिकार देना हो, तो साथ में उसके अनुरूप कोई कर्तव्य पालन भी देना चाहिये । उस कर्तव्य पालन के अनुसार हमारे यहां "पिंडदोंशहरः स्मृतः," अर्थात् जिसको पिंड देने का जितना अधिक अधिकार प्राप्त हो, उतना ही उसको प्रापरटी (सम्पत्ति) में सक्सीड (उत्तराधिकार) करने का अधिकार प्राप्त होगा, यह हिन्दू धर्म का जो कानून था, उसके सिद्धांत की कसौटी पर भी यह ठीक नहीं उतरता । जहां तक स्वाभाविक स्नेह के सिद्धांत का सम्बन्ध है, उसके अनुसार भी मैं नहीं समझ पाता कि पूर्व मृत पुत्र की स्त्री के प्रति हमारा कितना नेचुरल लव (प्राकृतिक प्रेम) हो सकता है और यह कि उससे हमारा सम्बन्ध तो अधिक हो और उसके पूर्व मृत पति से सम्बन्ध कम हो जाय ? मैं समझता हूं कि इन दोनों सिद्धांतों से अर्थात् "पिंडदोंशहरः स्मृतः" के अनुसार और स्वाभाविक स्नेह, दोनों सिद्धांतों से यह ठीक नहीं पड़ता ।

दूसरी बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि विधवाओं को जो भाग अब तक प्राप्त था उसम हम कमी कर रहे हैं, साथ ही हम उसको ऐब्सेलूट स्टेट (पूर्णाधिकार) दे रहे हैं, वह तो ठीक है परन्तु

[श्री नंद लाल शर्मा]

मैं उसमें एक इस तरह की शर्त अवश्य लगवाना चाहता हूं और वह शर्त आवश्यक हो जाती है क्योंकि आपने अब तलाक बिल स्वीकार कर लिया है और तलाक स्वीकार करने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि उसमें यह कंडिशन (शर्त) अवश्य लगा देनी चाहिये कि वह सती रहे और परिवार के अन्दर रहे। वह कुटुम्ब के अन्दर रहे और कुटुम्ब के बाहर न जाय और साथ ही सती रहे और पुनः विवाह न करे। कोपार्सनर प्रापरटी (सभांशी सम्पत्ति) संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के साथ मिताक्षरा कानून द्वारा जो संचालित सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति के साथ उसका सम्बन्ध है। पिता और माता का जिनका इतना ऊंचा स्थान है, उनका तो पता नहीं चलता लेकिन ब्रदर (भाई) और सिस्टर (बहिन) को लाकर शेडयूल के क्लास २ में ठोंक दिया गया, चाहे वे एक घर में रहते हों। अब एक अनडिवाइडेड फैमिली (अविभिक्त परिवार) में भाई रहता है, पिता रहता और माता रहती है, पिता और माता को ब्रदर और सिस्टर से भी नीचे जो रेलिगेट कर दिया गया है, मैं उसके विरुद्ध हूं। आप स्त्रियों को अधिकार देने के लिये कितने ही बढ़ते चले जायें लेकिन पिता और माता को ब्रदर और सिस्टर से जो कि एक घर में रहते हैं उनको नीचे रख दें, यह बड़ी विचित्र बात मालूम होती है और इससे कुछ ऐसी ऐनामलिज (असंगततायें) क्रीएट (उत्पन्न) हो जायेंगी जो हिन्दू जाति ने कभी देखी न होंगी। साथ में मेन्टेनेन्स (भरण पोषण) के प्रश्न के सम्बन्ध में यह बात आती है·····

†**अध्यक्ष महोदय** : वर्तमान विधि यह है कि माता बच्चों के बाद आती है। उन के बाद माता पिता से पहले आती है और उसे अपवर्जित करती है।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : किन्तु पिता को माता के बाद रखा जा सकता है। यदि उसे दूसरे वर्ग या सूची में रखा गया है और माता को पहले वर्ग या सूची में रखा गया, तो इस से बहुत असंगति पैदा होगी। आप क्षमा करेंगे, मेरा यह कहना है कि हम लोग इस समय जिस भयंकर उद्वेग से आगे बढ़ रहे हैं उससे परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं भगवतियों को कुछ देने का, मैं तो कहता हूं कि हम से कई गुना अधिकार आप उनको भले ही दे दें, किन्तु वस्तुतः आप उनको दे कुछ नहीं रहे हैं। एक प्रकार से आपको इस हिन्दू जाति का जो एक बना हुआ ढांचा है उसको तोड़ना ही अभीष्ट है, किसी को कोई अधिकार देना अभीष्ट नहीं है। जब आपने भगवती को उसके पति के ही भाग में से कुछ अधिकार देने की बात सोची तो उसके साथ आपने ११ उत्तराधिकारी और भर दिये। इन ११ उत्तराधिकारियों के लिये आपने अभी कहा कि यह सभी नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि समय पा कर सभी के सभी और उन से भी अधिक होंगे। अगर एक पुत्र के बदले तीन चार पुत्र हो जायें, एक कन्या के बदले तीन चार कन्यायें हो जायें और एक कन्या के, जो कि पहले मर चुकी है, तीन-तीन चार-चार सन्तानें हो जायें, तो यह संख्या कहीं अधिक हो जायेगी। और इससे मैं समझता हूं कि उनके पल्ले जो पड़ने वाला है वह एक दुर्भाग्य की है, और जिसके पास सम्पत्ति नहीं है उसकी तो और भी दुर्दशा होगी। साथ में शास्त्र की सम्मति की बिना पर यह होगा कि :

"विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः।"

एक मूर्ख अगर गिरने लगता है तो वह चारों ओर से गिरने लग जाता है। यहां पर पचासों एमेंडमेंट ढूंढे जाते हैं, लेकिन स्थान की पूर्ति वह नहीं कर पाते हैं।

इसलिये मैं इस परिशिष्ट के वर्तमान स्वरूप के सोलहो आने विरुद्ध हूं।

†**श्री पाटस्कर** : अनुसूची में उत्तराधिकारियों को सूची को वर्ग १ और वर्ग २ में बांटा गया है और यह बताया जा चुका है कि वर्ग १ वर्ग २ से पृथक् है। वर्ग १ में ११ उत्तराधिकारी हैं। इनमें से पुत्र, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, विधवा, पूर्वमृत पुत्र की विधवा और पूर्व

†मूल अंग्रेजी में।

मृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा पहले से ही हिन्दू विधि में उत्तराधिकारी माने गये हैं। डा० देशमुख ने जो हिन्दू संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक हैं, एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें उत्तराधिकारियों का क्रम वही था, जो कि इस सूची में है आशय यह था कि एक निर्वसीयत हिन्दू की सम्पत्ति उसकी पत्नी, माता, पुत्री, पूर्वमृत पुत्र की पत्नी इत्यादि को मिले। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, वह केवल इस सीमा तक सफल हो सके कि केवल विधवा के लिये अंश दिला दिया गया, और वह भी सीमित अंश और पुत्री और माता को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। इस का अर्थ यह नहीं कि यह सब कुछ केवल पत्नी के लिये किया गया था। उन्होंने केवल प्रारम्भिक पग उठाया था और माता और पुत्री और इस प्रकार के अन्य उत्तराधिकारियों को पुत्र और पुत्र के उत्तराधिकारियों का दर्जा देने का समय अभी नहीं आया था। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि डा० देशमुख विधवा को अधिक दिला सके थे, क्योंकि पुत्री को सम्मिलित नहीं किया गया था और विधवा का अंश इस कारण अधिक था। वह पुत्री को अपवर्जित नहीं करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वह उसके लिये उन परिस्थितियों में व्यवस्था नहीं कर सके थे।

स्वर्गवासी श्री एन० एन० सरकार ने, जो मेरे पूर्वाधिकारी थे, कहा था कि कुछ समय पश्चात् जांच करने के बाद पुत्री जैसे अन्य उत्तराधिकारियों को भी उत्तराधिकार का उचित अधिकार दिया जायेगा। यह कहना ठीक नहीं है कि १९३७ के अधिनियम के अन्तर्गत विधवा का अंश कम हो जायेगा। हमें इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये कि 'क' या 'ख' को क्या मिल रहा है, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि जहां तक इस सूची का सम्बन्ध है उचित क्रम क्या है ?

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या यह सच नहीं कि हम जो अंश पुत्री को दे रहे हैं, उसका पुत्रों के नहीं, अपितु विधवा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री पाटस्कर** : कुछ हद तक यह सही है। विधवा के अंश में कुछ कमी होगी।

†**श्री एस० एस० मोरे** : उस हद तक विधवा और अधिक निस्सहाय हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिये श्री देशपांडे ने सुझाव दिया है कि कुछ श्रेणियां इस सूची में से निकाल दी जायें।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस प्रश्न का भी समय पर उत्तर दूंगा। सूची के ग्यारह उत्तराधिकारियों में से ६ यह हैं, जो मैंने बताये हैं। राऊ समिति ने, जिसे इस प्रश्न की जांच के लिये नियुक्त किया गया था, पुत्री को भी उत्तराधिकारियों में सम्मिलित कर दिया था, यह समिति की रिपोर्ट में दिया गया था, जिसे बाद में हिन्दू कोड विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया था। जब राज्य-सभा में वर्तमान विधेयक पुरःस्थापित किया गया, तो उसने पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और पूर्वमृत पुत्री की पुत्री को भी सम्मिलित कर दिया। अतः विधेयक के पुरःस्थापन के समय वर्ग १ में १० उत्तराधिकारी थे। संयुक्त समिति ने, जिसे यह विधेयक निर्दिष्ट किया गया था, स्वाभाविक तथा पूर्व मृत पुत्र से पूर्व मृत पुत्र की पुत्री और माता को भी सम्मिलित कर दिया। विचार के समय राज्य-सभा ने माता को वर्ग १ से निकाल कर वर्ग २ में रख देना उचित समझा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह एक गलत धारणा है कि इन सब ग्यारह उत्तराधिकारियों को एक ही समय पर उत्तराधिकार मिलेगा। वास्तव में हमने यह व्यवस्था की है कि पुत्र के पुत्र को उत्तराधिकार तभी मिलेगा जब कि उसका पिता मर चुका हो। बात यह नहीं है सम्पत्ति ११ भागों में बंट जायेगी। यह ठीक स्थिति नहीं है। यह इस बात पर निर्भर होगा कि वह व्यक्ति कितने पुत्र और पुत्रियां छोड़ जाता है। स्वाभाविकतः विधवा और माता को स्वतन्त्र रूप से पुत्र या पुत्री की शाखाओं के साथ समान अंश मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

यह पूछा गया था कि यह समानता के आधार पर किया गया था । इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि स्वयं राऊ समिति ने साक्ष्य लेकर इस मामले पर विचार करने के पश्चात् क्या लिखा था । इस प्रकार के मामले में ऐसा कोई नियम बनाना जिसको सभी पर तर्क-युक्त ढंग से लागू किया जा सके, मुझ को तो कठिन प्रतीत होता है । इस सूची को तैयार करते समय समिति को भी यही बात ज्ञात हुई ।

हिन्दू विधि समिति के प्रतिवेदन के १९वें पृष्ठ पर उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस बात का निर्णय करने में कि किस को एक इच्छा-पत्रहीन मरणासन्न पुरुष हिन्दू का समकालिक वारिस नियुक्त किया जाये समिति को भी बड़ी कठिनाई हुई थी । समिति ने स्थिति की व्याख्या की है और इनमें से अनेक वर्गों को शामिल करने अथवा शामिल न करने के सम्बन्ध में दिये गये दोनों पक्षों के तर्कों को भी उद्धृत किया है ।

जिस समय हम वस्तुस्थिति और वर्षों में विकसित हुई भावनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उस समय हमको एक ऐसा हल ढूंढना है जो तर्कयुक्त होने के साथ-साथ कुछ सीमा तक दोनों पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट कर सके । स्वाभाविक ही है कि इस दिशा में कुछ भी अवश्य किया जाना चाहिये ।

मैं इस बात की ओर भी संकेत करना चाहता हूं कि पुत्र के मामले में यह बात तीन पीढ़ियों तक लागू होती है; पुत्र, पौत्र और पौत्र की पुत्रियां, विधवायें, आदि सभी शामिल हो जातीं हैं । पुत्री के सम्बन्ध में केवल पुत्री और पुत्री की पुत्री ही आतीं हैं । पुत्री की पुत्री की पुत्रियों को शामिल नहीं किया गया है । यदि किसी व्यक्ति के तीन पुत्र और तीन ही पुत्रियां हों तो तर्क के अनुसार इसको पुत्र और पुत्री दोनों की शाखाओं पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिये । इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है और तभी कुछ परिणाम भी प्राप्त हो सकता था । परन्तु, इस विधेयक के अनुसार, जहां तक कि पुत्री के उत्तराधिकार का सम्बन्ध है, वह केवल दो ही पीढ़ियों तक लागू होता है और तीसरी पीढ़ी को शामिल नहीं किया गया है । पुत्र की पुत्रियों के सम्बन्ध में भी यही बात है । जैसा कि समिति ने संकेत किया है, किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई होनी अनिवार्य है । संयुक्त समिति ने इस पर काफ़ी समय लगाया है और स्वाभाविक रूप से स्नेह, व्यक्ति की भावनाओं आदतों आदि से सम्बन्धित सभी सिद्धांतों को अपने सामने रखने का प्रयास किया है । इस प्रकार की भी भावना है कि, इस तथ्य के अनपेक्ष कि पुत्रवधू एक दूसरे परिवार की सदस्या है, पुत्रवधू और पौत्रवधू ऐसी स्त्रियां हैं जिनको स्त्री पक्ष की ओर से अंश प्राप्त करने का अधिकार है । उस समय इस तर्क को तोड़-मरोड़ कर पूछा जाता है कि "आप इन को माता पर वरीयता क्यों देते हैं ?" वह कहते हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनको अधिकार है । परन्तु आखिर सम्पूर्ण सूची को ही तो व्यापक दृष्टिकोण से देखना है । संयुक्त समिति द्वारा भावना और तर्क के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करने का, जो वर्त्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो, एक प्रयास किया तो अवश्य गया था । वर्तमान विधेयक पर इसी आधार पर विचार किया जाना चाहिये । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध कोई तर्क हो ही नहीं सकता है । परन्तु इस प्रकार के मामलों में कोई न कोई अंतिम निर्णय तो करना ही पड़ता है ।

मुझको इस बात का पता है कि पुत्रियों, पुत्रवधुओं आदि को सम्मिलित करने से संभवत: विधवा को, जो अब तक एकमात्र स्त्री-वारिस थी, हानि होगी । जिस समय हम खण्द ६ पर विचार कर रहे हैं, तो हम संयुक्त परिवार में पुत्र के अंश पर अधिक ध्यान देते हैं । जब हम इस पर आते हैं तो कहते हैं कि यह नहीं किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना ठीक नहीं है । खण्ड ६ में हम जो कर चुके हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिये । इसलिये, अब हमको

यह देखना है कि वारिसों में से किसी के भी प्रति अन्याय किये बिना हम कैसे इन बातों को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। इस दृष्टि से, मेरा निवेदन है कि वर्तमान सूची, मां को शामिल करने के बाद, इस कार्य को काफ़ी हद तक पूरा कर देती है। संयुक्त समिति द्वारा भी यही निर्णय किया गया था, परन्तु किसी प्रकार राज्य-सभा में मां को उस सूची से अलग कर दिया गया था। मैं इस तर्क की शक्ति को स्वीकार करता हूं कि पिता और माता को वंशज नहीं माना जा सकता है। उत्तराधिकार साधारणतया वंशजों पर अवतरित होता है। परन्तु हमको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे देश में, जिसको हमारे कुछ मित्र हिन्दू-विधि समझते हैं, उसमें केवल मिताक्षरा और दायभाग विधियां ही नहीं है। यहां मातृमूलक प्रणाली भी है जो पश्चिमी तट पर प्रचलित है। वह भी उतने ही हिन्दू हैं जितने अन्य लोग हैं। संस्कृति, परम्पराओं और साधु संतों आदि के सम्बन्ध में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों का है। हमें सभी बातों का ध्यान रखना है। हम जिन व्यक्तियों को एक साथ लाना चाहते हैं, उन सब को संतुष्ट करने की क्षमता हम में होनी चाहिये। मां के प्रति इतना आदर भाव है इसलिये मैं समझता हूं कि यही ठीक निर्णय है। मैं भी मां को उतनी ही प्राचीन और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखता हूं, जितना कोई और देख सकता है, और मैं समझता हूं मां को भी पहले ही वर्ग में रखना ठीक होगा। मुझे विश्वास है कि किसी भी वारिस को शामिल करने अथवा निकालने के पक्ष और विपक्ष में सदा ही तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, संयुक्त समिति ने इसी बात पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। इसलिये मैं समझता हूं कि परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए हमको इस अनुसूची को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये मां को दूसरे वर्ग से हटा कर पहले वर्ग में कर दिया जायेगा।

†**श्री पाटस्कर** : उनका क्रम इस प्रकार होना चाहिये—पुत्र, पुत्री, विधवा, मां ···· आदि।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि वह किस स्थान पर है। वह तो सभी समकालिक वारिस हैं। परन्तु उनको उचित स्थान दिया जाना चाहिये। अब मैं इस प्रस्थापना को मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती सुषमा सेन का संशोधन संख्या २२३ है, जिसमें कहा गया है :

पृष्ठ १२—

(१) पंक्ति ९, अंत में शब्द "पिता; माता" जोड़ दिया जाये; और

(२) पंक्ति ११ को निकाल दिया जाये। परन्तु उन्होंने इस संशोधन में संशोधन कर दिया है जिससे कि केवल मां को दूसरे वर्ग से पहले वर्ग में लाया जा सके। श्री बर्मन का संशोधन संख्या २३९ है और इसमें कहा गया है :

पृष्ठ १२—

(१) पंक्ति ५—

शब्द "पुत्र" पहले शब्द "माता" जोड़ दिया जाये;

(२) पंक्ति ११—

शब्द "माता" निकाल दिया जाये।

परन्तु मैं समझता हूं कि हम को शब्द "माता" को इस क्रम में जोड़ना चाहिये: "पुत्र, पुत्री, विधवा;

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]
माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र ....." । इसलिये उसका स्थान चौथा होगा । इसलिये प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १२—

(१) पंक्ति ५ में शब्द "widow" ["विधवा"] के बाद शब्द "mother" ["माता"] जोड़ दिया जाये,

(२) पंक्ति ११ में शब्द "mother" ["माता"] निकाल दिया जाये;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या २३९ के संशोधित रूप में स्वीकृत कर लिये जाने की दृष्टि से मैं संशोधन संख्या २२३ को मतदान के लिये लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

अब हम पुत्री को लेते हैं । जहाँ तक पुत्री के अंश का सम्बन्ध है, सभी संशोधनों को वापस ले लिया गया है । अब केवल यही देखना शेष है कि विवाहित और अविवाहित पुत्रियों, दोनों को ही अंश प्राप्त होना चाहिये, अथवा इसको केवल अविवाहित पुत्री तक ही सीमित कर देना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं श्री कृष्ण चन्द्र का संशोधन संख्या २२८ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२८ और श्री एच० जी० वैष्णव के संशोधन संख्या २३६ और २३७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि पुत्र और उसकी पत्नी, दोनों को मिलकर एक अंश प्राप्त होना चाहिये । अब मैं इसको मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मेरे संशोधनों का क्या हुआ ? मैं पुत्रवधू और पौत्रवधू को वर्ग १ में से निकलवाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसको भी मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुसूची के सभी संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३२, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, १८९, २२१, २२७, और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुसूची के वर्ग १ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"वर्ग १, संशोधित रूप में, अनुसूची का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने शब्द "माता" को पहले ही वर्ग २ में से निकाल कर वर्ग १ में जोड़ दिया है । अब मैं वर्ग २ को भी मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"वर्ग २, संशोधित रूप में, अनुसूची का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सम्पूर्ण अनुसूची को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई

खण्ड १० : अनुसूची के वर्ग १ के वारिसों में संपत्ति का वितरण

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन खण्डों को रहने दिया गया है, अब हमें उनमें आनुषंगिक संशोधन करने हैं। खण्ड १० में नियम १ ज्यों का त्यों बना रहेगा। उसमें कोई संशोधन नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : नियम २ में हमें "उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों" के बाद "और माता" जोड़ना है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ, पंक्ति १० में––"daughters" ["पुत्रियों"] के बाद "and the mother" ["और माता"] शब्द रखे जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

१. पृष्ठ ६, पंक्ति १०––शब्द "daughters" ["पुत्रियों"] के बाद "and the mother" ["और माता"] शब्दों को जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं नियम १ और संशोधित रूप में नियम २ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"नियम १, और संशोधित रूप में नियम २, खण्ड १० का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम ३ और नियम ४ में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इनको भी मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"नियम ३ और नियम ४ खण्ड १० का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बी० पी० सिंह ने संशोधन संख्या ११२ द्वारा एक खण्ड १०-क जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १२ और १३ तो पहले ही निकाले जा चुके हैं। अब मैं खण्ड १४ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"**खण्ड १४ विधेयक** का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मेरा संशोधन संख्या ११४ यह है कि अपने पति की संपत्ति में विवाहित हिन्दू स्त्री के अधिकार के सम्बन्ध में नये खण्ड १५-क और १५-ख रखे जायें। हमने खण्ड १६ में पूर्ण अधिकार का उपबन्ध किया है और इन नये खण्डों द्वारा मैं स्त्रियों को कुछ नये अधिकार प्रदान कर रहा हूं।

मैं संशोधन संख्या ११४ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुण्टूर) : मैं एक औचित्य प्रश्न करता हूं। उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् ही होता है, इसलिये लड़की के विवाह के समय पति की सम्पत्ति में हित पैदा करने का उपबन्ध करने से सम्बन्धित श्री देशपांडे का संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर है।

दूसरे, स्त्री जिस सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनती है, उसके उपयोग पर कुछ रुकावट लगाने के प्रश्न पर खण्ड १६ के समय ही विचार किया जा सकता है, अब नहीं।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं इस से पूर्णतः सहमत हूं।

†**श्री पाटस्कर** : नवीन खण्ड १५ क से सम्बन्धित उनके संशोधन का मुख्य भाग अब उत्पन्न नहीं होता। निस्संदेह पत्नी को संयुक्त परिवार में लेने के विचार के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, किन्तु यह इसे विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिसका उत्तराधिकार से सम्बन्ध है। उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् ही आता है और श्री वी० जी० देशपांडे ने जिन मामलों का वर्णन किया है, वे सब तभी लाये जा सकते हैं, जब परिवारों से सम्बन्धित विधि या परिवार विधि बनाई जाए। अतः उनका संशोधन इस विधेयक की परिधि के बाहर है।

†**श्री के० के० बसु** : (डायमण्ड हार्बर) : यदि कई पत्नियां हों, तो हिस्सों का आगणन कैसे किया जायेगा ?

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : नवीन विधि के अन्तर्गत, कई पत्नियां नहीं हो सकतीं फिर भी यदि एक से अधिक पत्नियां हों, तो वे सब मिल कर एक समांशी होंगी, जिसका कर्ता पति होगा।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति में कुछ अधिकार देने से अधिक है, इसलिये मैंने विधेयक में संशोधन रखा है कि पति की सम्पत्ति में विवाहित हिन्दू स्त्री के अधिकारों को सम्मिलित किया जाये। खण्ड १६ के इस उपबन्ध का कि हिन्दू स्त्री अधिकृत सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, उत्तराधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दू स्त्री को सम्पत्ति सम्बन्धी सीमित अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसलिये जब खण्ड १६ नियमित है तब मेरा नवीन खण्ड १५-क भी विधेयक के क्षेत्राधिकार में आता है ।

जब ससुर की मृत्यु के बाद विवाहित पत्नी को उत्तराधिकार का हक देने से सम्बन्धित पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, तब मेरा यह संशोधन भी स्वीकार किया जाना चाहिये कि विवाह पर स्त्रियों को कुछ अधिकार दिये जायें। यदि यह स्वीकार नहीं किया जाता

†मूल अंग्रेजी में।

तो हिन्दू स्त्री को सम्पत्ति देने और सम्पदा पर सीमित अधिकार को पूर्ण बनाने का भी उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड १६ बिल्कुल भिन्न खण्ड है और इसका सर्वथा भिन्न विषय से सम्बन्ध है । इस समय हम उत्तराधिकार पर विचार कर रहे हैं । अतः हम स्वभावतः यह कहना चाहते हैं कि स्त्रियों के अधिकार, सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में पूर्ण होने चाहिये । खण्ड १६ में दी गई व्याख्या से यह स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । तथापि, जब माननीय सदस्य खण्ड १६ पर आपत्ति करेंगे हम इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : खण्ड १६ की व्याख्या से स्पष्ट है कि उसका इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक का उद्देश्य हिन्दुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करना है । अतः श्री देशपांडे का संशोधन इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता । किन्तु श्री देशपांडे का तर्क यह है कि खण्ड १६ में हिन्दू स्त्री को न केवल उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त वरन् अन्य किसी भी प्रकार से मिलने वाली सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार देकर इस विधेयक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है । यह ठीक है कि उत्तराधिकार और पूर्ण अधिकार दो भिन्न विषय हैं, किन्तु दोनों ही विधेयक में लाये गये हैं और एक विधेयक में कई भिन्न विषय लाये जा सकते हैं, परन्तु संशोधन के द्वारा कोई असंबद्ध विषय नहीं लाया जाना चाहिये । विधेयक में स्त्री को सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है । हमें अब इस बात को नहीं लेना है कि वह सम्पत्ति उसके पास कैसी आई है । पंडित ठाकुर दास भार्गव का पुत्र और पुत्रवधू को उत्तराधिकारी बनाने का उपबन्ध सर्वथा वैध है । किन्तू स्त्री के लिये उसमें अन्य श्रेणी की सम्पत्तियां सम्मिलित करना इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है ।

श्री पाटस्कर के कथनानुसार इस बात पर तब विचार किया जा सकता है जब परिवार सम्पत्ति या अन्य प्रकार की सम्पत्ति सम्बन्धी विधान पेश किया जाएगा ।

यह संशोधन अनियमित है । हम खण्ड १५ पारित कर चुके हैं । अब खण्ड १६ को लेंगे ।

खण्ड १६ (हिन्दू महिला की सम्पत्ति उसकी पूर्ण सम्पत्ति होगी)

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्द १६ पर संशोधन संख्या १७, १७६, २०४, २३१, १७३, २०३, ११५, २२२, १७४ और २४९ (७८ के स्थान पर) हैं ।

†**श्री राने** : मैं संशोधन संख्या १७ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा–झालावाड़) : मैं संशोधन संख्या १७६ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री डाभी** (कैरा–उत्तर) : मैं संशोधन संख्या २०४ और २३१ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : मैं संशोधन संख्या १७३ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या २०३ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या ११५ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं संशोधन संख्या २२२ का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री शेषगिरि राव (नन्दयाल) : मैं संशोधन संख्या १७४ का प्रस्ताव करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० पी० गौंडर** : मैं संशोधन संख्या ७८ के स्थान पर संशोधन संख्या २४९ प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति २५ से २७ के स्थान पर यह अंश रखा जाये :

"(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property."

["(२) उपधारा (१) की कोई बात ऐसी सम्पति पर लागू नहीं होगी जो उपहार के रूप में या वसीयत अथवा अन्य किसी संलेख के द्वारा या किसी व्यवहार न्यायालय की डिक्री या आदेश के द्वारा अथवा किसी पंचाट के अन्तर्गत, अधिग्रहीत की गई हो, जहां कि उपहार, वसीयत, अथवा अन्य संलेख, या डिक्री, आदश अथवा पंचाट, की शर्तों में ऐसी सम्पत्ति में सीमित सम्पदा निर्धारित की गई हो।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब संशोधन सभा के सन्मुख हैं।

†**श्री कासलीवाल** : संयुक्त पैतृक संपत्ति में उत्तरजीविता पर हिन्दू पुरुष को केवल सीमित स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध के द्वारा स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार दिया जा रहा है कि उन्हें सम्पत्ति चाहे किसी प्रकार भी प्राप्त हो, उस पर उनका पूर्ण अधिकार होगा। मेरा यह मत है और मैंने संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि हिन्दू स्त्री को हिन्दू पुरुष के अधिकारों की अपेक्षा, पैतृक सम्पत्ति के उपभोग पर अधिक अधिकार नहीं मिलने चाहियें।

†**श्री राने** : मूल विधयक में उपबन्ध था कि स्त्री इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् प्राप्त होने वाली सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी, परन्तु इस विधेयक द्वारा उसे भूतलक्षी प्रभाव से पूर्ण स्वामिनी बनाने का उपबन्ध किया जा रहा है। मुझे इसके बारे में बड़ी आपत्ति है। मेरी दूसरी आपत्ति "धारणा की गई" के बारे में है। हिन्दू कोड में "अधिग्रहीत" शब्द थे। बहुत सी विधवाओं और दूसरी स्त्रियों को केवल आजीवन गुजारे के लिये सम्पत्तियां दी गई हैं? और उन पर उनका सीमित अधिकार है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनका क्या होगा। अतः मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री डाभी** : खण्ड १६ (१) के द्वारा स्त्रियों को उनके पास धारण की हुई सम्पत्तियों की पूर्ण स्वामिनी बनाया गया है। परन्तु हो सकता है वह सम्पत्ति गिरवी रखी हुई सम्पत्ति हो। उस अवस्था में उसे पूर्ण स्वामित्व देना सर्वथा अनुचित है। अतः "धारण की हुई" के स्थान पर "अधिग्रहीत" रखा जाना चाहिये और इस उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाये।

विद्यमान हिन्दू विधि के अधीन पत्नी को सम्पत्ति में भाग लेने का अधिकार नहीं है, वह गुजारा ले सकती है। गुज़ारे के लिये बहुत सी स्त्रियों को सम्पत्तियां दी गई हैं। अब यदि उन्हें पूर्ण स्वामिनी होने का अधिकार द दिया गया, तो वह गुज़ारे के लिये भी दी गई सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी बन जायेगी। फिर, पुरुष की मृत्यु के बाद भी उसे भाग लेने का अधिकार दिया जा रहा है और उसकी भी वह पूर्ण स्वामिनी होगी। हम उन्ह बराबर के अधिकार देना चाहते हैं। किन्तु किसी भी अवस्था में उन्हें सम्पत्ति में दो बार अधिकार देना न्याय संगत नहीं है। मुझ आशा है सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

†**श्री सी० सी० शाह** : संयुक्त पतृक संपत्ति में स्त्री को तो पूर्ण स्वामित्व दिया जा रहा है और पुरुष को सीमित अधिकार दिया जा रहा है। यह सवथा गलत है। स्त्री की मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उस

†मूल अंग्रेजी में।

सम्पत्ति के मूल स्वामी के समांशियों को लौटनी चाहिये, अन्यथा इस तर्कहीन उपबन्ध से बड़ा अनर्थ हो जायेगा, और बहुत से झंझट खड़े हो जायेंगे। स्त्री को पूर्ण स्वामित्व का अधिकार कदापि उचित नहीं है।

भूतलक्षी प्रभाव केवल आपातकाल में या किसी गम्भीर स्थिति में ही दिया जाता है। यहां कोई आपातकाल या गम्भीर स्थिति का मामला नहीं है। लोगों ने वर्तमान विधि के भरोसे बहुत से सौदे किये हैं, और रेहन या हस्तान्तरण आदि कर रखे हैं। इस उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव देने से बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी। मेरे संशोधन संख्या २२२ को यदि स्वीकार कर लिया जाये, तो मैं समझता हूं इस उपबन्ध के भूतलक्षी प्रभाव से होने वाली कठिनाइयां कुछ मात्रा तक कम हो सकती हैं।

मेरे संशोधन संख्या २२२ का यह उद्देश्य है कि यदि हिन्दू स्त्री को उपहार आदि के द्वारा किसी सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है, और उस उपहार आदि के साथ कोई शर्त होती है, तो स्त्री को उसके पूर्ण स्वामित्व का अधि कार देते समय वह शर्त यथावत् बनी रहनी चाहिये। स्त्री को मिलने वाली सम्पत्ति के साथ लगी हुई शर्त हटनी नहीं चाहिये। परन्तु इस उपबन्ध से आप उपहार आदि के द्वारा स्त्री को मिलने वाली सम्पत्ति पर स्त्री को पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दे रहे हैं। इस का यह अर्थ होगा कि उस उपहार आदि के साथ चाहे कोई भी शर्त हो तो भी स्त्री का पूर्ण स्वामित्व होगा। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में स्त्रियों को कई शर्तों पर सम्पत्तियां दी जाती हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यदि विधवा का सीमित अधिकार समझते हुए न्यायालय डिग्री में कुछ रुकावटें लगाये, तो क्या वे रुकावटें जारी रहनी चाहियें ?

†**श्री सी० सी० शाह** : इस विधि के पारित होने के बाद कोई भ्रम नहीं रहेगा क्योंकि विधवा को पूर्ण स्वामित्व मिलेगा। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की डिग्रियों में हम बाधा नहीं डालना चाहते। इस अधिनियम के पारित होने के बाद श्री मोरे द्वारा की गई आपत्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : यदि समझौते द्वारा दी गई डिग्री में गुज़ारे के लिये कोई सम्पत्ति दी गई हो, तो क्या इन सम्पत्तियों पर भी छूट होगी ?

श्री सी० सी० शाह : यदि ऐसी डिग्री में गुज़ारे के लिये सम्पत्ति दी गई हो, और उस पर कुछ शर्तें लगाई गई हों, तो वे जारी रहेंगी। हम सब डिग्रियों को समाप्त नहीं कर सकते।

इसलिये श्री गौंडर का संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री के० पी० गौंडर** : मेरे संशोधन में कहा गया है कि जब किसी स्त्री को किसी दस्तावेज के अनुसार सीमित सम्पदा मिले तो उस पर उसे पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। यदि सम्पत्ति उसे उत्तराधिकार में मिली हो उस पर उसका पूर्ण अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस अधिनियम से पहले, इस समय विद्यमान विधि के अनुसार स्त्रियों को उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति पर उसे इस विधेयक के अनुसार पूर्ण अधिकार दिया जायेगा। इस संशोधन में केवल ऐसे मामलों के प्रति निदेश है जहां किसी डिग्री के अनुसार किसी स्त्री को आजीवन सम्पदा दी जाती है। अन्य बातों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री सी० सी० शाह** : यदि किसी विधवा में और उसके पुत्रों में बंटवारा हो और विधवा को लेख्य के अनुसार सीमित सम्पदा दी जाये तो उसको उस पर पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : खण्ड १६ स्पष्ट नहीं है। इसमें स्त्रियों को सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है तथा इस उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव दिया जायेगा। व्याख्या के शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। सम्पत्ति के अधीन सब प्रकार की चल और अचल सम्पत्ति मिला ली गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एच० जी० वैष्णव]

इस खण्ड को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिये । स्त्री को वर्तमान विधि के अनुसार कई प्रकार से सम्पत्ति प्राप्त हुई हो, उस पर उसका पूर्ण अधिकार हो जायेगा । यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो यह भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा ।

श्री सी० सी० शाह के संशोधन से स्थिति कुछ स्पष्ट हो जायेगी परन्तु मूल जटिलतायें जो खण्ड १६ (क) और व्याख्या से आ गई हैं वे दूर नहीं होंगी । मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन संख्या १७३ स्वीकार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नथवानी ।

†**श्री एन० पी० नथवानी** (सोरठ) : इस खण्ड का विरोध इस आधार पर किया गया है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिये । मुझे इस पर आश्चर्य होता है क्योंकि स्त्री के जीवनकाल में उसकी सप्पदा पर किसी का निहित हित अथवा अधिकार नहीं होगा ।

यह ध्यान रखना चाहिये कि सीमित सम्पदा को पूर्ण सम्पदा में परिणत करने सम्बन्धी विधेयक पिछले १५ वर्षों से विचाराधीन है परन्तु कुछ विशेष कारणों से इसे अधिनियमित नहीं किया गया ।

यदि सदस्य स्त्रियों के स्त्री-धन पर विचार करें तो इस उपबन्ध का भूतलक्षी प्रभाव देने की आवश्यकता स्पष्ट हो जायेगी। संसद् की कई महिला सदस्याओं को ४०० रुपये प्रति मास वेतन मिलता है । वे मिताक्षरा के अनुसार इसे बिना अपने पति की अनुज्ञा के व्यय नहीं कर सकतीं ।

स्त्री-धन दो प्रकार का होता है––सौदायिक और असौदायिक । सौदायिक सम्पत्ति पर जो उसके सम्बन्धियों से उसे प्राप्त होती है, उसका पूर्ण अधिकार होता है। परन्तु फिर भी यदि उसके पति को उस धन की आवश्यकता हो तो वह उसे ले सकता है ।

जिस धन का स्त्री स्वयं उपार्जन करती है उसको भी वह अपने पति की सम्मति के बिना खर्च नहीं कर सकती। मुल्ला की हिन्दू विधि नामक पुस्तक के पैरा १४३ में ऐसा कहा गया है । सौदायिक स्त्री-धन से भिन्न स्त्री धन को स्त्री अपनी स्वेच्छा से खर्च नहीं कर सकती । वर्तमान विधि यह है, जो लोग इस उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव नहीं देना चाहते वे यह चाहते हैं कि स्त्रियों के पास पहले का जो कुछ बचा हुआ धन हो उस पर यह विधि लागू न हो ।

श्री कासलीवाल ने अपने संशोधन के बारे में अच्छे तर्क दिये हैं । उन्होंने कहा कि महिला को तो सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार रहेगा परन्तु पुत्र को उसे समांशी सम्पत्ति के रूप में रहना पड़ेगा । यह असंगति तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम समांशी पद्धति न मिटा दें ।

श्री सी० सी० शाह और श्री के० पी० गौंडर ने दस्तावेजों की बात कही है जिनके अनुसार स्त्रियों को सीमित सम्पदा दी गई है । इससे बड़ी असंगति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि यदि बंटवारा मौखिक रूप से किया जायेगा तो स्त्रियों को पूर्ण अधिकार मिलेगा परन्तु यदि उसे दस्तावेज के रूप में लिख दिया जायेगा तो उन्हें केवल सीमित सम्पदा मिलेगी ।

†**श्री सी० सी० शाह** : यदि उस दस्तावेज से नियंत्रण लगता हो और अन्यथा न हो तो ?

†**श्री एन० पी० नथवानी** : भूतकाल में भी विधवा का केवल सीमित हित रहता था । यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके तीन पुत्र और विधवा स्त्री में बंटवारा हो तो मौखिक विभाजन में विधवा को सम्पत्ति में एक चौथाई अंश ही मिलेगा । यदि लिखित रूप से हुआ तो उप-खण्ड (२) के उपबन्ध लागू होंगे और उसके पास यह सम्पदा सीमित रूप में रही आयेगी । इस विधेयक में बहुत से अतार्किक उपबन्ध हैं, जिनमें से एक यह भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** इस उपबन्ध पर संयुक्त समिति में काफी ध्यान दिया गया था। किन्तु फिर भी मुझे इस खण्ड के बारे में शंकायें थीं। इस खण्ड में कहा गया है कि इस अधिनियम से पहले अथवा बाद में सम्पत्ति प्राप्त करने वाली हिन्दू स्त्री को सम्पत्ति पर सीमित अधिकार न होकर पूर्ण अधिकार होगा। इस खण्ड का निर्वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यह कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से विधवा का सम्पत्ति में पूर्ण हित हो जायेगा। १९४१ से १९५६ तक की अवधि में क्या होगा ? वह उस सम्पत्ति का उपयोग करती रही है किन्तु एक सीमित मालिक के रूप में। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि जो सम्पत्ति उसने १९४१ में प्राप्त की थी, इस अधिनियम के लागू होते ही वह पूर्ण स्वामिनी बन जायेगी और वह भी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से नहीं वरन् सम्पत्ति प्राप्त करने की तिथि से।

ऐसी दशा में श्री सी० सी० शाह द्वारा बताई गई कठिनाई उपस्थित हो जाती है। मान लीजिये कि उसने १९४१ में सम्पत्ति प्राप्त की और उसका कुछ अंश बेच डाला तो उसके उत्तराधिकारिणी बनने पर भी आपत्ति की जा सकती है। यदि दूसरा निर्वचन लिया जाये कि सम्पत्ति प्राप्त होने की तारीख से वह पूर्ण अधिकारिणी बन गई तो फिर जिसने वह सम्पत्ति खरीदी है वह उस सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी समझा जायेगा। यदि यह कहा जाता है कि ऐसा करने से इस अधिनियम के लागू होते ही उसका अधिकार छिन जायेगा तो इससे पूर्व की सारी सम्पत्ति के बारे में वही कठिनाई रहेगी। किन्तु जिन विधवाओं ने सम्पत्ति का कुछ भी भाग बेचा नहीं और उससे लाभ उठाती रहीं तो इस अधिनियम के लागू होने से उन्हें उस सम्पत्ति पर पूरा अधिकार मिल जायेगा और वे उस सम्पत्ति के साथ जो भी चाहें करने में पूर्ण समर्थ होंगी।

यह बताना मंत्री महोदय का काम है कि इसकी वास्तविक मंशा क्या है। मैं भी जब संयुक्त समिति का सदस्य था तो इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। यदि इसका तात्पर्य सम्पत्ति प्राप्त करने की तारीख से पूर्ण अधिकार देना है तो एक अर्थ में इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा। किन्तु यदि उनका कहना यह है कि सम्पत्ति इस अधिनियम के आरम्भ होने से पहले प्राप्त की गई थी और उसके बाद अन्य सम्पत्ति की भांति ही इसकी भी दशा होगी, तो यह दूसरी चीज हो जाती है। अतः इस खण्ड का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है जो सभा को जानकारी के लिये बताया जाना चाहिये।

श्री सी० सी० शाह ने यह जो कहा था कि कुछ सौदों, उपहारों तथा अन्य दस्तावेजों पर, जिनमें कुछ प्रतिबन्ध हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये इसका मेरा उत्तर यह है कि हम यहां इस चीज के सीमित रूप को हटाना चाहते हैं। इस बारे में दस्तावेजों से सामान्य विधि के रूप में जो अधिकार मिलते हैं उनको हम ज्यों का त्यों रहने देना चाहते हैं। हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति पर अधिकार देने के बारे में विद्वानों की भिन्न-भिन्न सम्मतियां हैं। यदि इस बारे में ठीक प्रकार से देखा जाये तो स्त्रियों को उनके पतियों की सम्पत्ति में भाग देकर उन्हें सामन्तशाही के बन्धनों से मुक्त करना होगा। यदि विधवाओं के हित में हम कोई विशेष उपबन्ध करना चाहते हैं तो हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इसको कहां से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिये। राउ समिति का कहना है कि इससे बड़े झगड़े उत्पन्न हुए थे। अतः इस बारे में स्पष्टीकरण न होने से आगे और भी झगड़े बढ़ने की सम्भावना हो सकती है।

अतः हम केवल विधवाओं के मार्ग से रोड़े हटा रहे हैं और इसलिये इसमें जो भी कमियां हों उन्हें दूर किया जाना चाहिये अन्यथा इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकेगा और झगड़ों में वृद्धि हो सकती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैंने अपना संशोधन संख्या २०३ प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह श्री कासलीवाल के संशोधन जैसा ही है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** उसमें बहुत थोड़ा अन्तर है। यदि हम इस विधेयक को, जैसा प्रतिबन्ध उसमें इस समय है वैसा ही पारित कर लेते हैं तो स्त्रियों को सम्पत्ति में भाइयों से अधिक अधिकार मिल जाते हैं। जैसा श्री एस० एस० मोरे ने कहा कि खण्ड १६ से पंजाब में अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

पंजाब में इन अधिकारों के बारे में १९०१ से १९१८ तक बहुत झगड़े हुए। अब भी जहां तक पुरुषों का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पैतृक सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है तो प्रत्यावर्ती यह अभियोग चलाते हैं कि उसकी मृत्यु के पश्चात् अन्य संक्रामण से उनके अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पंजाब में सामान्यतः पुरुषों और स्त्रियों के बारे में नियंत्रण लगभग एक से हैं। स्त्रियों के बारे में वैधिक आवश्यकता सम्बन्धी बंधन पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावी और व्यापक हैं। केवल यही अन्तर दोनों में है।

इसको पारित करने से पता नहीं कितने अन्य लोग प्रभावित होंगे। यदि कोई अन्यार्पण उचित नहीं था और स्त्री ने अन्यार्पण कर दिया हो तो मैं नहीं समझता कि वह यह कह सकेगी कि उसे इस खंण्ड द्वारा १९४१ से पूर्ण हित मिला हुआ था जैसा कि श्री एस० एस० मोरे का कहना है। ऐसी दशा में उसके अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा और वह यह कह कर अभियोग चला सकती है कि जहां तक हस्तांतरिति का सम्बन्ध है, उन्हें इस उपबन्ध से लाभ नहीं मिलना चाहिये और उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। लाभ उठाने वाला या तो स्त्री अथवा भावी उत्तराधिकारी होना चाहिये। प्रश्न का एक पहलू तो यह है कि इनके अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान देने का प्रयत्न किया गया है, वह मैं समझ सकता हूं। किन्तु इस स्थिति से जिसमें कि पंजाब में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार मिल जायेंगे वहां की सामान्य जनता क्षुब्ध होगी।

इस प्रतिबन्ध की मूल पृष्ठभूमि परावर्त्ती पुत्र आदि के हितों की केवल रक्षा करना है।

मेरे दोनों संशोधनों का आधार एक ही है। दोनों को एक से अधिकार मिलें जिससे कि स्त्रियां शिकायत न करें। किन्तु पुरुषों के अधिकारों की अपेक्षा स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।

भारत के दूसरे भागों में भी समांशी के अधिकार उतने निरपेक्ष नहीं हैं जितने कि खण्ड १६ में बनाये गये हैं। अतः इसे ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि किसी स्त्री के उत्तराधिकार प्राप्त करते ही हिन्दू समांशिता समाप्त हो जाये। खंड ६ की चर्चा के दौरान में मैंने निवेदन किया था कि इसमें ऐसा परिवर्तन करना चाहिये कि संयुक्त परिवार इसी प्रकार बना रहे। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं परिवार में नये व्यक्तियों के आ जाने पर भी संयुक्त परिवार को इसी प्रकार बनाये रखने के पक्ष में हूं वे सभी प्रतिबन्ध जो पुरुषों पर लागू होते हैं स्त्रियों पर भी लागू हों। उनको भी पुरुषों के स्तर पर होना चाहिये। अतः उस मामले में विधि में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है।

कुछ अधिकारों को भूतलक्षी प्रभाव देने के मामले में खण्ड १६ विधि के सामान्य रुख के विरोध में है। इसका क्या कारण है ? यदि यह ऐसा उपबन्ध है जिससे कोई लाभ पहुंचता है तो यह ठीक है, क्योंकि इससे बहुत से व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। ऐसी दशा में कोई अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव रख सकता है। इस मामले में यह भूतलक्षी प्रभाव रखने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आप देखेंगे कि खंड १६ (१) में लिखा है "कि कोई भी सम्पत्ति जो हिन्दू स्त्री के अधिकार में हो"। यहां "अधिकार में हो" की क्या विशेषता है ? यदि इन शब्दों को हम ज्यों का त्यों रहने दें तो मालूम नहीं कितनी जटिलताय उत्पन्न होंगी । अत: वहां "अधिकार में हो" शब्दों को रख कर हम कोई सही काम नहीं कर रहे हैं ।

यदि वसीयत अथवा दान के विलेख में प्रतिबन्ध वाले उपबन्ध हों तो उपखण्ड (२) के अनुसार भूतलक्षी उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं होगा । किन्तु यदि दलों के समझौते अथवा विभाजन अथवा भरण-पोषण के बकाया के कारण प्रतिबन्ध उत्पन्न हो तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसमें अंतर क्या है यह मेरी समझ में नहीं आया । विधि तो एक सी होनी चाहिये । अत: मेरा निवेदन यह है कि इस व्याख्या और उपखण्ड (२) का रखना ठीक नहीं है । जो चीजें हो चुकी हैं उनको रहने देना चाहिये ।

यदि आप खंड १७ को खंड १६ के साथ-साथ देखें तो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । खण्ड १६ में एक ओर तो आप कहते हैं कि एक स्त्री की सम्पदा असीमित समझी जायगी । दूसरी ओर खण्ड १७ (२) में आप कहते हैं कि :

> "अपने पिता अथवा माता से महिला हिन्दू को उत्तराधिकार में प्राप्त किसी सम्पत्ति की प्राप्ति मृत व्यक्ति के पुत्र अथवा पुत्री न होने की दशा में (किसी पूर्व मृत पुत्र अथवा पुत्री के बच्चों को मिलाकर) उपधारा १ में उल्लिखित उत्तराधिकारियों को उसमें दिये गये क्रम में नहीं होगी परन्तु पिता के उत्तराधिकारियों पर होगा ।"

इसका अभिप्राय यह है कि वह दाय के लिये कोई नवीन चीज़ नहीं बन जाती । फिर उप-खण्ड (२) के रखने का क्या लाभ है । जब हमने कहा था कि पुनर्विवाह पर विधवा की सम्पत्ति समाप्त हो जानी चाहिये तो आपने कहा था कि ये बातें पुरानी हैं । यह बात ठीक नहीं है ।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने केवल पुरानी बात होने के कारण ही इस का विरोध नहीं किया था अपितु कुछ व्यावहारिक बातों के आधार पर किया था ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : १८५६ के अधिनियम II के अनुसार विधवा के पुनर्विवाह करने पर उसकी सम्पत्ति जब्त हो जाती है । पंजाब में आज भी और १०० वर्ष पूर्व भी विधवा के पुनर्विवाह करने पर उसकी सम्पत्ति समाप्त हो जाती है और उसके भूतपूर्व पति के उत्तराधिकारियों को चली जाती है । मेरा निवेदन यह है कि यही बात आप खण्ड १७(२) में कर रहे हैं ।

मेरा तो यह कहना है कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि स्त्री की सम्पदा को हम अधिक विस्तृत बनायें और उसे अबाधित असीमित अधिकार दें । यह अच्छा नहीं होगा ।

†**श्री बी० जी० देशपांडे** : मुझे एक औचित्य प्रश्न रखना है ।

स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहिये कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद उत्तराधिकार में मिली हुई सम्पत्ति निरपेक्ष रूप से उत्तराधिकार में आ जायेगी न कि सीमित हित के रूप में । इससे प्रयोजन सिद्ध हो जाता । किन्तु इसके शब्द ऐसे हैं जिससे कि असंतोष उत्पन्न होने तथा मुकद्दमों के लिये न्यायालय तक जाने की बात उत्पन्न होती है । "अधिकार में है" शब्द के बहुत से अर्थ निकल सकते हैं । मेरे विचार से इसके शब्द ऐसे होने चाहिये जिससे कि कल्पना मात्र से भी मुकद्दमेबाजी की भावना न उठे । मैंने सुझाव दिये हैं जिससे कि इसके शब्द बदले जा सकते हैं ।

खंड १६ का सम्बन्ध केवल उत्तराधिकार से ही नहीं है । इसके शब्द ऐसे हैं कि यह स्त्री को सम्पत्ति का ही अधिकार नहीं देता अपितु उसे और बहुत से कार्य करने के लिये भी अधिकार देता है । इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी जी देशपांड]

अनुसार उसे अबाधित सम्पदा देने की भी व्यवस्था की गई है। मेरा यह निवेदन है कि यह खंड उपयुक्त नहीं है। अतः इसे विधेयक के एक अंग के रूप में पारित नहीं करना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : औचित्य प्रश्न को आप पहले ही अनियमित करार दे चुके हैं।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : 'उत्तराधिकार' और 'दाय' शब्दों के प्रयोग के बारे में मुझे शंका है। व्याख्या में, उस प्रणाली के लिये जिसके द्वारा कि स्त्री को सम्पत्ति मिलती है केवल 'दाय' शब्द का प्रयोग किया गया है और 'उत्तराधिकार' शब्द का यहां बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। यदि जानबूझ कर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो वकील इसका निर्वचन इस प्रकार करेंगे कि उत्तराधिकार के द्वारा जो सम्पत्ति अर्जित की गई है वह खंड १६ के अधीन नहीं आयेगी। यदि माननीय मंत्री ने 'दाय' शब्द का प्रयोग 'उत्तराधिकार' के अर्थ में किया है तो उन्हें चाहिये था कि वे इसका स्पष्टीकरण कर देते। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो भविष्य में बहुत से मुकद्दमों के लिये क्षेत्र बन जायेगा।

†**श्री पाटस्कर** : उत्तराधिकार, दाय तथा अन्य बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके आधार पर स्त्रियां सम्पत्ति पाती हैं जो कि "सीमित सम्पदा' के नाम से जानी जाती है। यह वह सम्पदा है जिसकी, कुछ प्रतिबन्धों के साथ, वह स्वामिनी है "अधिकार में है" शब्द का प्रयोग हमने जान बूझकर किया है क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य श्री मोरे ने कहा, यदि हमने "अर्जित की है" शब्द का प्रयोग किया होता तो उसके परिणाम यह होते। मान लीजिये कि विधवा, अथवा कन्या अथवा एक सीमित सम्पदा की स्वामिनी ने १९४० अथवा १९४१ में कुछ सम्पत्ति अर्जित की है। तो सम्भवतः यह कहा जा सकता था कि हम ऐसी चीज के लिये विधान बना रहे हैं जो उचित नहीं है। क्योंकि उसने वह सम्पत्ति बेच दी है। हम यह नहीं कह सकते कि वह सम्पत्ति उसकी अबाधित सम्पत्ति हो जाती है। मैं समझता हूं कि "अधिकार में है" शब्द अधिक अच्छा है और इसके प्रयोग से अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें विधवा को सम्पत्ति दाय से प्राप्त हुई है। विधेयक का उद्देश्य क्या है? इस विधान में इस प्रकार के मनुष्यों द्वारा न केवल भविष्य में अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियों को ही अबाधित बनाना है अपितु उनको भी जो कि उनके पास अब हैं। सीधी बात यह है कि हम उनको अबाधित बनाना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि परावर्ती और सीमित सम्पदा मूल मिताक्षरा विधि में नहीं है और यह चीज गलत व्याख्या से उत्पन्न हुई है अथवा विदेशों जैसे इंगलैण्ड से आने वाले विचारों और अपने देश के कुछ विचारों का मिश्रण है। इस व्याख्या के आने से पूर्व वास्तव में परावर्ती अथवा सीमित सम्पदा नाम की कोई चीज नहीं थी। मिताक्षरा में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख परावर्ती से हो। वे लोग केवल एक समान दाय के लिये व्यवस्था करना चाहते थे। मैं यहां केवल मुल्ला की हिन्दू विधि का उल्लेख करूंगा; कि उसमें कहा गया है कि विधवा के अधिकार चाहे किसी प्रकार के हों, उनपर कुछ प्रतिबन्ध लग सकते हैं अथवा अन्य संक्रामण हो सकते हैं और वे दूसरे उत्तराधिकारियों आदि को दिये जा सकते हैं। आज स्थिति यह है कि वह उनकी स्वामिनी है। उसपर कुछ प्रतिबन्ध हैं। एक विधवा जिसके यहां सीमित सम्पदा है वह उस सम्पत्ति की स्वामिनी भी है अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इस अधिनियम के द्वारा हम भूतलक्षी प्रभाव वाला कार्य करने जा रहे हैं। केवल यह कहने से कि सीमित सम्पदा अबाधित बनायी जायगी, यह समझना गलत है कि हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसका भूतलक्षी प्रभाव होगा। परावर्ती का क्या अधिकार है? वास्तव में वह स्वामिनी समझी जाती है। क्योंकि परावर्ती को केवल उत्तराधिकारी बनने का अवसर है। ऐसे निर्णय मौजूद हैं कि उसके कोई निहित हित नहीं हैं। जिस व्यक्ति के किसी सम्पत्ति में निहित हित हैं हम उसके हितों को नहीं ले रहे हैं। मैं किसी दाय को भूतलक्षी प्रभावी बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहां केवल यह व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि

†मूल अंग्रेजी में

जब किसी विधवा के पास इस प्रकार की सम्पत्ति हो तो इसे अबाधित बना देना चाहिये ताकि अधिक मुकद्दमेबाजी न हो। हम उसकी सम्पत्ति को अबाधित क्यों नहीं बना सकते यह इस खंड का उद्देश्य है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या इसका अभिप्राय यह है कि एक सम्पत्ति जिसका अन्य संक्रामण विधवा द्वारा इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व कर दिया गया है और जो अब उसके अधिकार में नहीं है वह इस खण्ड के क्षेत्र से बाहर होगी ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने इस मामले पर भी विचार किया था। यदि हम इसके लिये विधान बनाने का प्रयत्न करें तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : तब इसका अभिप्राय यह होगा कि उन सभी व्यक्तियों को जिनको विधवा ने बहुत कुछ सोचे विचारे बिना सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया है लाभ होगा और वे सभी परावर्ती जिन्हें उच्च न्यायालय से डिग्री मिल गई है कहीं के नहीं रहेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : परावर्ती को तो उत्तराधिकारी बनने का केवल अवसर ही मिलता है। यह बात नहीं है कि वह उसका स्वामी है। इस बारे में कोई शंका की बात नहीं है और इस प्रकार की सम्पत्तियों पर उसने जो डिक्रियां प्राप्त की हैं उसके बारे में मुझे कोई चिन्ता नहीं है। निश्चय ही यह बात ठीक है कि जब हम इस सीमित अधिकार को निरपेक्ष अधिकार में परिवर्तित करने के लिये विधि बना रहे हैं तो इस में कोई भूल नहीं है और इस उपबन्ध में भूतलक्षी प्रभाव की भी कोई बात नहीं है। इसमें तो केवल एक बात यह है कि मान लीजिये कि एक स्त्री को भेंट के रूप में अथवा वसीयत के द्वारा सम्पत्ति मिली है जिसमें कहा गया है कि "मैं इस सम्पत्ति को जब तक कि तुम जीवित हो तुम्हें देता हूं" तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे मामलों में यह खंड लागू नहीं होना चाहिये क्योंकि यह मामला हो चुका है और इस भेंट अथवा वसीयत देने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति विशेष को केवल सीमित उद्देश्य की दृष्टि से चुना है। उत्तराधिकार पाने की अधिकारिणी स्त्रियों की ओर से ही डिक्रियां नहीं होंगी, अपितु जैसा कि श्री मोरे ने सुझाव दिया है भरण-पोषण के भी बहुत से मामले हैं। हिन्दू विधि में भी बहुत से मामले हैं जिनमें कि दल न्यायालय में जाते हैं और यह कह कर कि अमुक-अमुक सम्पदा उस स्त्री को उसके जीवनपर्यन्त भोगने के लिये दी गई है, डिक्रियां ले लेते हैं। यह मैं समझ सकता हूं कि भेंट और वसीयतों के मामले में हम छूट दे रहे हैं। उन मामलों में जहां कि स्पष्ट रूप से यह लिखा है अमुक सम्पदा उसको जीवनपर्यन्त भोगने के लिये अमुक स्त्री को दी गई है तो डिक्रियों के मामले में ऐसा करना तो वांछनीय है। मुकद्दमें बढ़ाने की मंशा नहीं है। भेंट अथवा वसीयत के अतिरिक्त एक प्रलेख, डिक्री अथवा न्यायालय का एक आदेश है जिसमें लिखा है कि सम्पदा सीमित होगी। श्री गौंडर के संशोधन से मैं सहमत हूं।

श्री मोरे ने अपने तर्क में बताया कि किसी सम्पत्ति के बारे में झगड़ा हो सकता है। डिक्री भरण-पोषण अथवा किसी और दूसरी बात के लिये भी डिक्री हो सकती है। उनके सामने मैं एक पहलू रखूंगा। मान लीजिये कि कोई दल, यह डिक्री अथवा पंचाट ले आते हैं कि सम्पदा सीमित होनी चाहिये। मुकद्दमों में पड़ने की अपेक्षा भविष्य में यह अच्छा है कि मामलों को निपटा लिया जाय। मैं उनसे कहूंगा कि वे इसको इस दृष्टि से देखें। पहले विचार यह था कि स्त्री सीमित सम्पदा की अधिकारिणी है, अतः उन्होंने सीमित सम्पदा दी। हो सकता है दूसरी ओर ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कि सम्बन्धित स्त्री को भरण-पोषण के अतिरिक्त कोई और दूसरा अधिकार नहीं है। जहां कि डिक्री अथवा पंचाट अथवा न्यायालय के आदेश हों वहां हम मुकद्दमे नहीं बढ़ाना चाहते। क्योंकि वह सम्पत्ति उस स्त्री के अधिकार में नहीं है। मुझे बहुत से और, अधिकतर विधवाओं की ओर से, अभ्यावेदन मिले हैं जिनके पास आजकल सम्पत्ति है और जो अब इस बात की इच्छुक हैं कि उनकी सम्पत्ति अबाधित बना दी जाय। और मैं इससे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

सहमत हूं। उन्हें सदैव इस बात का डर है कि कोई उनके विरुद्ध मुकद्दमा न चला दे, अथवा कोई उन पर इस बात के लिये दबाव न डाले कि वे किसी को गोद लें। इन सब बातों को देखते हुए मैं श्री गौंडर के संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे क्योंकि यह स्त्रियों को निरपेक्ष अधिकार देता है और साथ ही मुकद्दमों की संख्या में भी कमी होती है।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : मान लीजिये कि विधवा ने अपनी सम्पत्ति किसी को दे दी है तो क्या ऐसे मामलों में स्त्री को किसी दूसरे लेख्य को निष्पादित करना आवश्यक है ? क्या उसकी मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दाय के लिये उपलब्ध होगी अथवा खरीदार उसका स्वामी बना रहेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल्पनात्मक प्रश्न कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब हमने सम्पत्ति बेच दी तो फिर उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है माननीय सदस्य इसके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। अब मैं श्री गौंडर का संशोधन मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७ में पंक्ति २५ से २७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :–

"(2)Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property."

["(२) उपधारा (१) की कोई बात ऐसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी जो उपहार के रूप में या वसीयत अथवा अन्य किसी सलेख के द्वारा या किसी व्यवहार न्यायालय की डिक्री या आदेश के द्वारा अथवा किसी पंचाट के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई हो जहां कि उपहार वसीयत अथवा अनन्य संलेखा या डिक्री, आदेश अथवा पंचाट की शर्तों में ऐसी सम्पत्ति में सीमित सम्पदा निर्धारित की गई हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अन्य दूसरे सदस्य जिन्होंने संशोधन रखे हैं उनके बारे में आग्रह करेंगे?

श्री राने, श्री कासलीवाल, श्री डाभी और श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा अपने संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या २०३ और श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन संख्या ११५ मतदानके लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० सी० शाह का संशोधन श्री गौंडर के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है। अतः उसके मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शेषगिरि राव द्वारा अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सभी संशोधन वापस ले लिये गये हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

पस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७—हिन्दू (महिला के उत्तराधिकार के बारे में सामान्य नियम)

†श्री वी० जी० देशपांडे ने संशोधन संख्या ११७, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् ने संशोधन संख्या ४०, श्री कासलीवाल ने संशोधन संख्या ७९, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या १७८, श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) ने संशोधन संख्या २०५, श्री किरोलिकर (दुर्ग) ने संशोधन संख्या २३२ और २३३ और श्री के० पी० गौंडर ने संशोधन संख्या २५० के प्रस्ताव किये।

†श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन संख्या ११९ श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ४० जैसा ही था । श्री कासलीवाल का संशोधन संख्या ८२ भी संशोधन संख्या ४० जैसा ही था । श्री के० पी० गौंडर का संशोधन संख्या २१६ भी संशोधन संख्या ४० जैसा ही था ।

†श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : खण्ड १७(१) में हिन्दू महिला के उत्तराधिकार के सामान्य नियम हैं । पति की मृत्यु पर जो सम्पत्ति नारी को उत्तराधिार में मिलती है उसके उत्तराधिकार का प्रश्न बच्चे होने अथवा न होने पर निर्भर नहीं करता । उसी सिद्धांत का अनुसरण पत्नी की पति को उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति के सम्बन्ध में होना चाहिये ।

उप-खण्ड (२) में कहा गया है जो सम्पत्ति हिन्दू महिला को माता अथवा पिता की ओर से उत्तराधिकार में मिली हो वह मृत पुत्र अथवा पुत्री के न होने पर (पूर्व मृत पुत्र अथवा पुत्री के वच्चों सहित) माता अथवा पिता के उत्तराधिकारियों पर प्रक्रांत होगी चाहे पति जीवित हो । इसमें दो अन्याय हैं कि यदि बच्चे हों तो पति भी उत्तराधिकारी है । यदि बच्च नहीं हों तो उसे भी उत्तराधिकार नहीं मिलेगा । अतः मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड १७ के उप-खण्ड (२) (क) को सर्वथा हटा दिया जाये ।

†श्री वी० जी० देशपांडे : इस खण्ड की शब्दावली अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण है । मैंने उत्तराधिकार के क्रम को बदला है । मैं पति को प्रथम सूची का अन्तिम उत्तराधिकारी बनाने की बजाय द्वितीय उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं ।

मैं अपने संशोधन संख्या ११९ द्वारा सारे उप-खण्ड (२) को हटाना चाहता हूं क्योंकि उसका उपबन्ध उपयुक्त नहीं है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

इसके दूसरे भाग में पति का कोई उल्लेख नहीं किया गया । पति दो भी हो सकते हैं । एक विधवा दोबारा विवाह कर सकती है । अतः यदि किसी हिन्दू महिला को पहले पति अथवा पहले ससुर से उत्तराधिकार में सम्पत्ति मिली और यदि उसका कोई बच्चा न हुआ तो मृत्यु के समय जो उसका पति होगा उसे सम्पत्ति प्रक्रांत होगी । कोई भी पति हो सकता है पहला अथवा बाद का, इसकी व्याख्या न्यायालय करेगा ।

अतः इस खण्ड का प्रथम भाग अन्यायपूर्ण है और दूसरे का अनावश्यक परिणाम होगा । यदि श्री शेषगिरि राव के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो असंगति दूर हो सकती है । इससे स्पष्ट हो जायेगा कि पहले पति की सम्पत्ति उसके बच्चों को नहीं मिलेगी, यदि उस विधवा के दूसरे पति से पुत्र और पुत्री हुए ।

जहां तक उस सम्पत्ति का सम्बन्ध है जो हिन्दू महिला को उसकी माता अथवा पिता से उत्तराधिकार के रुप में मिलती है तो इस सम्पत्ति का पुनः माता अथवा पिता के परिवार में वापस जाना उचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० आर० चौधरी** : संशोधन संख्या ४० के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके अतिरिक्त कुछ शब्द और कहना चाहता हूं ।

खण्ड १७ का उप-खण्ड (२) का कार्यकरण विचित्र होगा । मान लीजिये कि हिन्दू स्त्री अपने पिता, अपनी माता से और अपने पति से दायभाग प्राप्त करती है और फिर उस सब सम्पत्ति को इस तरह मिला देती है कि यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी सम्पत्ति किस से प्राप्त की गई थी तो उसके मरने पर यह निर्णय करना संभव हो जायगा कि कितनी सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों को, कितनी सम्पत्ति पिता के उत्तराधिकारियों आदि को मिलनी चाहिये । अथवा मान लीजिये इस समस्त सम्पत्ति को प्राप्त करने के पश्चात् वह उसे नकद में बदल लेती है और उसे बैंक आदि में जमा कर देती है और बिना कोई भेद किये उसमें से रुपया निकालती है तब भी उसकी मृत्यु के पश्चात् यह निर्णय करना असंभव होगा कि कितनी सम्पत्ति किसको मिलनी चाहिये । इसलिये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों के न्यसन के तरीकों में भेद करना भ्रांतिपूर्ण है । ऐसी भ्रांति को दूर करने के लिये सर्वोत्तम चीज यह है कि खण्ड १७ के उप-खण्ड (१) में बताये ये सिद्धांत जैसे के तैसे बनाये रखे जायें ताकि यदि कोई स्त्री उत्तराधिकारी निस्सन्तान मर जाय तो सम्पत्ति पहले माता को और फिर पिता को मिलेगी । यदि दोनों में से कोई न हो तो सम्पत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को मिलेगी और यदि उनका पता न लग सके तो खण्ड १७ (१) के उप-खण्ड (घ) में बताये गये उत्तराधिकारियों को मिलेगी । इसलिये जहां तक खण्ड १७ का सम्बन्ध है, इस उप-खण्ड (२) की कोई आवश्यकता नहीं है और उसको निकाल दिया जाय ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"१७. वसीयतहीन मरने वाली हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति हिन्दू पुरुष के लिये विहित अनुसूची और नियमों के अनुसार प्रक्रांत होगी, केवल 'मृत की विधवा' शब्दों के स्थान पर 'पति' शब्द रख दिया जायेगा ।"

मेरा निवेदन है कि खण्ड १७ बहुत भ्रांतिपूर्ण है । किसी स्त्री के मरने पर यह पता लगाना बहुत कठिन होगा उसने कौन सी सम्पत्ति किससे प्राप्त की थी । इसलिये इस उपबन्ध को कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि स्त्री की सम्पत्ति को निरपेक्ष न बनाइये और उसका कुटुम्ब से सम्बन्ध रखिये । मैं यह नहीं समझ सकता कि वसीयतहीन मरने वाली हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति हिन्दू पुरुष के लिये विहित अनुसूची और नियमों के अनुसार प्रकान्त क्यों नहीं होगी । मेरे विचार से यह बात खण्ड में सन्निहित उपबन्ध के विरुद्ध है कि समस्त सम्पत्ति एक है जिसका निपटारा पूर्ण रूप से स्त्री द्वारा भी किया जा सकता है । जब आप स्त्री को सम्पत्ति देते हैं तो आप यह क्यों कहते हैं कि अपने विभाजन के अधिकारों का प्रयोग मत करिये । यदि स्त्री को अपनी सम्पत्ति का निपटारा करने का अधिकार होगा तो उससे शत्रुता रखने वाले सम्बन्धी अधिक मूल्य लगाकर उसके रहने का मकान तक ले लेंगे ।

इसी तरह एक बात और भी है कि स्त्रियों का सम्पत्ति प्राप्त करना खतरे से खाली नहीं होगा । वे उसे फूंक डालेंगी । हम सम्पत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं । परन्तु इस प्रकार के उत्तराधिकार से वह खत्म हो जायेगी । उत्तराधिकार क्या है । सर्वप्रथम, मैं नहीं जानता कि पिता और माता पुत्री को किस प्रकार की सम्पत्ति देना पसन्द करेंगे ? हमारी ओर तो माता पिता उस गांव का पानी भी नहीं पीते जिसमें उनकी लड़की ब्याही होती है, उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने की तो बात ही क्या । इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के आदमी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनके द्वारा दान की गई सम्पत्ति माता पिता को दी जाय ।

मान लीजिये सम्पत्ति दान की जाती है । तब वह सदा के लिये दे दी जाती है । वापस नहीं ली जा सकती । इसलिये इस उपबन्ध से गड़बड़ी पैदा होगी । जब यह प्रस्थापना रखी गई थी कि विधवा के पुनर्विवाह के समय सम्पत्ति वापस कर दी जाय तो लोक-सभा ने उसके विरुद्ध मत दिया था । अब सभा स्वयं कहती है कि यदि स्वामी मर जाता है और सम्पत्ति का निपटारा न हुआ हो तो उसका पता लगाना होगा कि कहां से प्राप्त की गई थी और फिर वह पिता या पति के आदमियों को दी जाय ।

दूसरी कठिनाई वह थी जिसका संकेत मेरे मित्र श्री वी० जी० देशपांडे ने किया था । यदि एक से अधिक पति होंगे तो अन्य कठिनाइयां भी होंगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध को सरल बनाया जाय ।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : एक समय में एक से अधिक पति कैसे हो सकते हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह ठीक है, परन्तु विभिन्न समयों में तो पति भिन्न भिन्न हो सकते हैं । तब किस पति को सम्पत्ति मिलेगी ?

†**श्री सी० आर० चौधरी** : दूसरा विवाह होने पर पहला खत्म हो जायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : सम्पत्ति एक पति से दायभाग में प्राप्त की जा सकती है और उत्तराधिकार के समय स्त्री दूसरे पति की विधवा हो सकती है ।

मान लीजिये एक विधवा तीन बार विवाह करती है, और उसको पहले दो पतियों की सम्पत्ति मिलती है । उसके पश्चात् सम्पत्ति उसके तीसरे पति को मिलेगी और सम्पत्ति वह है जो उसने पहले दो पतियों से दायभाग में प्राप्त की थी ।

मैं समझता हूं कि यदि श्री शेषगिरि राव के संशोधन को मान लिया जाय तो इस अनियमितता का दूसरा भाग दूर हो सकता है । परन्तु साथ ही मैं सिद्धांततः इसका विरोधी हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि वह सम्पत्ति जो एक बार परिवार को दी गई है और विधवा अथवा पुत्री को मिल गई है, वापस हो । यदि आप यह धारणा मानें कि सम्पत्ति पूर्णतः उस विशेष परिवार की है जिसमें कोई विधवा या पुत्री हो तब तो मैं इस बात को समझ सकता हूं । परन्तु आप इस बात को तो भुला ही रहे हैं । इसलिये मैं (क) और (ख) उप-खण्डों का महत्व नहीं समझ रहा हूं ।

इसके अतिरिक्त यदि केवल उप-खण्ड (क) पर ही विचार करें तो भी मैं कहूंगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं । साथ ही मैं स्त्री-पुरुष की बराबरी का दावा करने वालों से जानना चाहता हूं कि यदि पत्नी और विधवा, पति की उत्तराधिकारिणी हो सकती है तो पति पत्नी का उत्तराधिकारी क्यों नहीं हो सकता ?

†**श्रीमती सुषमा सेन** : उप-खण्ड (क) में पति का उल्लेख है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । उसका न्यसन केवल सन्तानों या अन्य सम्बन्धियों के मामले में होगा, पति के मामले में नहीं । इस तरह श्रीमती सुषमा सेन, श्रीमती उमा नेहरू और श्रीमती शिवराजवती नेहरू सब मेरे जैसा सोचती हैं और हम सभी वयोवृद्ध हैं । निस्सन्देह श्री सी० सी० शाह सहमत नहीं हैं । आप बहनों और पुत्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार भले ही दे दें पर हिन्दू समाज की समस्त धारणा को समाप्त मत करिये । सम्पत्ति के चले जाने पर हम उसकी वापिसी नहीं चाहते । पुत्रियों के बाद उनके माता पिता को सम्पत्ति मत दीजिये क्योंकि उसको लेना

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं चाहते । इसलिये यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो खण्ड १७ के अन्तर्गत ये समस्त उप-खण्ड निकाल दिये जायेंगे ।

†**श्री किरोलिकर** : मेरे संशोधन हैं संख्या २३२ व २३३ । खण्ड १७ (१) (क) के अन्तर्गत दायभाग पुत्रों और पुत्रियों और पति को एक साथ दिया गया है । यदि कोई पुत्र व पुत्रियां न होंगी तो पति पत्नी की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं होगा । मैं नहीं जानता कि यह भेद भाव क्यों किया गया है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि पुत्रों और पुत्रियों के पश्चात् पति को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिये ।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत स्त्री-धन के मामले में पुत्री और पुत्र के पश्चात् पति दायभाग का अधिकारी है । यहां भी वैसा ही क्यों नहीं होना चाहिये ? राव समिति के प्रतिवेदन में भी पति को पत्नी का उत्तराधिकारी बनाया गया है । मेरा निवेदन है कि पति को अपनी पत्नी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन उप-खण्ड (२) के भाग (क) के सम्बन्ध में है जिसमें कहा गया है कि किसी हिन्दू स्त्री द्वारा अपने पिता या माता से दायभाग में प्राप्त कोई भी सम्पत्ति किसी पुत्र या पुत्री की अनुपस्थिति में प्रक्रांत होगी आदि आदि । जब कोई पुत्री या पुत्र न हो अथवा जब कोई पति न हो तभी सम्पत्ति अन्य लोगों को मिलेगी । निस्सन्देह, जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, कोई कारण नहीं है कि पति को उत्तराधिकारी न बनाया जाय । इसलिये मैं अपने ये दो संशोधन लोक-सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री डाभी** : खण्ड १७ (२) (क) में कहा गया है.....

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने कोई संशोधन नहीं रखा है । पहले वे सदस्य बोलेंगे जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ताकि अन्य सदस्य उन पर टीका टिप्पणी कर सकें ।

†**श्री शेषगिरि राव** : मेरा संशोधन संख्या १७९ भी प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय ।

†**सभापति महोदय** : बहुत अच्छा ।

†**श्री शेषगिरि राव** : मैं संशोधन संख्या १७९ प्रस्तुत करता हूं । इस संशोधन में यह कहा गया है कि पृष्ठ ८, पंक्ति १० के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :

"जिससे उसने सम्पत्ति दायभाग में प्राप्त की थी ।"

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन भी लोक-सभा के समक्ष है ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** : मेरा संशोधन संख्या २०५ निम्न प्रकार है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३१

'(१) "पति" के बाद "अथवा उसके उत्तराधिकारी" जोड़ दिया जाय; और

(२) पंक्ति ३५ हटा दी जाय ।'

यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो उप-खण्ड (ङ) अनावश्यक हो जायगा । मैं अपने पूर्ववक्ता के संशोधन का भी समर्थन करता हूं कि पति को पत्नी का उत्तराधिकारी होना चाहिये ।

मेरा यह भी मत है कि उप-खण्ड (ख), (ग), (घ) और (२) (क) अनावश्यक है और उनको निकाल दिया जाय क्योंकि जैसा पंडित भार्गव ने बताया हमारा समाज यह नहीं चाहता कि माता

†मूल अंग्रेजी में

पिता पुत्री को सम्पत्ति प्राप्त करे पति को उस सम्पत्ति के दायभाग का अधिकार भी होना चाहिये जो उसकी पत्नी ने अपने पति अथवा ससुर अथवा परिवार के अन्य सदस्यों से प्राप्त की हो।

एक और कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसा कि पंडित भार्गव ने संकेत किया, हो सकता है कि कोई स्त्री एक से अधिक बार विवाह करे। तो प्रश्न उठता है कि उस की मृत्यु के बाद उसके कौन से पति को सम्पत्ति मिलेगी ? मेरा निवेदन है कि उसकी सम्पत्ति उस पति के परिवार को मिलनी चाहिये जिससे उसे वह सम्पत्ति मिली थी।

†**श्री कु० पे० गौंडर** : मेरे दो संशोधन हैं। संशोधन संख्या २१६ खण्ड २ के हटाने के लिये है। स्त्री को दी गई सम्पत्ति पिता या पति के उत्तराधिकारियों को वापस नहीं मिलनी चाहिये। स्त्री को सम्पत्ति चाहे उसके पिता उसकी माता या पति या किसी भी अन्य स्रोत से मिले, वह उसके उत्तराधिकारियों को ही मिलनी चाहिये। मेरा उद्देश्य यही है।

मेरा दूसरा संशोधन माननीय मित्र सी० सी० शाह के संशोधन जैसा ही है। चूंकि उन्होंने अपना संशोधन रख दिया है इसलिये मैं अपने दूसरे संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैंने दो संशोधन रखे हैं—संशोधन संख्या ७९ और ८२। संशोधन संख्या ८२ श्री सी० आर० चौधरी के संशोधन संख्या ४० जैसा ही है।

संशोधन संख्या ८२ खण्ड १७ के उप-खण्ड (२) के सम्बन्ध में है। बहुत से सदस्यों ने उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का संकेत किया है। मैं एक अन्य बात का संकेत करूंगा। उप-खण्ड (१) स्त्री की समस्त सम्पत्ति से सम्बन्धित है परन्तु उप-खण्ड (२) उसके एक भाग से ही सम्बन्धित है अर्थात् पिता, माता, पति या ससुर से प्राप्त सम्पत्ति। मैं चाहता हूं कि यह निकाल दिया जाये क्योंकि इससे बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि पंडित भार्गव ने संकेत किया माता पिता पुत्री को दी गई सम्पत्ति को वापस लेना भी नहीं चाहते।

दूसरा संशोधन संख्या ७९ है। इसका भी पंडित भार्गव ने समर्थन किया है। खंण्ड (१) के उप-खण्ड (क) में प्रथम उत्तराधिकारी पुत्र और पुत्रियां (किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के बच्चों को सम्मिलित करते हुये) और पति है। फिर माता और पिता आते हैं। तीसरी पीढ़ी व विधवा पुत्रवधू उसमें सम्मिलित नहीं हैं। यह हमारी भावना के प्रतिकूल है। यदि उप-खण्ड (ङ) को उप-खण्ड (ख) के रूप में रख दिया जाये तो समस्त पूर्ववक्ताओं की इच्छा पूरी हो जायेगी। उप-खण्ड (क) के पश्चात् पति उत्तराधिकारी और फिर माता और पिता होंगे। यह संशोधन संख्या ७९ है जो प्रायः श्री गौंडर के संशोधन के समान ही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह संशोधन संख्या ७९ को तो स्वीकार कर ही लें और यदि संभव हो तो संशोधन संख्या ८२ को भी स्वीकार कर लें।

†**श्री डाभी** : चाहे मेरे पूर्ववक्ताओं ने कुछ भी कहा हो, मैं उप-खण्ड (२) के भाग (क) को बनाये रखने के पक्ष में हूं। यह ठीक है कि माता पिता पुत्री की सम्पत्ति नहीं लेना चाहते। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक विवाहित पुत्री, जिसने अपने पिता से कोई सम्पत्ति दायभाग में प्राप्त की हो, निस्सन्तान मर जाती है और दामाद दूसरी शादी कर लेता है। ऐसी स्थिति में उस सम्पत्ति का क्या होगा ? मैं नहीं समझता कोई हिन्दू यह चाहेगा कि दूसरा विवाह कर लेने वाला दामाद उस सम्पत्ति को ले ले। इसलिये मेरी राय में तो यह बहुत आवश्यक है कि पिता से दायभाग में सम्पत्ति प्राप्त करने वाली स्त्री के निस्सन्तान मर जाने पर उसकी सम्पत्ति पिता को मिले, पति को नहीं। मैं समझता हूं कि हिन्दू कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण इस खण्ड को हटाना आवश्यक हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० प्र० नथवानी** : हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि स्त्रियों की सम्पत्ति में वृद्धि होने से स्त्री उत्तराधिकारियों द्वारा छोड़ी गई सम्पदा के उत्तराधिकार के नियमों का उतना महत्व हो जायगा जितना पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा छोड़ी गई सम्पदा के उत्तराधिकार के नियमों का है। स्त्री और पुरुष की सम्पदा के उत्तराधिकार नियमों में भेद-भाव करना तर्क संगत नहीं है। मुझे इस बात में भी संदेह है कि ऐसा करना विधि-संगत होगा। परन्तु खण्ड १७ तो एक स्त्री द्वारा कुछ सम्बन्धियों से दायभाग में प्राप्त सम्पत्ति और शेष सम्पत्ति में भी भेद करता है।

उप-खण्ड (२) के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ऐसा भेद-भाव स्त्री की प्राकृतिक भावनाओं और इच्छाओं के अनुकूल होगा। मैं नहीं जानता कि पुरुषों के मामले में भी यह सिद्धांत क्यों नहीं स्वीकार किया गया? यह भी कहा गया कि वर्तमान कानून में ही ऐसा भेद-भाव करने का आधार है। वर्तमान कानून के अनुसार स्त्री-धन सम्पत्ति उसकी प्राप्ति के स्रोत के अनुसार प्रक्रांत होती है। परन्तु वे नियम बहुत प्राचीन समय में बनाये गये थे। उस समय 'स्त्री-धन' सम्पत्ति बहुत सीमित थी। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा भेद-भाव व्यर्थ है।

जहां तक उप-खंड (१) का सम्बन्ध है, मैं श्री सी० सी० शाह के संशोधन का समर्थन करता हूं जो पति के उत्तराधिकारियों को उप-खण्ड (क) के बाद रखना चाहता है। मैं समझता हूं ऐसा कर देना मृत स्त्री की इच्छाओं के अधिक अनुकूल होगा। पति के घर में रहने लगने के बाद स्त्री का लगाव अपने पिता या माता के सम्बन्धियों की अपेक्षा पति के सम्बन्धियों के प्रति अधिक हो जाता है। मैं यह भी नहीं समझ सका कि स्त्री और पुरुष के उत्तराधिकारियों में किस तर्क-संगत आधार पर भेद-भाव किया गया है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि उप-खण्ड (२) के भाग (क) में पति को उत्तराधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उसको सम्मिलित करने का जो सुझाव दिया है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

†**श्री शेषगिरि राव** : मैं संशोधन संख्या १७६ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरा साधारण संशोधन यह है कि अन्त में "जिससे उसने वह सम्पत्ति दायभाग में प्राप्त की थी" शब्द जोड़ दिये जायें। हमारे विधिकार्य मंत्री कहते हैं कि हम परिवारों में और दायभाग के नियमों में जटिलतायें नहीं लाना चाहते। यदि पुत्री विवाह के तुरन्त बाद निस्सन्तान मर जाती है तो वह चाहते हैं कि वह सम्पत्ति पिता के परिवार को मिल जाय, और इसी तरह, यदि वह मर जाती है तो कुछ मामलों में वह सम्पत्ति पति को मिलनी चाहिये। संभव है पति के कुछ सम्बन्धी हों। हम नव युवती विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। मान लीजिये एक लड़की 'क' से विवाह करती है और फिर विधवा हो जाती है और फिर 'ग' से विवाह करती है। 'पति के उत्तराधिकारियों' का 'ग' होगा। यह तर्क-संगत नहीं होगा। इसलिये यह संशोधन—उस पति के उत्तराधिकारी जिससे उसने वह दायभाग में प्राप्त की थी—आवश्यक है। उसकी मृत्यु के बाद 'क' को सम्पत्ति मिलनी चाहिये यदि माननीय मंत्री हिन्दू समाज में जटिलतायें नहीं चाहते तो उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं सी० सी० शाह के दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। जहां तक.....

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं कि खण्ड १७ पर तो पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब मैं (ङ) को (ख) के स्थान में रखने के बारे में संक्षेप में समझाऊंगा और फिर उसके बाद हमने अन्य खण्डों पर भी विचार करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : स्त्रियों को भी जब पुरुषों के समान ही सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है, तो मैं नहीं समझता कि वसीयत रहित स्त्री के लिये तीन प्रकार के दायभाग रखने की कोई विशेष आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उप-खण्ड (२) के भाग (क) और (ख) न रखे जायें।

उस खण्ड के अनुसार स्त्री के देहान्त के उपरान्त उसकी सम्पत्ति तीन प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा दायभाग के रूप में प्राप्त की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि उसके देहान्त के बाद उसकी सम्पत्ति के लिये सम्बन्धियों में भयंकर झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी। कुछ भी निर्णय न किया जा सकेगा कि कौन-सी सम्पत्ति उसने स्वयं बनायी थी, कौन-सी सम्पत्ति उसने पिता से प्राप्त की थी, कौन-सी उसने माता से प्राप्त की थी और कौन-सी सम्पत्ति उसने पति से प्राप्त की थी। इस प्रकार से उस स्त्री के देहान्त के बाद बड़ा भारी झगड़ा होगा।

इसलिये इसका सरल उपाय यही है कि उप-खण्ड १७ (१) को वैसे ही रहने दिया जाये और उप-खण्ड १७ (२) (क) और (ख) को हटा दिया जाये। यदि इसे जिस रूप में है वैसे ही पास करना है, तो मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि 'पति' शब्द के बाद ये शब्द रख दिये जायें 'जिससे उसने सम्पत्ति दायभाग में प्राप्त की थी।' यदि ऐसा न किया गया तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का बड़ा झगड़ा पड़ेगा।

इसलिये मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह श्री सी० सी० शाह के संशोधन तथा उप-खण्ड (२) को पूर्णरूपेण समाप्त कर देने वाले इस संशोधन पर विचार करें और उन्हें स्वीकार करें।

†**सभापति महोदय** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है, और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। अतः माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वे समय की कमी को ध्यान में रखते हुये इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सदस्य ऐसा कोई भी तर्क प्रस्तुत न करे जो कि किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका हो।

†**श्री पाटस्कर** : मुझ कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो यह समझा था कि इस खण्ड के सम्बन्ध में सम्भवतः कुछ भी कहना बाकी नहीं है।

†**सभापति महोदय** : मुझे आशा है कि इस प्रकार से सभा केवल आवश्यक बातों पर ही चर्चा करेगी।

श्री नंद लाल शर्मा : इस धारा १७ (१) के बी भाग का अर्थात् "(b) secondly, upon the mother and father;" का मैं सोलहों आने विरोध करता हूं और इस सम्बन्ध में श्री ाकुर दास भार्गव जी के साथ मेरी सोलहों आने सहमति है। कारण यह है कि मैं दक्षिण भारत के सम्बन्ध में तो विशष रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर भारत में जहां तक मैं जानता हूं पिता और माता अपनी कन्या क गांव में पानी पीना भी अच्छा नहीं समझते, उनकी प्रापर्टी (सम्पत्ति) का इन्हेरिट करना (दायभाग के रूप में प्राप्त करना) तो दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि ला मिनिस्टर (विधि मंत्री) या जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, वह सारे के सारे मनुष्य मुल्ला हो चले हैं, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह किसी भी प्रकार से सहा नहीं जा सकता कि हिन्दू माता पिता अपनी कन्या की प्रापर्टी को न्हरिट करें। सलिये मैं इसका सोलहों आने विरोध करता हूं।

साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ यहां बातचीत में पता चला है, मैं समझता हूं कि हिन्दू महिला का बड़ा अपमान है। श्री शेषगिरि राव के संशोधन से स्पष्ट मालूम होता है कि कितने ही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नंद लाल शर्मा]

पति हो सकते हैं, इसीलिये वह कहते हैं कि :

"from whom she inherited the property".

शब्द जोड़ दिये जायें । ऐसी परिस्थितियों में कि

" न तु नामाज्यि ग्रहणीमात्पन्यू: प्रेते परस्पच ।"

अथवा स्पष्ट रूप से :

"न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्मतोपेदिश्यते ।"

इन बातों के रहते-रहते आज दुर्भाग्य से हमें ऐसा भद्दा बिल बनाना पड़ा, और जिसके लिये हमको यह निश्चय नहीं है कि कौन पति और किस पति की कौन-सी प्रापर्टी को इन्हेरिट करने वाले हैं, यह हमारे सामने आया। तो भी मैं १७वीं धारा का जो दूसरा भाग है, उसके हटाने के विरोध में हूं। मैं उसके दृष्टिकोण से सहमत हूं और मेरा यह विश्वास है कि यह नियम विरुद्ध होगा कि माता पिता के द्वारा प्राप्त की हुई सम्पत्ति उत्तराधिकार में उसकी अपनी सन्तान क पास न जाये, परन्तु उसके दूसरे या तीसरे पिता के कोई एयस (उत्तराधिकारी)हों, तो उनके पास चली जाये । यह अनुचित होगा । इसलिये यह ठीक है कि उत्तराधिक्रार में अप्राप्त हुई सम्पत्ति जो कि माता पिता से प्राप्त की गई है, वह माता के एयर्स के पास जाना चाहिये और पति के द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति उसी पति के, जिस पति से वह सम्पत्ति प्राप्त की गई है, उत्तराधिकारी के पास जाना चाहिये ।

इन शब्दों को कह कर भी मैं इस क्लाज (खण्ड) का विरोध करता हूं क्योंकि यह हिन्दू महिला को कुछ लाभ न देता हुआ, उसके मान और प्रतिष्ठा पर भयंकर आघात करता है ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : मैं श्री सी० सी० शाह के इस संशोधन का समर्थन करती हूं कि खण्ड १७ (१) का मद (ङ) मद (ख) का स्थान ले ले, मैं चाहती हूं कि पति के उत्तराधिकारी मद (क) को संतुष्ट करने के बाद ही स्त्री के मरने पर उसकी सम्पत्ति को दायभाग में प्राप्त कर सके ।

जहां तक दूसरे संशोधन--अर्थात् संशोधन संख्या १७६ का सम्बन्ध है, मैं उसका विरोध करती हूं क्योंकि उससे बहुत सी उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी । अत: मैं उसका विरोध करती हूं और श्री सी० सी० शाह के संशोधन का समर्थन करती हूं ।

†**श्री पाटस्कर** : यह एक सीधा साधा सा खण्ड है जिसकी इतनी भारी आलोचना नहीं की जानी चाहिये थी । वास्तव में इस खण्ड के दो भाग हैं । प्रथम भाग यह है कि वसीयत रहित मरने वाली किसी भी हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति का धारा १८ में निर्धारित किये गये नियमों के अनुसार ही न्यसन होगा ।

फिर यह बताता है कि यह किस-किस को प्राप्त होगी :

"(क) सर्वप्रथम, पुत्रों तथा पुत्रियों (इनमें किसी भी पूर्व मृतक पुत्र अथवा पुत्री के बच्चे भी सम्मिलित हैं) तथा पति को;

(ख) द्वितीय, माता तथा पिता को ;

(ग) तीसरे, पिता के उत्तराधिकारियों को ;

(घ) चौथा, माता के उत्तराधिकारियों को ; और

(ङ) अन्त में, पति के उत्तराधिकारियों को ।'

यदि कोई स्त्री मर जाती है और उसके बच्चे और पति जीवित हैं तो उचित तो यही है कि उसकी सम्पत्ति उसके बच्चों तथा पति को प्राप्त हो । यदि हम पति को उस सम्पत्ति से वंचित रखें तो बच्चों की

†मूल अंग्रेजी में

देख भाल कौन करेगा ? मैं समझता हूं कि यही उत्तम उपाय है और इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उसके बाद यह सम्पत्ति किस के पास जाये। पति और बच्चों के अभाव में सर्वोत्तम उपाय यह है कि वह सम्पत्ति माता पिता को प्राप्त हो। प्रस्तुत संशोधन यह सुझाव देता है कि बच्चों अथवा बच्चों के बच्चों तथा पति के अभाव में वह सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो। यह एक ऐसी बात है जिसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यदि यह संशोधन अधिकांश सदस्यों को स्वीकार है तो मुझे इसमें कोई आपति नहीं, और मैं सूची में (ड़) को (ख) के स्थान पर रखने के लिये तैयार हूं। परन्तु उस अवस्था में उप-खण्ड इस प्रकार से पढ़ा जायेगा :

(१) किसी भी वसीयत रहित मरने वाली हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति का न्यसन इस धारा में निर्धारित नियमों के अनुसार होगा—

(क) प्रथम, पुत्रों तथा पुत्रियों (जिनमें किसी भी पूर्व-मृतक पुत्र अथवा पुत्री के बच्चे सम्मिलित हैं) तथा पति को ;

(ख) दूसरा, पति के उत्तराधिकारियों को ;

(ग) तीसरा, माता पिता को ;

(घ) चौथा, पिता के उत्तराधिकारियों को ; और

(ङ) अन्त में, माता के उत्तराधिकारियों को।

मैं इसका विरोध नहीं करता, इसका दूसरा कारण यह है कि जहां तक उप-खण्ड (२) का सम्बन्ध है, यह विद्यमान भावात्मक हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है। उन सदस्यों की मंशा समझना बड़ा कठिन है जो कि इसके सिद्धांत से सहमत होते हुये भी उस खण्ड का विरोध कर रहे हैं। उप-खण्ड (२) यह कहता है कि किसी भी हिन्दू स्त्री द्वारा अपनें माता अथवा पिता से प्राप्त की हुई कोई भी सम्पत्ति , उस स्त्री के किसी भी पुत्र अथवा पुत्री के अभाव में, पति के जीवित होते हुये भी, उप-खण्ड (१) में बताये गये अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त नहीं होगी, अपितु पिता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। उपखण्ड (२) के (ख) पर भी वही सिद्धांत लागू होता है। अब तो स्त्री को दायभाग में प्राप्त सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा। परन्तु अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि वह अपनी सम्पत्ति को बेच नहीं देती तो फिर उसका क्या होगा ? यदि उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो वह सम्पत्ति पति के पास जाने की बजाये उसके अपने माता पिता के पास चली जाये। बस यही एक दृष्टिकोण है जिसे ध्यान में रखते हुये यह उपबन्ध बनाया गया है।

देश के विभिन्न भागों में एक भ्रांति सी फैली हुई है कि इस उपबन्ध के द्वारा पुत्री को सम्पत्ति पिता को ही प्राप्त होगी। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। पिता अथवा पति से प्राप्त सम्पत्ति की वह स्त्री ही पूर्ण अधिकारिणी है। यदि वह निसन्तान मर जाती है तो उसके पति की सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी और पिता की सम्पत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी।

मुझ से यह प्रश्न किया गया है कि इस संविधान का क्या लाभ है ? जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है मैं साधारण अवस्था में विश्वास रखता हूं, असाधारण तथा अपवादपूर्ण बातों में नहीं। मैं समझता हूं कि लोग प्रायः सद्भावना से ही प्रत्येक कार्य किया करते हैं। कोई भी हिन्दू नारी विवाहित होते ही, तथा पिता की सम्पत्ति प्राप्त करते ही उसे किसी और व्यक्ति को नहीं दे देगी, वह उसे अपने पास ही रखेगी। यदि वह निसन्तान मर जाये तो वह सम्पत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को क्यों न प्राप्त हो ? पति की सम्पत्ति के बारे में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है।

[श्री पाटस्कर]

मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति स्त्रियों को सम्पत्ति का सम्पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहते वे इस उपबन्ध से सन्तुष्ट नहीं हैं परन्तु मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में यह एक उचित उपबन्ध है, यह समानता बरतन वाला उपबन्ध है और मैं चाहता हूं कि यह उपबन्ध उन सभी व्यक्तियों को संतोष प्रदान करे जो ऐसा नहीं समझते कि यह उपबन्ध विधेयक के वास्तविक उद्देश्य को नष्ट कर देगा। इसलिये मैं समझता हूं कि दूसरा उपबन्ध हितकर सिद्ध होगा।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : स्त्री के अनेक विवाह करने पर समस्या को कैसे हल किया जायेगा ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय ने अभी-अभी स्त्रियों पर यह दोष लगाया है कि वे एक के बाद दूसरी कई शादियां करने लग जायेंगी। इसके सम्बन्ध में मेरा यही कथन है कि यह आलोचना अन्यायपूर्ण है।

मैं श्री शेषगिरि राव के संशोधन को अनावश्यक समझता हूं क्योंकि उप-खण्ड में जिस सम्पत्ति का उल्लेख है वह उसी पति की सम्पत्ति समझी जायेगी जिसका पिछली लाइनों में जिक्र आया है। उसके स्थान पर किसी अन्य पति का अर्थ लगा कर कुछ लोग व्यर्थ ही अनर्थ कर रहे हैं। इस उपबन्ध में जब विवाह और विवाह-विच्छेद आदि का जिक्र किया गया है तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि माननीय सदस्य ने उसका गलत अर्थ लगाया। ऐसे अर्थ में कोई तथ्य नहीं है।

जहां तक उप-खण्ड (१) का प्रश्न है, मैं उसे श्री सी० सी० शाह के संशोधन के साथ स्वीकार कर लूंगा।

†**सभापति महोदय** : अब श्री सी० सी० शाह अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७,

पंक्ति ३२ से ३५ के स्थान पर यह अंश रखा जाय :

"(b) secondly, upon the heirs of the husband ;

(c) thirdly, upon the mother and father ;

(d) fourthly, upon the heirs of the father ; and

(e) lastly, upon the heirs of the mother."

["(ख) द्वितीय, पति के उतराधिकारियों को;

(ग) तृतीय, माता और पिता को ;

(घ) चतुर्थ, पिता के उत्तराधिकारियों को ; और

(ङ) अंतिम, माता के उत्तराधिकारियों को ;"]

†**सभापति महोदय** : इस संशोधन के पहले मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या १७८ और श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् का संशोधन संख्या ४० रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : अब मैं श्री सी० सी० शाह के संशोधन को सभा के सम्मुख रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७,

पंक्ति ३२ से ३५ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) secondly, upon the heirs of the husband ;
(c) thirdly, upon the mother and father ;
(d) fourthly, upon the heirs of the father ; and
(e) lastly, upon the heirs of the mother.

["(ख) द्वितीय, पति के उत्तराधिकारियों को ;
(ग) तृतीय, माता और पिता को ;
(घ) चतुर्थ, पिता के उत्तराधिकारियों को ; और
(ङ) अंतिम, माता के उत्तराधिकायिों को ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११७, ७९, २०५, २३२, २३३, २५० और १७९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८—(उत्तराधिकार क्रम और हिन्दू महिला के उत्तराधिकारियों में वितरण का तरीका)

†**श्री सी० सी० शाह** : खण्ड १७ स्वीकृत हो जाने के बाद नियम ३ के संशोधनों में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे । पहले हमने पिता, माता और पति के उत्तराधिकारियों का क्रम रखा था किन्तु खण्ड १७ को ध्यान में रखते हुये पति, पिता और माता के उत्तराधिकारियों का क्रम रखना पड़ेगा । अतः उनमें आवश्यक परिवर्तन करने के बाद मैं उन्हें श्रीमान् को दे दूंगा ।

†**सभापति महोदय** : ज्यों ही वे तैयार हो जायें आप मुझे दे दें । तब तक हम खण्ड १९ पर विचार करेंगे ।

खण्ड १९— (मरुमक्कटयम् और अलीय संतान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के बारे में विशेष उपबन्ध)

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड) : खण्ड १९ के बारे में मेरे कुछ संशोधन हैं जो आनुषंगिक हैं और वे स्वीकार किये जाने चाहियें ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति ३१,

"Sections 8, 10, 12, 13, 17, 25, and the Schedule"

["धारा ८, १०, १२, १३, १७, २५ और अनुसूची"] के स्थान पर

"Sections 8, 10, 17 and 25"

["धारा ८, १०, १७ और २५"] शब्द रख जायें ।

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ४० और ४१ हटा दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दामोदर मेनन]

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति १ हटा दी जाये ।

(४) पृष्ठ ९, पंक्ति १४ और १५ हटा दी जाये ।

पहला संशोधन इसलिये जरूरी है कि खण्ड १२ और १३ अस्वीकृत हो चुके हैं । इसी प्रकार अब अनुसूची की भी कोई आवश्यकता नहीं है । तीसरे और चौथे संशोधन में जिन पंक्तियों को हटाने के लिये कहा गया है वे सर्वथा अनावश्यक हो गई है । अतः मैं आशा करता हूं कि इन संशोधनों को स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुये ।

†**श्री पाटस्कर** : ये सब संशोधन आनुषंगिक हैं क्योंकि खण्ड १२ और १३ अस्वीकृत हो चुके हैं अतः उनका निर्देश नहीं होना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अनुसूची की श्रेणी १ में माता को स्थान देने के लिये खण्ड १९ मरुमक्कटयम् और अलीयसंतान विधियों द्वारा शासित लोगों के बारे में विशेष उपबन्ध किया गया था; किन्तु जब यह पहले ही किया जा चुका है अतः खण्ड १९ के उपखण्ड (७) की कोई जरूरत नहीं है । खण्ड १९ (२) में लड़कियों के साथ माता को भी स्थान दिया गया है अतः मेरे विचार से अनुसूची की यहां कोई जरूरत नहीं है ।

संशोधन संख्या २४६ में उप-खण्ड (३) को हटाने के लिये कहा गया है । पहले मरुमक्कटयम् विधि के लिये एक अपवाद बनाया गया था किन्तु अब उसे स्थान देना व्यर्थ है । यही बात चौथे संशोधन पर भी लागू होती है । अतः ये सब संशोधन आनुषंगिक हैं अतः ये स्वीकार किये जाने चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८, पंक्ति ३१ "Sections 8, 10, 12, 13, 17, 25 and the Schedule" ["धारा ८, १०, १२, १३, १७, २५ और अनुसूची"] के स्थान पर "Sections 8, 10, 17 and 25 ["धारा ८, १०, १७ और २५"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८, पंक्ति ४० और ४१ हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ९, पंक्ति १ हटा दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ९, पंक्ति १४ और १५ हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : अब खण्ड १८ पर विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री पाटस्कर** : उसमें कुछ परिवर्तन होने बाकी हैं । उनके बाद उसे मतदान के लिये रखा जा सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब तक हम खण्ड २१ को लेते हैं ।

खण्ड २१—(दो या अधिक उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार का तरीका)

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या १२५ प्रस्तुत करता हूं । इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि पृष्ठ ९ पर पंक्ति २४ हटा दी जाये ।

मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है । माननीय मंत्री ने खण्ड ६ पर चर्चा के समय यह आश्वासन दिया था कि खण्ड २१ में कुछ परिवर्तन किया जायेगा। इस खण्ड में अभी यह उपबन्ध है कि यदि किसी सम्पत्ति के दो पुरुष उत्तराधिकारी हों तो वे उसके संयुक्त हिस्सेदार के बजाय समान हिस्सेदारों की स्थिति में रहेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त परिवार प्रणाली का सर्वथा अन्त हो जायेगा । अतः मैंने इस प्रणाली को यथावत् रखने के उद्देश्य से अपना संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे मेरे संशोधन को अवश्य स्वीकार करें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जो बातें श्री वी० जी० देशपांडे ने कही हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और माननीय मंत्री ने वादा भी किया था कि इस खण्ड के बारे में कुछ परिवर्तन किया जायेगा किन्तुमुझे खेद है उन्होंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है । यदि इस में कोई परिवर्तन न किया तो वस्तुतः संयुक्त परिवार प्रणाली के नष्ट हो जाने की संभावना है। किसी भी सम्पत्ति के जो उत्तराधिकारी होंगे वे संयुक्त उत्तराधिकारियों की भांति न रह कर समान हिस्सेदारों की भांति रहना प्रारम्भ करेंगे । ऐसा जान पड़ता है कि यह विधेयक संयुक्त परिवार प्रणाली के लिये मौत का पैग़ाम है । जब श्री सी० सी० शाह जैसे धुरन्धर व्यक्ति इस प्रणाली के पीछे पड़े हुये हैं तो फिर इसे कौन बचा सकता है ।

†**श्री सी० सी० शाह** : आप केवल मेरा ही नाम क्यों लेते हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जी हां, और भी बहुत लोग हैं किन्तु आप इस गिरोह के सरदार हैं । यह तो माननीय मंत्री की दया है जो संयुक्त परिवार प्रणाली अभी चल रही है अन्यथा उसकी कब्र तो डाक्टर अम्बेडकर के समय से ही खुद रही है । कोई आश्चर्य नहीं कि किसी अगले विधेयक में इस प्रणाली की अन्त्येष्टि क्रिया कर दी जाये ।

खण्ड ६ के परिणामस्वरूप अब जो लड़के किसी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे वे परम्परागत रूप में नहीं बल्कि केवल इसी रूप में अधिकारी होंगे जैसी लड़कियां, विधवायें आदि उत्तराधिकारिणी होंगी । इसके कारण सब लोग उस सम्पत्ति के नये हिस्सेदारों की स्थिति में रहेंगे और पैतृक सम्पत्ति का अस्तित्व ही मिट जायेगा । ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति में पैतृक सम्पत्ति कुछ भी नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

होगी और नतीजा यह होगा कि पैतृक सम्पत्ति के अभाव में स्त्रियां भी पुरुषों की भांति समान अधिकारिणी होंगी ।

मैंने यह सोचा था कि माननीय मंत्री जी अपने वचन के अनुसार कार्य करने का भरसक प्रयत्न करेंगे । किन्तु इच्छा होने पर भी वे ऐसा न कर सके । हम जानते हैं कि संयुक्त परिवार पद्धति स्वयं ही समाप्त हो रही है किन्तु इस विधेयक से वह पद्धति समाप्त नहीं होगी केवल उस पर एक निर्दय आघात होगा और इससे उत्तर प्रदेश व पंजाब इत्यादि के संयुक्त परिवारों के सदस्यों की भावनाओं पर बहुत धक्का लगेगा ।

†**श्री सी० सी० शाह**: खण्ड २१ संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु उसके अन्तर्गत परिवार के सभी स्त्री और पुरुष सदस्यों की सम्पत्ति भी शामिल है। निस्सन्देह पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ठीक कहा है कि इससे संयुक्त परिवारों के विघटन में सहायता मिलेगी; किन्तु अब मैं यह अनुभव करने लगा हूं कि हमारे लिये सबसे उपयुक्त मार्ग यह होता कि हम राव समिति की सिफारिशों को यथारूप स्वीकार कर लेते । अब हमने कई जटिलतायें और उलझनें पैदा कर दी हैं । इससे मेरे विचार से हमें निकट भविष्य में ही इस विधेयक में परिवर्तन करने पड़ेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड ६ पर विचार करते समय पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह कहा था कि खण्ड ६ में भले ही हम कुछ भी करें, खड २१ से संयुक्त परिवार का विघटन होगा । मैं इस समय इससे होने वाले अन्तिम परिणाम की चर्चा नहीं करूंगा । इसकी चर्चा मैं भविष्य में इस विधेयक पर विचार करने के अवसर आने पर करूंगा । किन्तु मैं आपको बता दूं कि—जैसा मैंने वचन दिया था—मैंने सच्चे दिल से यह कहा था कि यथासम्भव मैं कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करूंगा ।

जैसा कि श्री शाह ने बताया और कदाचित पंडित ठाकुर दास भार्गव भी जानते हैं, खण्ड २१ केवल समांशी—सम्पत्ति पर ही लागू नहीं होता बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों से दायभाग में प्राप्त सभी तरह की सम्पत्ति पर लागू होता है ।

इस स्थिति पर मैं केवल एक बात बतलाना चाहूंगा । मान लीजिये एक व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री है । खण्ड ६ में, जिस रूप में कि हमने इसे पारित किया है, यह कहा गया है कि जहां तक संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्रों का हित है, यह कायम रहता है और इसके सम्बन्ध में उनके सह-अनुभोक्ता होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । किन्तु पिता की मृत्यु होने के बाद पुत्र तथा पुत्री दोनों को संयुक्त परिवार सम्पत्ति में उसके (पिता के) अंश अपना हित में हिस्सा मिलेगा । मान लीजिये कि वह सम्पत्ति ३,००० रुपये की है । प्रत्येक पुत्र का हित १,००० रुपये का होगा । इस सम्पत्ति में २,००० रुपयों में दोनों पुत्रों का संयुक्त अनुभोक्ताओं के रूप में हित होगा; किन्तु १,००० रुपये के अन्य हित में—जिसमें बहिन के साथ उनका भी हिस्सा होगा वे सह-अनुभोक्ता रहेंगे । किन्तु मैं यहां यह सुझाव दूंगा कि पुत्री के साथ उन्हें इस सम्पत्ति में जो कुछ भी हित प्राप्त होगा उससे मूल संयुक्त परिवार सम्पत्ति में वृद्धि होगी और इस अर्थ में यह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होगी जिस पर उनका स्वामित्व होगा । वस्तुतः इसकी अन्य सार्थकतायें भी हो सकती हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि २१ उसी रूप में रहना चाहिये क्योंकि ऐसी बातें जोड़ने के बाद कोई लाभ न होगा । मैंने उस समय वचन दिया था कि मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पुनः विचार करूंगा और मैंने उस पर यथासम्भव विचार भी किया है किन्तु अब मेरे विचार से वर्तमान विधेयक ही सब से अच्छा परिणाम है । जब इन पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति के एक अंश का दायभाग मिलने से संयुक्त परिवार सम्पत्ति में उपवृद्धि होगी और उससे कोई असुविधा भी नहीं होगी । किन्तु मैं किसी बात पर जोर नहीं दे रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री देशपांडे ने अपने संशोधन पर बहुत आग्रह किया है। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी है। किन्तु मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उससे कठिनाइयां पैदा होंगी। यह विधेयक केवल संयुक्त परिवार सम्पत्ति पर ही लागू नहीं होता बल्कि सभी तरह की सम्पत्तियों पर लागू होता है। यथासम्भव विधि का एक सामान्य नियम बनना चाहिये और उनके अधिकार सह-अनुभोक्ता के रूप में रहने चाहियें। मैं माननीय मित्र के इस दृष्टिकोण का आदर करते हुये भी कि संयुक्त परिवार पद्धति को न छोड़ा जाय, मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये हम जो कुछ कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुये मैं आग्रह करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** मैं यह प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से सभा में गणपूर्ति नहीं है और ऐसे महत्वपूर्ण खंड पर बिना गणपूर्ति के मतदान नहीं लिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में गणपूर्ति हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड २१ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री पाटस्कर :** मैं खंड १८ के आनुषंगिक संशोधन के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। संशोधन यह है :

पृष्ठ ८, पंक्ति २५–"clauses (c), (b) and (e) of sub-section (1)" ["धारा १ के खंड (ग), (घ) और (ङ)"] शब्दों के स्थान पर "clauses (b), (d) and) (e) of sub-section (1) and in sub-section (2)" ["उपधारा (१) के खंड (ख), (घ) और (ङ) और उपधारा (२) में"] शब्द रखे जायें।

मैं इन्हें इस रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन औपचारिक रूप में प्रस्तुत किया जाय।

†**श्री सी० सी० शाह** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पष्ठ ८, पंक्ति २५—"clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1)"["उपधारा १ के खंड (ग), (घ) और (ङ)"] शब्दों के स्थान पर "clauses (b), (d) and (e) of sub-section (1) and in sub-section (2)" ["उपधारा (१) के खंड (ख), (घ) और (ङ) और उपधारा (२) में"] शब्द रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड २३—(एक ही समय में हुई मृत्युओं के मामले में धारणा)

†**श्रीमती सुषमा सेन :** मेरे विचार से खंड २३ व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी मृत्युओं के सम्बन्ध में धारणा-विधि में यह उपबन्ध पहिले से ही मौजूद है। इसकी यहां पर भी व्यवस्था करना केवल पुनरुक्ति मात्र है।

†**श्री पास्टकर :** मेरे विचार से इस विषय पर किसी प्रकार की भ्रांति को दूर करने के लिये यह अनिवार्य है। यद्यपि सामान्य नियम यही है तथापि विधि बनाते समय इसका उपबन्ध करना अधिक अच्छा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड २३ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २४—(पूर्व-क्रयाधिकार)

†**श्री कृष्ण चन्द्र :** मैं संशोधन संख्या २३४ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन में यह कहा गया है कि पृष्ठ ९, पंक्ति ४० में "हस्तान्तरण" शब्द के स्थान पर "बन्धक अथवा विक्रय" शब्द रखे जायें।

मेरे विचार मे 'हस्तान्तरण' शब्द बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत पट्टे पर देना अथवा किराये पर देना भी आ सकता है जिसमें बहुत परेशानी हो सकती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** खंड २४ में, पृष्ठ के दाहिनी ओर "पूर्व-क्रयाधिकार" लिखा हुआ है जबकि खंड में "हस्तान्तरण" शब्द का प्रयोग किया गया है। "हस्तान्तरण" में पट्टे पर देना बन्धक रखना, उपहार इत्यादि सभी आ जाते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि संयुक्त परिवारों के सारे कारबार व फर्म विघटित हो जायेंगी। संविदा अधिनियम की धारा २३९ के अधीन साझेदारी के मामले में एक भागीदार की मृत्यु हो जाने पर, कारबार विघटित मान लिया जाता है। इसलिये उन सारे मामलों में जहां उत्तराधिकार हो चुका है इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि वे सारे कारबार विघटित हुये मान लिये जायेंगे और समांशिता के सदस्यों के सारे कारबार इस विधेयक के लागू होने पर समाप्त हो जायेंगे।

तब यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि कई हिस्सेदार होने पर वे क्या करेंगे। या तो वे न्यायालय में जाकर कारबार समाप्त करवा लेंगे या फिर, जैसा कि खंड २४ में कहा गया है, कुछ मामलों में हिस्सेदार या उत्तराधिकारी अपने सह-उत्तराधिकारियों से कहेगा कि वह कारबार में अपना हित हस्तान्तरित करने को तैयार हैं। उस दिशा में सह-उत्तराधिकारी दूसरे उत्तराधिकारी का हित ले सकते हैं। पूर्व-क्रयाधिकार अधिनियम के अनुसार पहिले पूर्व-सूचना दी जाती है। यदि पूर्व-सूचना दिये जाने पर कुछ काल तक दूसरा पक्ष अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो उसका पूर्व-क्रयाधिकार समाप्त हो जाता है। किन्तु यहां न तो अवधि की सीमा विहित की गई है और न आवेदन-पत्र देना ही विहित है, बल्कि स्थिति इस प्रकार ज्ञात होती है। मान लीजिये एक व्यक्ति अपना हिस्सा बेचना चाहता है, परन्तु बाद में वह उत्तराधिकारियों तथा बाहरी व्यक्तियों में प्रतिद्वंद्विता देखता है। इस दिशा में वह अपना बेचने का प्रस्ताव वापस ले लेगा और अपना हिस्सा नहीं बेचेगा। इससे केवल प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी और लाभ कुछ न होगा। वस्तुतः इससे उत्तराधिकारियों को रुकावट ही पैदा होगी। इसमें कोई ऐसा

†मूल अंग्रेजी में।

परन्तुक नहीं है जिससे हस्तान्तरण करने का विचार करने पर, उसे न्यायालय के निर्णय पर सहमति देनी होगी। अतः इससे लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह खंड न रहे।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं श्री भार्गव के दृष्टिकोण से सहमत हूं। इस खंड से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मूल खंड २५ का उद्देश्य यह था कि अन्य उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारिणी का हिस्सा खरीदने का अधिकार होगा; किन्तु वर्तमान खंड उत्तराधिकारिणी को अपना बटवरा करने से नहीं रोकता है। यह केवल उसी स्थिति में प्रयुक्त होगा जब कि वह अपने हितों का हस्तान्तरण करना चाहेगी।

दूसरे, यह क्रय पूर्वाधिकार तो है ही नहीं। वस्तुतः हमारा उद्देश्य यह था। मान लीजिये एक संयुक्त परिवार का कारबार है और एक दूर की स्त्री हिस्सेदार, यथा, पुत्री की पुत्री, का उसमें थोड़ा-सा हिस्सा है। तो हम यह चाहते थे कि अन्य उत्तराधिकारियों को उपयुक्त कीमत देकर उसका हिस्सा खरीदने का अधिकार होना चाहिये। यदि संभव हो तो खंड में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि इस प्रकार की हिस्सेदारी कारबार का विभाजन न करवा सकें; हां, पारस्परिक समझौते द्वारा या न्यायालय की सहायता से उसे अपने हिस्से का उचित मूल्य मिल जाय। मेरे विचार से इस खंड से यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के मत से सहमत हूं कि यह खंड निष्प्राण है और जब तक आप कोई ऐसा खंड और न जोड़ें अथवा कोई ऐसा संशोधन न करें जो कि क्रय पूर्वाधिकार के अनुरूप न हो तब तक यह खंड प्रभावशाली नहीं बन सकता है। वस्तुतः विभाजन से अनेक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं और हिस्सा बेचने से ही लाभ होगा क्योंकि, व्यापार के चालू हालत में होने पर उसे अच्छा मूल्य मिल जायेगा अतः सभांशी व्यापार की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये अन्य सभांशियों को पूर्व-क्रयाधिकार देना अधिक वांछनीय है। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस खंड को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये इसमें दो-एक खंड और जोड़ दें।

†**श्री मूल चन्द्र दुबे** : यह खंड सम्पत्ति और कारबार दोनों के सम्बन्ध में है। जहां तक अचल सम्पत्ति का प्रश्न है, पूर्व-क्रयाधिकार मिलना आवश्यक है। और हस्तांतरण भी आवश्यकीय रूप से किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं, अपितु 'हस्तान्तरण' शब्द के स्थान में 'बिक्री अथवा फलभोगी बन्धक' शब्द रख दिये जायें।

मेरे विचार से इस खंड में कारबार का समावेश नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि कारबार दो प्रकार का हो सकता है---एक संयुक्त परिवार व्यापार और दूसरा भागीदारी का कारबार। भागीदारी के कारबार में, एक भागीदार के मरने पर कारबार का विघटन हो जाता है और किसी व्यक्ति के उस कारबार में हिस्सा लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किन्तु यदि हम इसे संयुक्त परिवार का व्यापार मान लें तो प्रश्न यह उठेगा कि खंड ६ में किये गये संशोधन का क्या प्रभाव होगा। खंड ६ के अनुसार वसीयत-रहित मृत्यु पर व्यक्ति की सम्पत्ति का औपचारिक विभाजन हो जायेगा। इसका तात्पर्य यह है कि औपचारिक विभाजन के पश्चात् वह संयुक्त परिवार का कारबार नहीं रहेगा। कारबार समाप्त हो जाने पर किसी व्यक्ति के हिस्सा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये जहां तक कारबार का सम्बन्ध है, इसे खंड २४ में शामिल नहीं करना चाहिये। इस खंड में केवल अचल सम्पत्ति ही शामिल की जानी चाहिये।

एक अन्य उपखंड के अनुसार यह कहा गया है कि न्यायालय के द्वारा मूल्य निश्चित हो जाने पर सबसे अधिक मूल्य देने वाले को सम्पत्ति मिलेगी। इसके स्थान पर उपबन्ध यह होना चाहिये कि यदि सम्पत्ति के एक से अधिक दावेदार हों तो वह सब में बराबर बांट दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** यह सच है कि खण्ड २४ में जिस रूप में उपबन्ध है उससे किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप में किसी सम्पत्ति को खरीदने का अधिकार नहीं मिलता है। वास्तव में ऐसा इच्छित भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, मूल विधेयक में एक खण्ड संख्या २५ था जिसकी इस कारण इस सदन में कड़ी आलोचना की गई थी कि यह मामलों को आगे नहीं ले जाता है और उसमें यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि इस खण्ड के अधीन क्या किया जाना है। जिस समय संयुक्त समिति ने इस मामले पर विचार किया था, उसका यह विचार था कि खण्ड २५, जिस रूप में कि वह उस समय था, अधिक उपयोगी नहीं इसलिये उन्होंने इस बात पर विचार किया कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है और एक निर्णय किया जो अब वर्तमान खण्ड २४ में समाविष्ट है।

मैं यह नहीं कह सकता कि सभी मामलों में संयुक्त परिवार की रक्षा करने का प्रयोजन इससे पूर्णतः पूरा होता है। यह केवल सीमित प्रयोजनों के लिये है। खण्ड के शब्द इस प्रकार हैं :

> "(१) जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, इच्छापत्रहीन की किसी अचल सम्पत्ति में या उस पुरुष या उस स्त्री द्वारा चलाये जाने वाले किसी कारबार में कोई हित है...."

ये दो बातें हैं जिन्हें रखने का इस खण्ड में प्रयत्न किया गया है।

> "....चाहे अकेले ही या अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर, अनुसूची की श्रेणी १ में उल्लिखित दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों पर प्रक्रांत होती है, और ऐसे उत्तराधिकारियों में से कोई सम्पत्ति में या कारबार में अपना हित हस्तान्तरित करना चाहता है या चाहती है, तो अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित किये जाने वाले हित को अर्जित करने का अधिमान्य अधिकार होगा।"

इस लिये अनुसूची की श्रेणी १ में उल्लिखित विभिन्न उत्तराधिकारियों पर जब कभी भी कोई अचल सम्पत्ति या कारबार प्रक्रांत हो तो इस उपबंध द्वारा स्पष्ट रूप से यह इच्छित है कि अन्य समांशियों को अधिमान्य अधिकार दिया जाय। जैसा कि मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं, यह केवल सीमित प्रयोजन के लिये है। साधारणतया, यदि कोई संयुक्त परिवार का कारबार है और कोई लड़की है या कोई अन्य सम्बन्धी है जो सम्भवतः कारबार को नहीं चला सकती, तब यदि वह केवल आय ही लेती है और लेती रहे तो तब कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु यदि रुपया कमाने और अपना अंश बेचने की उसकी इच्छा है, जैसा कि बहुत से मामलों में अन्य उत्तराधिकारियों के साथ ऐसा किया जाना सम्भव हो सकता है, तो उस स्थिति में, जैसा कि मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने संकेत किया था, कारबार तथा उत्तराधिकारी, दोनों के लिये यह अधिक अच्छा होगा कि उत्तराधिकारी पर्याप्त प्रतिकर प्राप्त करके अपना अंश दूसरे हिस्सेदारों को बेच दे। यह उपबन्ध इसलिये किया गया है कि कारबार या अचल सम्पत्ति को छिन्न-भिन्न होने से बचाया जा सके और साथ ही विभिन्न उत्तराधिकारियों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। यह न केवल लड़कियों पर बल्कि अन्य उत्तराधिकारियों पर भी लागू होता है। ऐसे लड़के भी हो सकते हैं जो उचित ढंग से कारबार या अचल सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिये अयोग्य मालूम हों। हमें मालूम है कि संयुक्त परिवारों में ऐसे लड़के भी होते हैं जो न केवल सम्पत्ति में वृद्धि या कारबार के उचित प्रबन्ध में अधिक योग नहीं देते हैं बल्कि कई बार कठिनाइयां उत्पन्न करने की स्थिति में होते हैं। इस उपबन्ध में केवल लड़कियों को ही ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि परिवार में कोई ऐसा लड़का है जो सम्पत्ति गंवा कर या किसी अन्य कार्यवाही द्वारा झगड़ा खड़ा करना चाहता है तो इस उपबन्ध में केवल यही कहा गया है कि यदि वह लड़का सम्पत्ति के हस्तान्तरण का प्रयत्न करता है तब अन्य व्यक्तियों का अधिमान्य अधिकार होगा। उपखण्ड (२) तथा (३) में केवल वही उपचार बताया गया है जो किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जिस समय संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर वाद-विवाद किया था, उस समय इस बात पर विचार किया गया था कि हमें किसी अन्य व्यक्ति के अंश को अनिवार्य रूप से अर्जन करने का अधिकार अन्य उत्तराधिकारियों को देना चाहिये या नहीं। विचार के बाद यह सोचा गया था—और हमारा अब भी यह विश्वास है—कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे, इस बात को छोड़ कर कि वह व्यक्ति स्त्री है अथवा पुरुष, हम कारबार में विभिन्न अंशों के अधिकारों पर एक अनावश्यक कठिनाई पैदा करेंगे जिसकी कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुचित लाभ उठाये जाने की सम्भावना है। इसलिये इस खण्ड द्वारा जो कुछ किया जाना इच्छित नहीं है मैं उसका दावा नहीं करता हूं; परन्तु निरपेक्ष भावना से देखा जाय तो मालूम होगा कि इससे अचल सम्पत्ति या कारबार के रक्षण का प्रयोजन सिद्ध होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसरों पर एक तीसरे पक्ष को अंश बेचने की प्रवृत्ति होगी। हमने अन्य अंशधारियों को यह अधिमान्य अधिकार देने की बात केवल इसीलिये सोची है कि एक तीसरे पक्ष को बीच में आने से रोका जाय।

पार्श्व–टिप्पण के सम्बन्ध में हम "अग्रक्रय का अधिकार" के स्थान पर "क्रय का अधिमान्य अधिकार" या ऐसे ही कुछ शब्द रख सकते हैं। यह कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। इस परिवर्तन के अतिरिक्त मैं लोक-सभा से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस रूप में खण्ड है वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खण्ड के सम्बन्ध में एक संशोधन संख्या २३४ प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे खेद है कि मैंने इस का उत्तर नहीं दिया था। मेरे विचार में 'हस्तान्तरण' शब्द काफी व्यापक है। इसमें सभी बातें आ जाती हैं और क्या यह बन्धक है या कुछ और है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

†**उपाध्य महोदयक्ष** : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस संशोधन को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा जाय ?

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"चण्ड २४ विधेयक का अंग बने"

†**श्री पाटस्कर** : इससे पहले इस प्रक्रम पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि पार्श्व-टिप्पण में यह शब्द रखे जायें "क्रय का अधिमान्य अधिकार।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह केवल एक पार्श्व-टिप्पण है। इसे मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है और इसे अन्यथा भी बदला जा सकता है। मैं खंड को लोक-सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड २५—(रहने के मकानों सम्बन्धी विशेस उपबन्ध)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड २५ पर विचार करेंगे । इस खंड के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कौन से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री डाभी** : मेरा यह सुझाव है कि अब केवल दस मिनट शेष हैं। हम थक चुके हैं इसलिये अब कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस खंड के सम्बन्ध में हम संशोधनों की सूची बना ल और फिर कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। ये संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं : २१९, १९, ३, १८१, २२५, २२६, २२०, २०७ और २५३ ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या २१९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री डाभी** : मैं संशोधन संख्या ३, तथा १८१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राने** : मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या २२५ , २२६ तथा २२० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री आर० सी० शर्मा** (मुरैना—भिंड) : मैं संशोधन संख्या २०७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री के० पी० गौंडर** : मैं संशोधन संख्या २५३ का प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १०, पंक्ति २८, " daughter " ["पुत्री"] के बाद "or grand daughter or great grand daughter" ["अथवा पोती या पड़पोती शब्द रखे जाएं"]

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपने संशोधन संख्या २१९ द्वारा इस खंड में जो दोष उत्पन्न हो गया है उसे दूर करना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब कल अपना भाषण जारी रखेंगे ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ८ मई १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ७ मई, १९५६]

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३१४९–५०

निम्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) कृषि-उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार–व्यवस्था) निगम विधेयक, १९५६, जो २८ फरवरी, १९५६ को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था, से संलग्न वित्तीय ज्ञापन के शुद्धि-पत्र के विवरण की एक प्रति ।

(२) मंत्रियों द्वारा विविध सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण :—

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या १	लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(दो)	अनुपूरक संख्या विवरण ५	लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या ९	लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या १५	लोक-सभा का नवां सत्र, १९५४
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या २१	लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या २९	लोक-सभा का छठा सत्र, १९५३
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या ३४	लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या ४४	लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	३१५०

सचिव ने लोक-सभा को बताया कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५६ पर, जो संसद् के दोनों सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित किया गया था, राष्ट्रपति ने २८ अप्रैल, १९५६ को अनुमति दी ।

विषय	पृष्ठ
राज्य-सभा से सन्देश	३१५०
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित दो सन्देशों की सूचना दी :—	
(एक) कि राज्य-सभा, ३ मई, १९५६ की अपनी बैठक में १८ फरवरी, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन (भारत) निधियों स्थानान्तरण का विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।	
(दो) कि राज्य-सभा ने ३ मई, १९५६ की अपनी बैठक में १८ फरवरी, १९५६ को लोक-सभा द्वारा पारित भारतीय ट्रेड रेड-क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, १९५६ को संशोधनों सहित पारित किया है और उक्त विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटाया है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति को राज्य-सभा को भेज दिया जाये ।	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किया गया विधेयक	३१५०
सचिव ने भारतीय रेड-क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, जो राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किया गया था, सभा-पटल पर रखा ।	
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थित	३१५१
चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३१५१
प्राक्कलन समिति (१९५४–५५) की कार्यवाही का विवरण, खण्ड ४ अंक २ उपस्थापित किया गया ।	
विधेयक पर विचार ...	३१५१–३२०४
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे विचार किया गया । खण्डों पर विचार समाप्त नहीं हुआ ।	
मंगलवार, ८ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे विचार ।	

M131LSD—190—27-12-57—GIPF